विजय बहुगुणा

मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सचिवालय
देहरादून - 248001
फोन : 0135-2655177 (का.)
0135-2650433
फैक्स : 0135-2712827

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई, कि आर०टी०आई० क्लब उत्तराखण्ड द्वारा अपनी स्थापना की तीसरी वर्षगाँठ पर एक स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 आम जनता को लाभ दिलाने वाला एक क्रांतिकारी एवं लोकप्रिय कानून है, कानून का प्रभाव लोकसेवकों की कार्यप्रणाली तथा अभिलेखों के प्रबन्धन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आर०टी०आई० से जुडे संस्थानों को, आर०टी०आई० क्लब सशक्त बनाने में अप्रत्यक्ष योगदान दे रहा है, जिसके लिए क्लब के पदाधिकारी साधुवाद के पात्र हैं।

आशा करता हूं कि स्मारिका में प्रकाशित विद्वतजनों के लेख अधिनियम के बार में और अधिक ज्ञान नागरिकों को देने में प्रभावी भूमिका अदा करेंगे।

मैं स्मारिका के सफल प्रकाशन के हेतु शुभकामनाएं देता हूँ।

(विजय बहुगुणा)

नृप सिंह नपलच्याल
N.S. Napalchyal

सत्यमेव जयते
मुख्य सूचना आयुक्त
Chief Information Commissioner

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सी-30, सेक्टर-I, डिफेन्स कालोनी
देहरादून, उत्तराखण्ड
Uttarakhand Information Commission
C-30, Sec-I, Defence Colony
Dehradun, Uttarakhand
Phone : (Off.) : 0135-2666778
Fax : 0135-2666779
Mob. : 09412992127

"संदेश"

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि "आर.टी.आई. क्लब, उत्तराखण्ड" द्वारा अपनी स्थापना की तीसरी वर्षगांठ 24 जून 2012 को मनाई जा रही है तथा इस अवसर पर "आर.टी.आई. क्लब, उत्तराखण्ड" द्वारा अपनी स्मारिका के विमोचन के साथ – साथ योग्य सूचना आवेदनकर्ताओं तथा सूचना का अधिकार से संबंधित उत्कृष्ट विभागीय अधिकारियों को सम्मानित भी किया जा रहा है.

मैं "आर.टी.आई. क्लब, उत्तराखण्ड" की सफलता की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि उनके द्वारा जनसामान्य में सूचना का अधिकार के प्रति जागरूकता तथा उसका उपयोग बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास आगे भी किये जाते रहेंगे.

शुभकामनाओं सहित !

(एन. एस. नपलच्याल)

विनोद नौटियाल
राज्य सूचना आयुक्त

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सैक्टर 1, सी-30 डिफैंस कालोनी, देहरादून
दूरभाष : 0135-2666778, 2666779

पत्रांक : 6080/उ.सू.आ./2012
दिनांक : 24/अप्रैल, 2012

संदेश

बन्धुवर श्री अमर सिंह धुन्ता जी,

जय बदरी विशाल।

यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि आर0टी0आई0 क्लब उत्तराखण्ड के द्वारा गत वर्षो की भाँति इस वर्ष भी अपनी वार्षिक गतिविधियों के संबंध में एक स्मारिका का प्रकाशन कराये जाने का निर्णय लिया गया है। मुझे पूर्ण आशा है कि उक्त स्मारिका में जन-उपयोगी लेख/आंकड़ों व निर्णयों का समावेश होगा, ताकि आमजन सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

आ0टी0आई0 क्लब उत्तराखण्ड के साथ डॉ0 आर0एस0 टोलिया, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एवं मुख्य सचिव भी जुड़े हैं जिनके अथक प्रयासों से उत्तराखण्ड राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम को विकट परिस्थितियों में स्थापित किया गया एवं उत्तराखण्ड सूचना आयोग को सम्पूर्ण देश में एक नई पहचान दिलायी गयी। इसी प्रकार डॉ0 बी0पी0 मैठाणी जो कि आर0टी0आई0 क्लब के अध्यक्ष हैं जैसी विभूतियॉ इस क्लब के साथ जुड़ी हैं। डॉ0 बी0पी0 मैठाणी, पूर्व राज्य समन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड के द्वारा अपने दायित्वों का कुशल निर्वहन कर सूचना का अधिकार अधिनियम को स्थापित करने में शासन के साथ अच्छा कार्य किया गया है।

यह जानकर भी प्रसन्नता हुई कि आर0टी0आई0 क्लब, उत्तराखण्ड के द्वारा लोकहित में सूचना माँगने वाले सूचना कार्यकर्त्ताओं एवं भली-भॉति सूचना देने वाले लोक सूचना अधिकारियों व अपीलीय अधिकारियों को भी पुरस्कृत करने की योजना बनायी गयी है।

मैं आर0टी0आई0 क्लब के इस प्रयास के लिये साधुवाद देते हुए कार्यक्रम एवं स्मारिका के प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकामनायें प्रेषित करता हूँ एवम् आशा करता हूँ कि यह क्लब भविष्य में भी इसी भाँति निष्पक्षता एवम् निर्भीकता का परिचय देते हुये निरन्तर सूचना का अधिकार अधिनियम को जनपयोगी बनाने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा।

धन्यवाद,

भवनिष्ठ,

(विनोद नौटियाल)

श्री अमर सिंह धुन्ता जी
महासचिव
आर0टी0आई0 क्लब उत्तराखण्ड
827/1, सिरमौर मार्ग, कौलागढ़ रोड़ देहरादून।

प्र भात डबराल
राज्य सूचना आयुक्त

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सैक्टर 1, सी-30 डिफैंस कालोनी, देहरादून
दूरभाष : 0135-2666778, 2666779

पत्रांक : 6109 /उ.सू.आ./2012
दिनांक : 25 अप्रैल, 2012

संदेश

सभ्य समाज के लंबे आंदोलन के बाद प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम आजादी के बाद की हमारी जनता की महान उपलब्धियों में से एक है। यह कोई साधारण कानून नहीं बल्कि लोक प्रशासन को पारदर्शी, सक्षम तथा कुशल बनाने का एक आंदोलन है। इसे और अधिक मजबूत करते रहना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

मेरे संज्ञान में है कि आर.टी.आई. क्लब, उत्तराखण्ड इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आपका यह उपक्रम सूचना अधिकार के आंदोलन को बल प्रदान करता है।

आर०टी०आई० क्लब, उत्तराखण्ड के समस्त पदाधिकारियों को क्लब की तृतीय वर्षगाँठ के उपलक्ष्य पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनायें।

भवनिष्ठ,

(प्रभात डबराल)

अनिल कुमार शर्मा
Anil Kumar Sharma

राज्य सूचना आयुक्त
State Information Commissioner

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सी–30, सैक्टर 1, डिफैंस कालोनी, देहरादून
Uttarakhand Information Commissiom
C-30,Sec-I, Defence Colony
Dehradun, Uttarakhand
Phone : (Off:) 0135-2666778
Fax : 0135-2666779
Mob. : 09412050831, 09810302767

संदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के महत्व को जन–सामान्य तक पहुँचाने हेतु नि:संदेह आर०टी०आई० क्लब द्वारा सराहनीय कार्य किये जा रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति छात्र–छात्राओं को जागरूक करने हेतु स्कूलों में आर०टी०आई० क्लब द्वारा निबंध प्रतियोगिता आयोजित करना तथा लोकहित में सूचना माँगने वाले आर०टी०आई० कार्यकर्ताओं को न केवल प्रोत्साहित करना, बल्कि उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी, जिनके द्वारा अधिनियम के प्राविधानों का कर्त्तव्यनिष्ठा से अनुपालन किया जा रहा है, को पुरस्कृत करना, एक सराहनीय विषय है।

दिनांक 24 जून 2012 को आयोजित आर०टी०आई० क्लब उत्तराखण्ड की तृतीय वर्षगाँठ पर क्लब के सदस्यों एवं प्रतिभागियों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

अनिल कुमार शर्मा
03/05/2012

(अनिल कुमार शर्मा)
राज्य सूचना शर्मा
उत्तराखण्ड

डॉ0 आर0 एस0 टोलिया
(पूर्व,मुख्य सूचना आयुक्त,उत्तराखण्ड़)

संदेश

आर0 टी0 आई0 क्लब, उत्तराखण्ड नागरिक अधिकारों के सशक्तिकरण से सम्बन्धित संगठनों में सबसे नवीन एवं प्रभावकारी संस्था है। यह नागरिकों के अधिकारों की अग्रणी संस्था बने ऐसी मेरी कामना है।

गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष क्लब ने अपने संगठन व कार्य दोनों का विस्तार किया है, मुझे इसकी प्रसन्नता है । इस प्रयास को इसी प्रकार बनाये रखते हुए आगे बढ़ते जाना है।

'क्लब' की तीसरी वर्ष गाँठ पर मनाये जा रहे समारोह एवं स्मारिका के प्रकाशन के अवसर पर आर0 टी0 आई0 क्लब के सभी सदस्यों को मेरी शुभ कामनाएं ।

डॉ0 आर0 एस0 टोलिया
मुख्य संरक्षक
आर0 टी0 आई0 क्लब, उत्तराखण्ड़

अध्यक्ष की कलम से

आर0टी0आई0 क्लब, उत्तराखण्ड ''सूचना का अधिकार कानून'' के जानकारों व उसका प्रयोग करने वाले विचारशील नागरिकों का एक गैर राजनैतिक स्वैच्छिक संगठन है। इसकी सदस्यता ऐसे सभी व्यक्तियों व संगठनों के लिए उपलब्ध है जो ईमानदारी से जनहित में सूचना के अधिकार का प्रयोग करते हैं या करने की इच्छा रखते हैं।

सूचना का अधिकार कानून निःसंदेह नागरिकों को ऐसा अहिंसक अस्त्र मिला है जिसके प्रयोग से वे अपने वैधानिक अधिकारों और हितों की रक्षा करते हुए दुराचार और भ्रष्टाचार रूपी दानवों का वध कर सकते हैं। अभी कुछ वर्षों पहले तक शायद ही किसी ने यह कल्पना भी की होगी कि इतनी आसानी और शीघ्रता से इतने बड़े पैमाने पर उच्च स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार उजागर होगा और उसके दोषियों को सजा मिलेगी। भ्रष्टाचार के अभियोग पहले भी चलते रहे हैं लेकिन उच्च स्तरों पर कभी कोई दण्डित नहीं हो सका है।

आज यदि ऐसा सम्भव हुआ है तो सूचना का अधिकार कानून के कारण हुआ है। अभी तक जो कुछ भी प्रकट हुआ है वह तो पानी में तैरती हिमशिला का दिखने वाला ऊपरी हिस्सा है जो कुल हिमखण्ड का मात्र 10 प्रतिशत भाग ही होता है। शेष 90 प्रतिशत का पर्दाफाश अभी होना शेष है। इस 90 प्रतिशत छिपे हुए भ्रष्टाचार का खुलासा करना आर0टी0आई0 क्लब का लक्ष्य होना चाहिए। यह काम जितना बड़ा है उतना ही जटिल भी है। इसको यदि उत्तराखण्ड स्तर पर भी सीमित रखा जाये तो भी आर0टी0आई0 क्लब को प्रदेश के सभी जनपदों और शहरों में सक्रिय सदस्यों की एक श्रृंखला तैयार करनी होगी।

अभी तक जो स्थिति है उसके अनुसार मार्च 2012 तक लगभग 55 प्रतिशत सूचनायें अकेले देहरादून जनपद से माँगी गयी हैं यदि अन्य दो मैदानी जिलों, हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर को मिला लिया जाये तो लगभग 95 प्रतिशत सूचना के अनुरोध इन तीनों जनपदों से ही प्राप्त हुये हैं। अर्थात शेष 10 जनपदों से मात्र 5 प्रतिशत सूचना के अनुरोध प्राप्त हुये हैं। दूसरी ओर यदि प्राप्त सूचना के अनुरोधों को ग्रामीण और शहरी अंचलों में विभाजित किया जाये तो पता चलता है कि 76 प्रतिशत सूचना के अनुरोध शहरों से प्राप्त हुये हैं और शेष 24 प्रतिशत ही गाँवों से मिले हैं। यदि प्राप्त अनुरोधों को पुरूषों और महिलाओं में विभाजित किया जाये तो पता चलता है कि 92 प्रतिशत सूचनायें पुरूषों द्वारा माँगी गयी हैं और मात्र 8 प्रतिशत अनुरोध पत्र महिलाओं से प्राप्त हुये हैं।

इन आंकडों से यह पता चलता है कि आर0टी0आई0 के प्रचार प्रसार के लिए अभी कितना काम करना शेष है और उसकी क्या प्राथमिकतायें होनी चाहिये। स्पष्ट है कि काम बहुत अधिक है जिसको सम्पन्न करने के लिये आर0टी0आई0 क्लब को अपना आधार विस्तृत करना होगा। वर्ष 2011–12 में आर0टी0आई0 क्लब ने इस दिशा में पहल की है। सदस्यों की संख्या बढ़ी है और जनपदों में इकाईयों के गठन का काम प्रारम्भ हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण पहल आर0टी0आई0 दिवस, 12 अक्टूबर, 2011 को देहरादून जनपद के स्कूलों के बच्चों द्वारा आर0टी0आई0 पर निबन्ध और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन रहा है। यह एक अच्छी शुरूआत है। इस वर्ष हमारा प्रयास पर्वतीय बाल मंच और शिक्षा निदेशालय के सहयोग से उत्तराखण्ड के सभी जनपदों में ऐसी प्रतियोगिताओं को आयोजित करना होना चाहिये। आर0टी0आई0 क्लब का आधार विस्तृत करने के लिए हमारा यह भी प्रयास होगा कि महिला समाख्या के सहयोग से महिलाओं में आर0टी0आई0 के प्रयोग की जानकारी बढ़ाई जाये।

वर्ष 2011–12 की दूसरी प्रमुख घटना फेरूपुर, हरिद्वार के प्रखर आर0टी0आई0 कार्यकर्ता श्री जगदीश चौहान की हत्या रही है। आर0टी0आई0 क्लब द्वारा इस घटना की जाँच के लिये एक शिष्ट मण्डल फेरूपुर भेजा गया। आर0टी0आई0 क्लब ने इस हत्याकाण्ड की घोर निन्दा करते हुये महामहिम राज्यपाल और मा0 मुख्यमंत्री से इस जघन्य हत्याकांड की सी0बी0आई0 द्वारा जाँच कराने के लिये ज्ञापन प्रस्तुत किये हैं। यह लड़ाई अभी लम्बी चलने वाली है। इसी वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर श्री अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के निवारण के लिये एक वृहद जन आंदोलन चलाया गया जिसके समर्थन में स्थानीय स्तर पर आर0टी0आई0 क्लब ने सक्रियता से भाग लिया है।

आर0टी0आई0 क्लब के सभी सदस्यों ने अपना अमूल्य समय और धन व्यय कर जनहित के कार्यों में भाग लिया, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आर0टी0आई0 क्लब सूचना के अधिकार की मुहिम को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सफल होगा।

– डॉ0 बी.पी. मैठाणी

आर०टी०आई० क्लब, उत्तराखण्ड के महासचिव की ओर से....

आयु मात्र सात वर्ष ! काम इतने बड़े कि सरकार भी हिल जाये। बात किसी बच्चे की नहीं हो रही है, बात सूचना का अधिकार कानून की हो रही है। 62 वर्ष की आयु के भारतीय संविधान से निकले अपने कानूनी अधिकारों का ज्ञान आम आदमी को नहीं है। जबकि जानने के हक को आज सब जानते हैं परन्तु इतना नहीं जानते हैं कि छिपा हुआ यह हक संविधान के अनुच्छेद-19 में पहले से ही मौजूद था पर इसकी मौजूदगी ब्रिटिश काल से चले आ रहे आफीशियल सीक्रेट एक्ट की गोपनीयता की धुंध में छिपी थी। 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम के लागू होने के साथ मानों आम नागरिक के हाथों जादू की छड़ी लग गयी और अपने दैनिक जीवन के कार्यकलापों से सम्बन्ध रखने वाले लोक प्राधिकारियों से बह अपनी लम्बित समस्याओं के बारें में सूचना माँगने लगा, और उसके ऐसे छोटे मोटे लम्बित कार्य धीरे-धीरे होने लगे।

यद्यपि इस कानून के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये लगभग सात वर्ष का समय कोई ज्यादा नहीं है जिसके आधार पर यह देखा जा सके कि इसका असर कहाँ तक हुआ है, क्योंकि पिछलें 60 वर्षों के स्थापित तन्त्र में भ्रष्टाचार के अंधेरे की जड़ें इतनी गहरी व मजबूती से जमी हुई हैं कि मात्र सात साल के कानून के उपयोग करने वाले मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के प्रयासों से वह उखड़ जायेगी और भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा ऐसा होता दिखायी नहीं दे रहा है, परन्तु यह भी सत्य है कि धीरे-2 लोग जागरूक हो रहे हैं और इस अधिकार के प्रयोग से भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाडने का प्रयास कर रहे हैं। स्थिति बड़ी अजीब है कि एक और सूचनाओं के छिपाने का प्रयास करता वह वर्ग है जिसे ''तन्त्र'' कहते हैं और जिसमें अदने से बाबू से लेकर अन्य उच्च पदों पर स्थित नौकरशाही और उस नौकरशाही के भी शाह, लोक प्रतिनिधि हैं जिन्हें आज जानने का 'हक' नाम का कानून बोतल में बंद जिन्न का बाहर आना दिखायी दे रहा है तो दूसरी और पिछले छः दशकों से अपने सामान्य से किन्तु मौलिक अधिकार से वंचित और भ्रष्टाचार और अव्यवस्था से त्रस्त वह आम नागरिक है जिसके वोट से यह सारा तन्त्र चल रहा है। और जो चुनाव के समय भाग्य विधाता होता है तो चुनाव के बाद उसकी हैसियत दर्शक बन हर स्थिति को भुगतने वाले निरीह प्राणी जैसी हो जाती है। उस के वोट से ही यह तन्त्र चल ही नहीं रहा है बल्कि उसके द्वारा दिये गये टैक्स से यह फल भी रहा है।

आज आम नागरिक के इस हक को छीनने के लिये सरकारी तन्त्र इसको कमजोर करने के तरीके ढूंढ रहा है जिसके इसका असर धीरे धीरे समाप्त हो जाये और उसका दबदबा कायम रहे साथ ही उनका भ्रष्टाचार का धंधा भी चलता रहे । आज इस अधिकार या कानून को सबसे बड़ा खतरा ऐसी ही शक्तियों से है। सुशासन की मंजिल तक पहुँचने के लिये इस कानून ने जो रास्ता बनाया है जरूरत है कि उस रास्ते में खड़ी भ्रष्टाचार की कँटीली झाडियों को इसकी सहायता से हटाये जाने का प्रयास निरन्तर जारी रहे जिसमें लोक तन्त्र की गाड़ी इस पर सरपट दौड़ सके। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाये कि साफ किये गये रास्ते में दोबारा ऐसी बाधाएँ न आने पायें। इसके लिये जरूरी है कि इस कानून में दिये गये कुछ अस्पष्ट प्रावधानों को और स्पष्ट रूप में परिभाषित किया जाये तथा सूचना आयोगों में बैठे सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को भी पारदर्शी बनाया जाये।

अपने लागू होने के समय से ही इस अकेले कानून ने केन्द्र सरकार ही नही राज्य सरकारों के उपक्रमों में हुए भ्रष्टाचार के अनेकों प्रकरणों का खुलासा करके उनकी विश्वसनीयता को सवालिया बना दिया है उससे परेशान होकर सरकार द्वारा इस कानून के पर कुतरने के प्रयास भी करने की कोशिश की गयी परन्तु इस कानून को जन आंदोलन बनाने वाले समाजिक कार्यकर्ताओं की जागरूकता और उनके पीछे खड़े व्यापक जन समर्थन के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया हैं। यह जन जागरूकता इस लिये जरूरी है ताकि इस कानून रूपी पौधे को हवा पानी और खाद मिलती रहे और यह एक ऐसा विशाल और मजबूत वृक्ष की तरह हो जाये जिसकी छाँव में हमारी आने वाली पीढियाँ सुकून से जी सकें। ईमानदारी और कर्त्तव्य निष्ठा के साथ न्याय के लिये सतत संघर्ष ही इसका खाद पानी है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा ''हम भारत के लोग'' ही साबित करता है कि लोक तन्त्र की असली मालिक तो जनता ही है। सरकारी, अधिकारी कर्मचारी और नेता वह सब तो जनता के सेवक हैं और सेवक अपने मालिक के प्रति सदैव जवाब देह है। सूचना के अधिकार कानून की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि उसने खुद को मालिक समझने

वाले नौकरशाहों को समझा दिया है कि मालिक कौन है। यह भारतीय संविधान से निकला अकेला ऐसा कानून है जिसने यह कर दिखाया है और जो किसी दूसरे कानून द्वारा संभव नहीं हो पाया था।

आज जनता इस कानून की ताकत को पहचान चुकी है। और इसका सकारात्मक प्रयोग कर रही है। परिणाम भी अच्छा आ रहा है। परन्तु अभी भी नौकरशाही की ढीठता या बेशर्मी देखने में आ रही है जहाँ न्यायालयों के आदेश के पालन में भी ढिलाई बरती जाती दिखायी दे रही है। इसका भुक्त भोगी होने की पीड़ा मुझे भी उठानी पड़ी है जहाँ मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के मुख्य न्यायाधीश के आदेश का पालन कराने में मुझे विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के कार्यालय के न जाने कितने चक्कर लगाने पड़े हैं। मामला जब उत्तराखण्ड राज्य, सूचना आयोग में पहुँचा तो, मा० सूचना आयोग के हस्तक्षेप से मात्र 15 दिन में उक्त निर्णय का अनुपालन संभव हो सका। अपने व्यक्तिगत हित के लिये संघर्ष करते हुए कब सूचना का अधिकार का यह प्रयोग जनहित की सूचना माँगने के लिये किया जाने लगा इस बात का विवरण ही आर.टी.आई. क्लब की स्थापना का इतिहास हैं जहाँ मैने अनुभव किया कि यद्यपि यह कानून नितान्त व्यक्तिगत है और भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने लोक प्राधिकारियों से सूचना पाने का अधिकार देता है किंतु यदि प्रयास को सामूहिक हित के लिये सामूहिक रूप से किया जाये तो अधिक प्रभावी हो सकता है यही आर.टी आई. क्लब भी स्थापना के विचार का कारण बना।

संस्था की शुरूआत करने का जब विचार आया तो लोगों को इस विचार से अवगत कराकर जोड़ने का प्रयास किया गया तथा जुडने वाले व्यक्तियों में दूरदर्शन के सेवा निवृत डायरेक्टर (इंजीनियर) श्री अरूण कुमार एवं उनके बाद श्री अतुल जैन एवं श्री एस.पी. डोभाल, श्री वी.पी. पोखरियाल, श्री पी.बी.भटनागर श्री के.के. गोयल आदि के साथ मिलकर 09/5/2009 को आर.टी.आई. क्लब की नींव डाली गयी तथा इसका उद्घाटन भी दिनांक 09/05/2009 को श्री आर.एस. टोलिया (तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड राज्य) द्वारा किया गया । डॉ0 टोलिया ही अपने पद से सेवा निवृत होने के पश्चात इस क्लब के संरक्षक भी बने और अभी तक उन्हीं के सरंक्षण में क्लब अपनी विकास यात्रा तय कर रहा है। आज क्लब के सदस्यों का विस्तार उत्तराखण्ड ही नहीं उत्तराखण्ड से बाहर उत्तर प्रदेश व हरियाणा पहुँच चुका हैं।

क्लब की स्थापना के दिन से ही हमारा यह प्रयास रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग व्यापक जन हित से संबंधित सूचनाओं के प्रकटन में किया जाना चाहिये। यही कारण है कि क्लब के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से माँगी गयी सूचनाऐं भी व्यापक जन हित में ही माँगी जा रही हैं। आर.टी.आई. क्लब उत्तराखण्ड का प्रारम्भ से ही यह लक्ष्य रहा है कि जनता को सूचना अधिकार के माध्यम से मिले उनके अधिकार के बारे में जागरूक किया जाये जिससे व सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खुलासों के लिये इसका प्रयोग करें व अपने हित व लोकहित की सूचनाओं को पा सकें। इसलिये इसकी सदस्यता सरकारी व गैर सरकारी या हर उस आम नागरिक के लिये खुली रखी गयी जो उसे मिले इस महत्वपूर्ण अधिकार का प्रयोग करने का इच्छुक है।

अपनी स्थापना की प्रथम वर्ष गाँठ पर मनाये जाने वाले समारोह में क्लब ने अपने द्वारा जनहित के लिये माँगी गई सूचनाओं व किये गये कार्यों का विवरण देते हुए एक पत्रक का प्रकाशन कर, समारोह में उपस्थित सदस्यों एवं अन्य उपस्थित नागरिकों को बाँटा जिसमें आर.टी.ओ. कार्यालय से ड्राईविंग लायसैंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को जनहित मे सुलभ बनाने की सूचना से लेकर नगर निगम से बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर व बिना इंश्योरैंस के नगर में घूमने वाले वाहनों के सम्बन्ध में सूचनाएं माँगी गई जिनके फलस्वरूप निगम द्वारा वाहनों के रजिस्ट्रेशन व इंश्योरैंस की कार्यवाही शुरू हुई। रेशम विकास विभाग/रेशम निदेशालय, प्रेम नगर से प्राप्त सूचना से विभाग की बदहाल स्थिति का प्रकरण सामने आया। केन्द्रीय सरकार के पेशंनर्स को सी.जी.एच.एस. सुविधा न मिलने वाले स्थानों पर सौ रूपये प्रतिमाह मेडिकल एलाउंस उनकी पेंशन राशि के साथ मिलने के प्रावधान की जानकारी से कई पेंशनर्स को फायदा हुआ। माँगी गयी सूचनाओं से यह भी ज्ञात हुआ कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले आर.टी.आई. प्रार्थना पत्रों को कई डाकघरों से मुफ्त में भेजे जाने का प्रावधान है जिसका बहुत से लोगों का पता नहीं था इस प्रकार की कई जनहितकारी सूचनाओं को पत्रक में प्रकाशित किया गया। क्लब की दूसरी वर्ष गाँठ तक आते आते सूचनाऐं माँगने के आवेदनों की संख्या बढ़ती गयी और माँगी गयी सूचनाओं का दायरा बढ़ता गया। इस अवसर पर किये गये समारोह में क्लब द्वारा एक स्मारिका का प्रकाशन किया गया। जिसमें क्लब की गतिविधियों के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी जनहितकारी सूचनाओं का प्रकाशन किया गया।

वर्ष 2011 के समारोह के बाद से इस वर्ष इस वर्तमान समारोह के अवसर पर यह स्मारिका प्रस्तुत करने के समय तक क्लब के कार्य व आकार में बहुत वृद्धि हुई है। कई महत्वपूर्ण आर.टी.आई. निवेदनों के बाद जहाँ कई अनियमिताओं के

मामले सामने आये हैं तो लोकहित के कई मामलो पर सरकारी उदासीनता और लोकहित की उपेक्षा के मामले भी सामने आये हैं।

उदाहरण के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग न. 72 डोईवाला सौंग नदी पर बने पुल की लागत 221 लाख रूपये के विपरीत माँगी गयी सूचना के दिनांक तक पथकर के रूप में शासन द्वारा 1100 लाख रूपये वसूलने के बावजूद विभाग उस पर लिये जाने वाले कर को न लिये जाने के लिये तैयार नहीं है का तथ्य प्रकाश में आया तो क्लैमैनटाऊन स्थित तिब्बती कालोनी के भू-स्वामित्व, दान पट्टा, विद्युत कनैक्शन व पानी कनैक्शन के सम्बन्ध में व्यापक अनियमिताओं के खुलासों की संभावना है। उक्त अपील अभी सूचना आयोग में लम्बित हैं।

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन द्वारा भारतीय रेल मंत्रालय की अनुमति के बिना ही विभिन्न स्थानों पर 11 के. वी. से लेकर 33 के.वी. तक की हाईटैंशन विद्युत लाईनों का रेलवे ट्रैक से नीचे से गुजारने का मामला क्लब की ओर से दाखिल आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से खुलकर सामने आया तो इसी पावर कारपोरेशन द्वारा प्रतिवर्ष बढ़ी हुई विद्युत दरों का बोझ उपभोक्ताओं पर डालते हुए स्वयं विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा विद्युत उपभोग के नाम पर भारी मात्रा में किये जा रहे दुरूपयोग का खुलासा आर.टी.आई. के माध्यम से किया गया। क्लब की ओर से डाले गये एक और आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से उत्तराखण्ड परिवहन निगम से यात्रा टिकटों के साथ लिये जा रहे यात्री बीमा राशि एवं यात्री सुविधा शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि का निगम की स्थापना से अब तक का हिसाब माँगा गया तो बहुत ही चौंकाने वाले आँकडे प्राप्त हुए जहाँ लगभग 30 करोड़ रूपयों की संचित राशि से यात्री दुर्घटना सहायता के नाम पर मनमाने ढंग से, नियमों के विरूद्ध लाखों रूपयों की बन्दरबाँट का खुलासा समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया तथा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि ली जाने वाली राशि का बीमे से कोई सम्बंध नहीं है। वह यात्री दुर्घटना अधिभार के रूप में ली गयी है तथा इस दुर्घटना अधिभार राशि को दुर्घटना ग्रस्त यात्रियों को दिये जाने में गंभीर अनियमिताएं सामने आयीं तथा पचास हजार रूपयों तक की राशि को सारे नियमों को ताक पर रखकर मात्र एक रूपये के रसीदी टिकट पर हस्ताक्षर या अगूँठा लगा कर भुगतान करने का तथ्य प्रकाश में आया।

इस प्रकाश में सूचना आयोग में लम्बित अपील पर अनुकूल निर्णय न आने पर विभाग द्वारा की जा रही अनियमितताओं के खुलासे के लिये क्लब की ओर से पुनः आर.टी.आई. के अन्तर्गत आवेदन कर सूचनाऐं माँगी गयी हैं जिनसे इन व्यापक अनियमितओं का खुलासा हो सकेगा। इस संबंध में एक जनहित का कार्य यह भी हुआ है कि उत्तराखण्ड परिवहन के महाप्रबंधक (संचालन) की और से यह आदेश दिया गया है कि निगम की बसों में अन्दर यह सूचना लिखित चस्पा की जायेगी कि दुर्घटना की अवस्था में मृतक के आश्रित को 10 हजार, गंभीर घायल यात्री को 5 हजार तथा साधारण चोटिल यात्री को एक हजार रूपये की सहायता विभाग की और से दी जायेगी। यह निर्णय क्लब के महासचिव के अमर.एस. घुन्त के साथ परिवहन निगम के अधिकारियों की एक बैठक दिनांक 23/04/2012 (निगम के मुख्यालय मे आहूत) में लिया गया। निगम के महाप्रबन्धक (संचालक) श्री आशीष कुमार द्वारा पत्रांक 782/ एच.क्यू./संचालन/दुर्घटना अधिभार/577/12 दि. 24 अप्रैल 2012 के माध्यम से निगम के तीनों मण्डलों को इसके सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।

क्लब से जुडे सदस्य श्री शांति प्रसाद भट्ट जो ओ.एन.जी.सी. महिला पॉलीटैक्निक के कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी भी हैं तथा कर्मचारी हितों के लिये संघर्ष करने में बहुत जागरूक हैं के द्वारा आर.टी.आई. के अन्तर्गत माँगी गयी सूचनाओं के उत्तर में उक्त संस्थान ने अपने को आर.टी.आई. कानून से आच्छादित न मानते हुए सूचनाऐं देने से मना कर दिया जिसके फलस्वरूप की गयी द्वितीय अपील में मुख्य केन्द्रीय सूचना आयुक्त श्री एम.एल. शर्मा ने निर्णय दिया कि ''संदेह निवारण के लिये घोषित किया जाता है कि उक्त महिला पालीटैक्नीक एक लोक प्राधिकारी है और भविष्य में इसे सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी माना जायेगा''।

जनहित में माँगी गयी सूचनाओं के संदर्भ में 09/06/2011 का बिंदाल नदी पर हुए अतिक्रमण के सम्बन्ध मे माँगी गयी सूचनाओं को नगर निगम द्वारा न दिये जाने पर आयोग में की गयी अपील पर दिये गये निर्देशों के बावजूद सूचनाऐं न दिये जाने की हठधर्मिता के विरूद्ध क्लब का संघर्ष अभी जारी है।

इस प्रकार क्लब लगातार विभिन्न लोक हित के मुद्दों पर आर.टी.आई. कानून का उपयोग कर रहा है। जिसका विवरण काफी विस्तृत है साथ साथ इस कानून के प्रति जन जागरूकता फैलाने के प्रयास में क्लब ने गत वर्ष जनपद स्तर पर

माध्यमिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के लिये एक निबन्ध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी कराया जिसमें विजेता प्रतिभागियों को सूचना अधिकार अधिनियम के प्रर्वत्तन की वर्षगाँठ पर किये गये आयोजन में निमंत्रित मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों के रूप में आये मुख्य सूचना आयुक्त श्री एन.एस. नपलच्याल, सूचना आयुक्त मा. श्री विनोद नौटियाल तथा विद्यालयी शिक्षा निदेशक मा. श्री सी.एस. ग्वाल द्वारा पुरस्कृत किया गया तथा संबोधित किया गया।

आर.टी.आई. क्लब के अन्य सदस्य भी अपने 2 स्तर से अलग अलग सम्बन्ध मे अलग-अलग विभागों से सूचनाएं माँग रहे हैं। जिनके द्वारा किये गये खुलासों को विभिन्न समाचार पत्रों में भी स्थान मिला है। तथा जिनका विस्तार से समाचार हम अपने ''सूचना अधिकार समाचार'' पत्र में करते आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में सूचना का अधिकार के संपादक श्री यज्ञ भूषण शर्मा जी के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है तथा साथ ही आर.टी.आई. के सम्बन्ध में उनके द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं उनका वर्णन करने के सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता है कि उनके कार्य को कुछ शब्दों की सीमा में बाँधने में मैं संकोच अनुभव करता हूँ। उन्हीं के सम्पादन में इस स्मारिका का प्रकाशन हो रहा है। आर.टी.आई. क्लब से जुड़े सभी सदस्य और सूचना का अधिकार समाचार के सभी पाठक ही उसका मूल्यांकन कर सकते हैं।

क्लब से जुड़े सदस्यों की सक्रियता के सम्बन्ध में जब लिख रहा हूँ तो जनहित की सूचना माँगने में सुरेन्द्र सिंह थापा का नाम आता है जो लगभग दो वर्षों में विभिन्न विभागों से लगभग 30 से अधिक आर.टी.आई के निवेदन लगा चुके हैं तथा लोकहित की सूचनाएं माँगने के अलावा पीड़ित पक्ष को राहत के लिये अन्य कई प्रकार के सहयोग करने के प्रयास में अपने निजी व्यवसाय में लगने वाले समय का भी दान करने से बाज नहीं आते हैं। क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री एस.पी. डोभाल जी आर.टी.आई. के माध्यम से टिहरी बाँध विस्थापितों की समस्याओं के निराकरण के साथ ही अनेक विभागों के भ्रष्टाचार का खुलासा कर चुके हैं। तथा जनपद टिहरी में आर.टी.आई. क्लब के कार्यों को विस्तार दे रहे हैं। क्लब के अन्य सदस्य श्री हरविन्दर सिंह छाबड़ा भी सक्रियता से आर.टी.आई. का उपयोग कर जनहित की सूचना माँगने के बाद मिली जनहित की सूचनाओं का प्रकाशन कराकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्य से इस वर्ष आर.टी.आई कार्यकर्त्ताओं की हत्या की वारदातों में उत्तराखण्ड जैसे शांत प्रदेश का नाम भी जुड़ा गया जब जिला हरिद्वार के फेरूपुर गाँव में आर.टी.आई. के सक्रिय कार्यकर्ता एवं भूतपूर्व अध्यापक श्री जगदीश चौहान की असामाजिक तत्वों द्वारा नृशंस हत्या कर दी गयी। पूरे प्रदेश को स्तब्ध करने वाली इस घटना की पुनरावृत्ति न हो और हत्यारों को कड़ा दण्ड दिलाये जाने की माँग को लेकर हमारे क्लब के अध्यक्ष श्री मैठाणी जी के नेतृत्व में क्लब के महामंत्री, पी.आर.ओ देश दीपक सचदेवा तथा सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह थापा आदि पुलिस उपमहानिरीक्षक से मिले और उन्हें एक ज्ञापन भी दिया और स्व0 श्री चौहान के हत्यारों को अतिशीघ्र कानून की गिरफ्त में लेकर कड़ा दण्ड दिलाने की मँाग की। क्लब के उक्त सदस्य हरिद्वार के तत्कालीन एस.पी. से भी मिले तथा थाना चौकी ईंचार्च फेरूपुर के साथ स्व0 श्री चौहान के घर गये और उनके परिवार के सदस्यों को आश्वासन दिया कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध श्री चौहान जी द्वारा किये गये संघर्ष को जरूरी रखा जायेगा। इस सबंधं में मा. मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड से भी मिला गया तथा उनसे इस प्रकरण में सी.बी.आई. से जाँच कराने का आग्रह किया गया जिस पर कार्यवाही अभी जारी है।

इस विस्तृत वर्णन के बावजूद क्लब से जुड़े सभी सदस्यों की गतिविधियों का विवरण इस कलेवर में सीमित करने में मुझे कठिनाई हो रही है। अंत मे मैं क्लब के सभी सदस्यों और सदस्यों की ओर से सभी से यह कहना चाहूँगा कि भविष्य में भी यह क्लब लोकहित की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मा. श्री डॉ. आर.एस टोलिया जी के सरंक्षण में तथा मा. श्री डॉ.बीपी. मैठाणी जी (अध्यक्ष, आर.टी.आई. क्लब उत्तराखण्ड) के नेतृत्व में जनता को मिले लोकहित के इस महत्वपूर्ण कानून 'सूचना का अधिकार' का प्रयोग करता रहेगा, आर.टी.आई. क्लब के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को इस शुभ अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

- जय भारत
अमर एस.घुन्ता
(महासचिव)

सम्पादक की ओर से -

आर0टी0 आई0 क्लब, उत्तराखण्ड की स्थापना की तीसरी वर्षगाँठ के अवसर पर, क्लब द्वारा मनाये जा रहे जयन्ती समारोह हेतु प्रकाशित इस स्मारिका को समारोह में उपस्थित सम्मानित अतिथियों, आर.टी.आई. कार्यकर्त्ताओं, सूचना का अधिकार कानून के सम्बन्ध में रूचि रखने वाले नागरिकों के साथ साथ लोक प्राधिकारियों के उपस्थित लोकसूचना अधिकारियों एवं आर.टी.आई.क्लब उत्तराखण्ड के सदस्यों को समर्पित करते हुए हम हर्ष का अनुभव कर रहे हैं।

अपने कलेवर व विषय वस्तु की दृष्टि से यह स्मारिका जनोपयोगी सिद्ध होगी तथा आर.टी.आई. कार्यकर्त्ताओं के लिये प्रेरणाप्रद होगी इस विश्वास के साथ हम अपने सीमित साधनों के सहारे 'सूचना का अधिकार' के क्षेत्र में किये गये अपने सदस्यों के कार्य कलापों का विवरण तथा उनके विचारों को लेकर सूचना का अधिकार अधिनियम व उसके कार्यान्वयन से सम्बन्धित अन्य जानकारियों के साथ आप तक पहुँच रहे हैं। आर.टी.आई. क्लब, उत्तराखण्ड की स्थापना, उसके उद्देश्य तथा उसके कार्यकलापों के सम्बन्ध में 'महासचिव की कलम से' शीर्षक में श्री अमर एस.घुन्ता द्वारा क्लब के बारे में दिये गये संक्षिप्त परिचय के साथ ही क्लब के अन्य सदस्यों व आर.टी.आई. कार्यकर्त्ताओं के विचारों व अनुभवों से हमारे सम्मानित पाठकों का परिचय होगा ऐसा हमें विश्वास है।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 अपने प्रवर्त्तन के छः वर्ष पूर्ण कर सातवें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। अपनी प्रभाविता की शक्ति व अपनी सीमाओं के बावजूद यह अकेला कानून स्वतन्त्र भारत के विधिक इतिहास का एक मात्र ऐसा कानून बन गया है जिसने लोकप्रियता के सारे कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए गणतान्त्रिक भारत के बासठ वर्ष के विधिक इतिहास को स्पष्टतः दो काल खण्डों में विभाजित कर दिया है। एक कालखण्ड 26 जनवरी-1950 से लेकर 11 अक्टूबर-2005 तक का इतिहास बना तो दूसरा 12 अक्टूबर-2005 से वर्तमान तक का कालखण्ड जो एक नये इतिहास व वर्तमान के रूप में हमारी लोकतान्त्रिक यात्रा का साक्षी बन रहा है।

काल का यह विभाजन अमूर्त या काल्पनिक नहीं है बल्कि एक प्रमाणिक यथार्थ है जहाँ एक ओर आजादी और अपनी ही संवैधानिक व्यवस्था के बावजूद भी ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था के पोषक काले कानून ''आफीशियल सीक्रेट एक्ट-1923'' के नाम पर 'गण' के अपने ही 'तन्त्र' ने न केवल 55 वर्षों तक 'गण' को अँधेरे में रखा बल्कि कानून के नाम पर थोपे गये इस अँधेरे में एक ऐसी भ्रष्ट और निरकुंश व्यवस्था को भी जन्म दिया जिसने 'गण' को गणतन्त्र के स्वामी से 'तन्त्र' का सेवक बना दिया।कानून के नाम पर बने जिस काले कानून का उपयोग कभी ब्रिटिश सरकार ने इस देश की स्वतन्त्रता के हर प्रयास को कुचलने के लिये किया था तो आजादी के बाद अपने ही 'तन्त्र' ने इसका उपयोग अपने निंरकुश भ्रष्टाचार को छिपाने के लिये किया उस भ्रष्टाधार को छिपाने के लिये, जिसने 'गणतन्त्र' या 'लोकतन्त्र' जैसे शब्दों को बेमानी बना दिया और 'गणतन्त्र' नाम की यह व्यवस्था भ्रष्ट सत्ता, भ्रष्ट नौकरशाही और भ्रष्ट

पूँजीपतियों की दुरभिसन्धि की कैदी होकर रह गयी। गणतन्त्र का 'गण' अपने 'तन्त्र' के भ्रष्ट आचरण का मूक दर्शक बन कर रह गया।

दूसरी ओर 12 अक्टूबर 2005 का दिन आजाद भारत को गणतान्त्रिक व्यवस्था के विधिक इतिहास का वह ऐतिहासिक दिन बना जिस दिन 'सूचना का अधिकार अधिनियम-2005' (**Act no**- 22 **of** 2005) या 'जानने का हक' नाम का कानून प्रभावी हुआ और पहली बार किसी एक कानून ने एक आम आदमी को भारतीय नागरिक के रूप में यह अधिकार दिया कि वह अपने 'तन्त्र' के 'लोक सेवकों' से उनके दायित्व और कार्यकरण के सम्बन्ध में उन विशेष जानकारियों को पा सके जो उसे वांछित हैं और जो उन लोकसेवकों के 'लोक प्राधिकारियों' के द्वारा धारित हैं किंतु जिन्हें वह इस कानून से पहले भारत के संविधान से निकली किसी भी विधि या कानून से प्राप्त नहीं कर सकता था। ऐसी जानकारियाँ, जिनका खुलासा न होने के कारण 'लोकतन्त्र' और 'सुराज' की अवधारणा 'भ्रष्ट तन्त्र और 'कुराज' के यथार्थ में बदल कर रह गयी।इस प्रकार यह कानून भारतीय विधि के इतिहास में ऐसा पहला कानून बना जिसने पहली बार 'तन्त्र' के लोक प्राधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की और 'लोक प्राधिकारियों' द्वारा धारित सूचनाओं तक लोक की पहुँच सुनिश्चित की।

स्वतन्त्र भारत के विधिक इतिहास में हुए इस क्रांतिकारी परिवर्तन ने कई दशकों से हाशिये पर डाले गये उपेक्षित और पीड़ित आम नागरिक के जीवन को एक नई ऊर्जा से भर दिया और उसने अपने को मिले इस अधिकार का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लोक द्वारा अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने के प्रयास के अलावा जब सामाजिक कार्यकत्ताओं द्वारा इसका प्रयोग व्यापक जनहित की सूचनाओं को माँगने में किया गया तो धीरे धीरे लोकतन्त्रीय व्यवस्था के खूबसूरत मुखौटे के पीछे छिपे विद्रूप और घिनौने चेहरों का सत्य सामने आने लगा। ऐक ऐसा सत्य जो लोकतन्त्र के 'लोक' की कल्पना से भी बाहर का सत्य था। ऐसा 'सत्य' जिसे लोकतन्त्र का तथा कथित चौथा प्रहरी और सामाजिक सरोकारों की प्रतिबद्धता का दावा करने वाला 'पत्र' और आज का 'मीडिया' भी इस कानून से पहले सामने नहीं ला सका था। वह 'मीडिया' जिसकी लोक सरोकारों के प्रति दिखायी गयी छद्म प्रतिबद्धता टू-जी स्पैक्ट्रम घोटाले व आदर्श सोसायटी घोटाले के खुलासों में नंगी हो चुकी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के प्रभावी होने के बाद से 'गण' के अपने ही 'तन्त्र' के भ्रष्टाचार और घोटालों के नित नये हो रहे खुलासों ने भारतीय गणतन्त्र के उस अन्तर्विरोध को सामने लाकर रख दिया जहाँ एक और ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, कला व खेलों अदि के क्षेत्र में अर्जित अनेक उपलब्धियों के साथ साथ लोकहित में चलायी जा रही अनेक योजनाओं की सफलता के दावे हैं तो दूसरी ओर सरकार के अधिकतर उपक्रमों में उसके द्वारा चलायी जा रही लोकहित की योजनाओं के कार्यान्वयन में हो रहे भ्रष्टाचार और घोटालों का अंतहीन सिलसिला है। मनरेगा जैसी विशाल रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन की दुर्दशा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भंडारण व्यवस्था में सड़ते हुए अन्न जैसी सड़ती हुई प्रबन्धन व्यवस्था और वितरण में हो रही धाँधलियों से लेकर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के जानलेवा घोटालों का सामने आया सच विकास और तरक्की के दावों की विश्वसनीयता को चुनौती दे रहा है।भ्रष्टाचार और

घोटालों के इस सच को सामने लाने में सूचना का अधिकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसी कारण ही यह कानून भ्रष्ट व्यवस्था, उसके पोषक और सर्मथक तथा उस पर पलने वाले भ्रष्टाचारियों की आँख की किरकिरी बन चुका है।

यहाँ भी सूचना का अधिकार कानून भारतीय विधि के इतिहास का एक मात्र ऐसा कानून बन गया है जिसके समर्थन में एक ओर लोक तन्त्र का विशाल 'लोक' है, जो चाहता है कि 'तन्त्र' के लोक प्रधिकारियों के कार्यकरण में पारदर्शिता और जबाब देही आये और उनके भ्रष्टाचार का खुलासा हो तो दूसरी ओर 'तन्त्र' के वे लोक प्राधिकारी हैं जिनके अँधेरे साम्राज्य में रोशनी का प्रवेश ही वर्जित रहा है, जबाबदेही और नंगे होने के भय से वे इसका विरोध कर रहे हैं और यह विरोध का तरीका सुनियोजित ओर अप्रत्यक्ष होने के कारण बहुत खतरनाक भी है। विरोध के इस तरीके में लोकप्राधिकारियों के लोकसूचना अधिकारियों और प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारियों से लेकर सूचना आयोगों में बैठी नौकरशाही तक शामिल है। सूचना का अधिकार कानून के मूल उद्देश्य की उपेक्षा करते हुए केवल इसकी कमजोरियों का लाभ उठाने की इस प्रवृत्ति का खुलासा इसी लेख में आगे किया जायेगा।

वैसे तो किसी कानून की प्रभाविता या शक्ति का भविष्य कानून के निर्माण की विधायी प्रकिया में ही तय हो जाता है जिसको विस्तार देना यहाँ प्रासंगिक नहीं है। कितुं केवल 'सूचना का अधिकार' के उद्देश्य और उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जब हम विचार करते हैं तो इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कानून का उद्देश्य '' प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में उत्तरदायित्व में अभिवृद्धि तथा उसमें पारदर्शिता लाने हेतु लोक प्राधिकारियों के नियत्रंण सम्बन्धी सूचना की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु नागरिकों के अधिकार विषयक शासन व्यवस्था स्थापित करने हेतु एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन करने हेतु और उनसे संबन्धित विषयों का उपबन्ध करने हेतु एक अधिनियम'' से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इस कानून का उद्देश्य शासन के लोक प्राधिकारियों के उत्तरदायित्व में वृद्धि करते हुए उनके कार्य में पारदर्शिता लाना है जिसके लिये यह जरूरी है कि उन लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में उनके कार्यकलापों से सम्बन्धित जो सूचनाएं हैं वे उस आम नागरिक की आसानी से पहुँच में हों, जो उन्हें पाना चाहता है। इतना ही नहीं उन सूचनाओं को पाने की स्पष्ट कार्यविधि से लेकर अंतिम लक्ष्य 'सूचना की पहुँच' तक पहुँचने के लिये- सूचना आयोगों की स्थापना से लेकर उनकी कार्यविधि व निर्णय प्रक्रिया सम्बन्धी सभी व्यवस्थाओं/ अधिकारों का स्पष्ट रूप से विवेचन किया गया है। केवल एक कानून के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिये अलग से एक न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करना इस कानून के महत्व को प्रदर्शित करता है।

प्रत्यक्षत: व्यवहार में सामान्य सूचनाओं से लेकर उन सूचनाओं को पाने में , जिनसे किसी लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में किसी व्यापक भ्रष्टाचार का खुलासा न हो, लोक प्राधिकारियों के लोकसूचना अधिकारियों द्वारा सूचना दी जा रही हैं किंतु जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास किया जाता है ,लोक प्राधिकारियों के लोकसूचना अधिकारियों द्वारा बिना किसी तर्क या आधार के अधिनियम की धारा-8,9 व 10 के उपबन्धों के बचाव सूचनाएं न देने के पक्ष में दिये जाते हैं। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने से बचने के लिये, उक्त अधिनियम के प्रावधानों को तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में देना, अपूर्ण या

असंगत सूचनाएं देना या सूचनाएं न देना सब कुछ चल सकता है क्योंकि उसके अपने किसी भी कृत्य के लिये अधिनियम में उसे दण्डित किये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध जब विभागीय प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जाती है तो अधिनियम में अपीलीय अधिकारी के कृत्य/अधिकार स्पष्ट न होने के कारण तथा उसकी निश्चित जबाबदेही निर्धारित न होने के कारण अधिकतर प्रथम अपीलों पर निर्णय में लोक सूचना अधिकारी के पक्ष का ही बचाव किया जाता है। व्यवहार में बहुत कम ऐसा देखने में आया है जहाँ विभागीय प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने लोकसूचनाअधिकारी को सूचना के प्रकटन का आदेश दिया हो। यद्यपि कुछ प्रथम अपीलीय अधिकारियों ने अधिनियम की मूलभावना के अनुरूप निर्णय दिये हैं।

लोकसूचना अधिकारी व विभागीय प्रथम अपीलीय अधिकारी को अधिनियम द्वारा निश्चित समय सीमा में निर्णय देने के लिये बाध्य किया है। जिसका पालन न होने पर भी लोक सूचना अधिकारी को दण्डित किया जा सकता हैं। परन्तु यह दण्ड प्रथम अपीलीय अधिकारी पर भी लागू हो या नहीं, उसका विशेष दायित्व और क्या हो जिससे सूचना के निवेदनकर्त्ता को लोक प्राधिकारी के स्तर से ही सूचना मिल जाये और द्वितीय अपीलों की बाढ़ सूचना आयोगों में न पँहुचे इसके सम्बन्ध में उक्त अधिनियम में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है । इस प्रकार धारा–19 (1) के प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और न ही विभागीय अपीलीय अधिकारी को किसी दायित्व में बाँध कर उसकी कोई स्पष्ट जबावदेही निश्चित करते हैं। इस निश्चित जबाबदेही के अभाव में सूचना के निवेदनकर्त्ता का 45 दिन का अतिरिक्त समय बर्बाद होता है अत: जरूरी है की प्रथम अपील की विस्तृत और जवाबदेही पूर्ण प्रक्रिया को अधिनियम में शामिल किया जाये।

विभागीय अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध जब दूसरी अपील(धारा–19(3) केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोगों में पहुँचती है तो 'सूचना आयोगों' पर समय सीमाबद्ध निर्णय देने की बाध्यता न होने के कारण , इस अधिनियम की मूल भावना की बर्बादी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जहाँ लम्बें समय तक अपीलें लटकती हैं।अन्तरिम निर्णयों के नाम पर प्रक्रिया लम्बी खिंचती है और दिये गये निर्णयों में यह कहीं नहीं लिखा होता कि निर्णय अन्तरिम है या अंतिम है। अपील कर्त्ता द्वारा दिये गये तथ्यों की उपेक्षा करते हुए दिये गये निर्णय के विरूद्ध सूचना आयोग को की गयी शिकायत तथा शिकायत पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में जानने के लिए 'सूचना का अधिकार' के अन्तर्गत किये गये निवेदन के बावजूद सूचनाएं नहीं मिलती हैं। केन्द्रीय सूचना आयोग के इस निरंकुश रवैये के विरूद्ध हम वर्षो से लड़ रहे हैं। यह इस कानून का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन सूचना आयोगों को इस अकेले कानून का अनुपालन लोक प्राधिकारियों से सुनिश्चित कराने का दायित्व दिया गया है वे ही इस अधिनियम की मूल भावना को बर्बाद करने पर तुले हैं।

'उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग' में कई बार अपना पक्ष प्रस्तुत करते समय हमने सूचना आयुक्तों के माध्यम से न केवल सूचनाएं ही प्राप्त करायी हैं अपितु भ्रष्टाचार के प्रकरणों में विभागीय जाँच के आदेश भी कराये हैं। अपवादों के बावजूद आज भी इस राज्य में लोकहित प्रधान निर्णय आ रहे हैं तथा अपीलों की फाईलों पर अन्तिम निस्तारण तक एक ही फाईल संख्या/ केस संख्या लिखे जाने के कारण वैसी हेराफेरी की सम्भावना नहीं दिखायी देती है जैसी केन्द्रीय सूचना आयोग में चल रही है जिसके खुलासे के लिये हमारा

लगातार प्रयास जारी है।

अधिनियम में सूचना आयोगों के स्पष्ट कर्त्तव्य और अधिकार होने के बावजूद 'सूचना का अधिकार' जैसे महत्वपूर्ण और लोकहित के कानून में निर्णयों में लगने वाली देरी का उचित कारण कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि न तो इस कानून में दीवानी व फौजदारी के न्यायालयों में चलने वाले वाद की तरह गवाहों की जरूरत है, न साक्ष्यों के लिये पुराने अभिलेखों या पुलिस की जाँच की रिपोर्ट की, न ही पैरवी के लिये किसी वकील की जरूरत है और न ही इसमें किसी एक पक्ष के उपस्थित होने या न होने पर नई तारीखें लेने को अर्जी अदालत में जमा कराने की जरूरत है। इस पर भी यदि सूचना आयोगों में अपीलें लम्बित हो रही हैं तो यह दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है। इससे निपटने के लिये द्वितीय अपीलों के अन्तिम निस्तारण की भी कोई निश्चित समय सीमा और निश्चित जवाबदेही होनी चाहिये। आखिरकार सूचना आयोगों के निर्णयों के विरूद्ध अगली लड़ाई सक्षम न्यायालयों में जानी ही है। सूचना के अधिकार अधिनियम में इस बात का कोई प्रावधान दिखायी नहीं देता कि लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना आयोग के निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में जाने में पर, अपील कर्त्ता के पक्ष की लड़ाई , जो आयोग की अपनी लड़ाई बन जाती है, उसमें आयोग द्वारा अपना पक्ष रखने की कार्यवाही से अपीलकर्त्ता / शिकायत कर्त्ता को भी अवगत कराया जायेगा या नहीं!

यही नहीं अपने निर्णय देने के बाद सूचना आयोग यह भी देखने की जरूरत नहीं समझते कि निर्णय का पालन हुआ है या नहीं। इस सम्बंध में शिकायतें करने और रिमाइंडर देने पर भी केंन्द्रीय सूचना आयोग ने तो मानों बेशर्म चुप्पी ही साध ली है। आखिर निरंकुश नौकरशाही का बिगड़ता क्या है?

सूचना का अधिकार अधिनियम 'सूचना न देने पर ''लोक प्राधिकारी'' के ''लोक सूचना अधिकारी'' को ही दण्डित करने का प्रावधान (धारा.20) रखता है, जबकि महत्वपूर्ण सूचनाएं लोक प्राधिकारी के उच्च व सर्वोच्च पदों पर आसीन अध्यक्ष या ऐसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के अधिकार में संरक्षित होती हैं ऐसी स्थिति में केवल लोक सूचना अधिकारी को दण्डित करके अर्थदण्ड आरोपित करने से अधिक महत्वपूर्ण है माँगी गयी सूचनााओं का प्रकटीकरण। यदि यह सिद्ध हो जाये कि लोक प्राधिकारी के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा सूचना देने में बाधा उत्पन्न की जा रही है तो उसके लिये उस अधिकतम आर्थिक दण्ड , जो लोकसूचना अधिकारी पर आरोपित किया जाता है, से कम से कम दस गुणा अधिक आर्थिक दण्ड उक्त पदाधिकारी पर आरोपित करने के साथ साथ उसे भारतीय दण्ड संहिता के अर्न्तगत दण्डित किये जाने का प्रावधान किया जाना जरूरी है जिससे 'सूचना का अधिकार कानून ' के उल्लंघन का साहस लोक प्राधिकारी भी न कर सकें।

सूचना का अधिकार अधिनियम के लागू होने के छह वर्ष बाद भी यदि लोक प्राधिकारियों द्वारा धारा-4 के प्रावधानों का भी पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है तो ऐसी अवस्था में भ्रष्टाचार पर अकुंश कैसे लग सकता है। वास्तविकता तो यह भी है कि सूचना के अधिकार के नाम पर इसके लिये कार्य करने वाले कार्यकर्त्ता इसी लिये हतोत्साहित किये जा रहे हैं, मार दिये जा रहे हैं कि वे उस भ्रष्टाचार का खुलासा करने में लगे हैं जिसे भ्रष्टाव्यवस्था और उसके समर्थक हर हालत में दबाये रखना चाहते हैं और सूचना आयोगों की उपेक्षा तथा न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाली देरी इस प्रवृत्ति को जाने अनजाने पोषित करने में लगी है।

-जयहिन्द यज्ञभूषण शर्मा

सूचना का अधिकार कानून के क्रियान्वयन में उभरती चुनौतियाँ

■डॉ0 बी.पी.मैठाणी, अध्यक्ष, आर.टी.आई क्लब, उत्तराखण्ड

सूचना का अधिकार कानून शासकीय जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। इस कानून के लागू होने से नागरिक अधिकारों की चेतना की एक नई लहर पैदा हुई है। पहली बार शासक और शासित के बीच के सम्बन्धों का समीकरण परिवर्तित हुआ है। शासन तंत्र के क्रियाकलापों की जानकारी हासिल करना आम नागरिक का अधिकार और निर्धारित समय पर जानकारी उपलब्ध कराना अधिकारियों का दायित्व सुनिश्चित हुआ है। पिछले सात वर्षो के अन्तराल में देश भर में करोड़ों नागरिकों ने इस नव सृजित उपकरण का प्रयोग कर जटिल प्रक्रियाओं के जाल में फँसे व वर्षो से लम्बित प्रकरणों के समाधान से राहत की साँस ली है। भ्रष्टाचार और भेदभाव जनित अनियमितताओं पर कुछ अंकुश लगा है। विभिन्न स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के खुलासों से धीरे धीरे ही सही अब लोक प्राधिकारियों में यह धारण प्रबल होती जा रही है कि सूचना का अधिकार एक धरातलीय सच्चाई है और किसी भी कार्य और निर्णय में इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है।

लेकिन इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सूचना का अधिकार कानून के क्रियान्यवन में कई दुश्वारियां अभी विद्यमान हैं। यद्यपि इस कानून का प्रयोग मुख्यत: आम नागरिकों द्वारा किया जाना अपेक्षित है परन्तु आम आदमियों को इसके प्रयोग की विधि मालूम न होने से या तो अधिकांश लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं या यदि कोई करते भी हैं तो उन्हें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए सूचना के अधिकार का प्रयोग अधिकतर व्यवसायिक वर्ग द्वारा ही निजी हितों के प्रकरणों में अधिक किया जा रहा है जिससे इस कानून का प्रवर्तन अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गया है। दूसरी ओर लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना के अनुरोधों को अपने विरूद्ध पड़ताल, वैमनस्यता या अविश्वास के रूप में देखा जाता है। इसलिए वे नागरिकों को प्राप्त इस अधिकार का स्वागत नहीं करते हैं। इसके अनुपालन में लोक प्राधिकारियों का काफी समय साधन भी व्यय होता है। अधिकांश विभागों व निकायों में संसाधनों की किल्लत है। विशेषकर मानव संसाधन स्वीकृत मानकों से बहुत कम हैं। ऐसे में उन्हें अपने विभागीय कार्यो के लक्ष्यों को पूरा करने में ही कठिनाई होती है। ऊपर से सूचना का अधिकार के काम की बाध्यता व उसमें समय और धन का व्यय होना स्वाभाविक तौर पर खलता है।

समय और साधनों के अभाव और व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण कभी-कभी चाहते हुए भी लोक प्राधिकारी निवेदित सूचना को समय पर देने में असमर्थ होतें हैं। ऐसी स्थिति में सूचना आयोग में शिकायत या अपीलों का दौर शुरू होने पर बार-बार सुनवाई के लिए एक अपराधी की तरह उपस्थित होने पर उनके अहम को ठेस लगती है। इससे बचने के लिए अधिकारियों में लोक सूचना अधिकारी या प्रथम स्तरीय अपीलीय अधिकारी के दायित्व से मुक्त होने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है। परिणामस्वरूप प्रारम्भ में जहाँ अपर सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी नामित हुए थे। धीरे-धीरे यह दायित्व गिरते हुए क्रमश: अनुभाग अधिकारी और अनु सचिव स्तर के कनिष्ठ अधिकारियों को सौंपा जा रहा है। स्वाभाविक है कि जब कनिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा जायेगा तो अनुरोधों के निस्तारण की गुणवत्ता प्रभावित होगी। उच्च अधिकारियों की उदासीनता के कारण ''सूचना के अधिकार'' के प्रभावी प्रवर्तन में गतिरोध पैदा हो गया है।

जहाँ नीति निर्धारण स्तर पर इस अधिनियम की आवश्यकता और उपयोगिता को निर्विवाद स्वीकार कर लिया गया है, वहीं कार्यान्वयन के स्तर पर सूचना का अधिकार कानून अभी भी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा निर्बाध रूप से अपना काम करने के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा माना जा रहा है। साथ ही कुछ लोगों द्वारा सूचना के अधिकार का प्रयोग निजी स्वार्थो की सिद्धि या व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा अथवा रंजिश के कारण दूसरों को हानि व क्लेश पहुंचाने के लिए भी किया जा रहा है। इससे लोक प्राधिकारियों में सूचना के अधिकार के प्रति नकारात्मक मानसिकता बढ़ रही है, जिससे सूचना देने में रूकावट पैदा करने की प्रवृति को बढ़ावा मिला है। इससे अधिनियम की प्रस्तावना में व्यक्त की गयी यह शंका कि वास्तविक व्यवस्था में सूचना के प्रकटन से दक्ष प्रशासन, सीमित वित्तीय संसाधनों पर दबाव व संवेदनशीन सूचना की

गोपनीयता बनाये रखने में कठिनाईयाँ हो सकती हैं कुछ हद तक सही सिद्ध हो रही है।

दूसरी ओर सूचना के अधिकार के प्रयोग से निहित स्वार्थों और भ्रष्ट तत्वों के हितों को चोट लगने से समाज में आपराधिक प्रवृतियां भी बढ़ रही हैं। देश में अब तक सूचना के अधिकार में सक्रिय 15 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और कई अन्य सूचना माँगने वालों को जान से मारने की धमकियाँ मिली हैं। अपराधिक तत्वों की धृष्टता यहाँ तक बढ़ गई है कि वे न केवल सूचना माँगने वालों को डराने व धमकाने की चेष्टा करते हैं अपितु सूचना आयुक्तों को भी ''देख लेंगे'' की धमकी देने लग गये हैं। सूचना का अधिकार कानून के कार्यान्वयन में यह सबसे बड़ी चुनौती उभरकर आई है।

सूचना के अनुरोधों और अपीलों की निस्तारण की प्रक्रिया पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। सूचना का अधिकार कानून के सिद्धान्त के अनुसार वांछित सूचना प्राप्त करने में अधिकतम तीन माह का समय लगना चाहिए। लेकिन वास्तविक रूप से सूचना प्राप्त करने में बहुत अधिक समय व्यय हो रहा है। फिर भी अभ्यार्थियों की जिज्ञासाओं का संतोषजनक समाधान नहीं हो रहा है। इससे इस कानून के प्रति नागरिकों के मन में उदासीनता और निराशा का भाव पैदा हो रहा है। इसका एक प्रमुख कारण लोक सूचना अधिकारियों द्वारा समय पर पूरी सूचना न देना है। जिसके कारण अनुरोधकर्ताओं को प्रथम व द्वितीय अपीलों का सहारा लेना पड़ता है।

अधिकांश प्रथम स्तरीय अपीलें मात्र खानापूर्ति होती हैं। प्रथम स्तरीय अपीलों का निस्तारण विधि संगत न होना सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया की सबसे कमजोर कड़ी है जिसके कारण प्राय: सभी असंतुष्ट अनुरोधकर्ताओं को सूचना आयोग में द्वितीय अपील करनी पड़ती है। दरअसल यह कमजोरी मूलत: अधिनियम की धारा-19 के प्राविधान में ही है जिसमें प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियों और दयित्वों का उल्लेख नहीं किया गया है। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भी प्रथम अपील की प्रक्रिया को कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। इस कमजोरी के कारण प्रथम अपील व्यवस्था से सूचना प्राप्त करने में समय बरबाद बरने के अलावा कुछ अधिक हासिल नहीं होता है।

द्वितीय अपील प्रक्रिया भी आवश्यकता से अधिक समय ले रही है। माना कि अधिनियम में सूचना आयोग में सुनवाई के लिए कोई अवधि तय नहीं की गयी है। परन्तु सूचना आयुक्तों की शक्तियों और अधिनियम की भावना को देखते हुए इस प्रक्रिया में इतना अधिक समय नहीं लगना चाहिए कि सूचना प्राप्त करने का लाभ ही समाप्त हो जाय अथवा सूचना मांगने वालों का मनोबल ही गिर जाय। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदित सूचना को उचित समय में उपलब्ध कराने के लिए जितनी सख्ती होनी चाहिए उसको व्यवहार में लाने के लिए सूचना आयुक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जिससे एक ही प्रकरण में कई सुनवाइयाँ होती हैं और सूचना देने की अवधि लम्बी होती जा रही है। एक समाचार के अनुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग के लोक सूचना अधिकारियों का वर्ष के 365 दिनों में से 120 दिन तक का समय सूचना आयोग की सुनवाईयों मे ही लग रहा है। यह देखा गया है कि सूचना समय पर न दिये जाने पर लोक सूचना अधिकारी को दंण्डित करने के बजाय सूचना मांगने वालों को क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है। क्षतिपूर्ति उस विशेष परिस्थिति के लिये प्राविधानित है, जिसमें सूचना समय पर न मिलने के कारण अनुरोधकर्ता को अत्यधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। समय पर सूचना न देने के लिये लोक सूचना अधिकारी को दण्डित किया जाना इस कानून के प्रभावी प्रवर्तन के लिये अति आवश्यक है। यह भी देखा गया है कि जहाँ लोक सूचना अधिकारियों को दण्डित किया भी जाता है वहाँ दण्ड की राशि अधिनियम के प्राविधान के अनुसार न तय कर स्वच्छन्द रूप से तय की जाती है, जिससे समानता के सिद्धांत की अवहेलना हो सकती है।

सपष्ट है कि सूचना का अधिकार कानून के कार्यान्वयन में कई विसंगतियाँ पैदा हो गयी हैं जो इसके सफल प्रयोग में चुनौतियां पैदा कर रही हैं। इनमें अधिकांश कमियाँ लोक प्राधिकारियों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने से पूरी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए अधिनियम की धारा चार में लोक प्राधिकारियों की बाध्यताओं का उल्लेख है। इन प्राविधानों को ही यदि पूर्ण मनोयोग व प्रतिबद्धता से कार्यान्वित किया जाय तो आधी कठिनाईयाँ स्वत: दूर हो सकती हैं। ऊच्च अधिकारियों द्वारा सूचना के अधिकार के कार्यान्वयन के दायित्व से अपने को अलग करना उचित नहीं है। यह समस्या का समाधान नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि ऊच्च अधिकारी इस कानून की भावना को समझते हुए इसके क्रियान्वयन को प्राथमिकता दें और प्रतिदिन अपना कुछ समय इस विषय पर विचार विमर्श पर खर्च करें। इसके लिये नियमावली में यह

प्राविधान किया जा सकता है कि हर लोक प्राधिकारी स्तर पर प्रथम अपील अधिकारी कार्यालय का वरिष्ठतम अधिकारी ही होगा। जब तक उच्च अधिकारियों की बाध्यता सुनिश्चित नहीं होती तब तक आधिनियम के कार्यान्वयन में सुधार और गति उत्पन्न नहीं हो सकती। दूसरा सुधार प्रथम अपील स्तर पर करने की आवश्यकता है। या तो प्रथम स्तरीय अपील के प्राविधान को समाप्त किया जाय अथवा इसकी औपचारिक अपील निस्तारण प्रक्रिया निर्धारित की जाय। प्रथम अपील स्तर प्रभावी होने से सूचना आयोगों पर दबाव कम होगा और सूचना प्राप्त करने का समय घट जायेगा। कानून लागू हुए सात वर्ष बीतने के बाद भी अभिलेखों के रखरखाव की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। जाहिर है कि लोक प्राधिकारियों द्वारा इस बाध्यता को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इसी तरह धारा 4(1)(ब) के अन्तर्गत लोक सूचना निर्देशिकाओं की गुणवत्ता भी अभी तक नहीं सुधर पाई है। अनुरोधकर्ताओं द्वारा जो सूचनायें माँगी जाती हैं वे सूचनायें मैनुअल्स में उपलब्ध नहीं होती हैं। फलस्वरूप प्रत्येक अनुरोध पर प्रत्येक बार समय लगाना पड़ता है। यदि सात वर्ष के अन्तराल में लोक प्राधिकारियों से जो सूचनायें माँगी गयी हैं उनको संकलित कर 17 वें मैनुअल में समैकित किया जाये तो सूचना देने में आगे कोई कठिनाई नहीं होगी।

★★★

आर.टी.आई. क्लब, उत्तराखण्ड की जनपद टिहरी की इकाई से

■एस.पी.डोभाल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
आर.टी.आई. क्लब,उत्तराखण्ड

आर.टी.आई. क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं 'सूचना अधिकार समाचार' की परामर्शदायी समिति के सदस्य श्री शंभु प्रसाद डोभाल जी नगर निगम से सेवा निवृत्त होने के बाद सामाजिक कार्य करते हुए अपने क्षेत्र टिहरी गढ़वाल की क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिये सक्रिय रहकर स्थानीय सरकारी विभागों में हुए भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष करते हुए एक जुझारू और जीवन्त सार्थक जीवन जी रहे हैं। इस प्रयास में अपने जनपद से देहरादून आने जाने में उनकी जो भाग दौड़ होती है उससे थकने की अपेक्षा लगता है कि वह उन्हें और ऊर्जावान व युवा बना रही है।

आर.टी.आई. क्लब, उत्तराखण्ड से जुड़ने से पहले भी वे सूचना का अधिकार का प्रयोग करते हुए टिहरी बाँध विस्थापितों की कई समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करते रहे हैं। क्लब से जुड़ने के बाद अब और अधिक सक्रिय होकर सूचना के अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने में लगे हैं और क्लब की टिहरी गढ़वाल में एक सक्रिय इकाई की स्थापना कर उसके सदस्यों का मार्गदर्शन करने में लगे हैं।

उनके द्वारा उक्त इकाई की स्थापना व उनके कार्य सम्बन्धी विवरण की जो रिपोर्ट प्रेषित की गई है उसका संपादित अंश यह प्रस्तुत है। ■संपादक

आर.टी.आई. क्लब न केवल देहरादून व उसके आस-पास के मैदानी क्षेत्रों में सक्रिय है अपितु टिहरी गढ़वाल में भी पूरी तरह एक ईकाई के रूप में गठित होकर सक्रियता के साथ जनहित के कार्यों में लगते हुए व्यापक जनहित की सूचनाओं को पाने में लगा है।

आर.टी.आई. क्लब की नियमानुसार इकाई शाखा की स्थापना करते हुए निम्न पदाधिकारियों का चयन किया गया है।

अध्यक्ष-श्री देवेन्द्र सिंह दुमोगा। सहसचिव-अनिल चमोली
उपाध्यक्ष-श्री नवनीत उनियाल। प्रचार मंत्री-प्रमोद प्रसाद
महासचिव- / कैशियर श्री शशि भूषण भट्ट। संगठन मंत्री-विजय दास

आर.टी.आई क्लब (शाखा टिहरी गढ़वाल) द्वारा आर.टी.आई का जनहित में प्रयोग करते हुए सम्बन्धित विभागों से सूचनाएं प्राप्त कर इच्छुक व्यक्तियों तक पहुँचा कर उन्हें लाभान्वित करने हेतु किये गये कार्य निम्न हैं-

1. ग्राम पंचायत खोला मैं वर्ष 2005-2006 में मनरेगा के अन्तर्गत ग्रामीणों से कार्य कराया गया किंतु मजदूरी के नाम पर उन्हें आधी अधूरी मजदूरी दी गई। क्लब की उपरोक्त इकाई द्वारा संबंधित विभाग से इसकी सूचना माँगने पर और यह उजागर होने पर कि ग्रामीणों को पूरी मजदूरी नहीं दी गयी है तो तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा ग्राम पंचायत खोला के तत्कालीन प्रधान तथा ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश के 24 घंटे के अन्दर ही तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा

ग्रामीणों की हजारों रूपयों की राशि को मजदूरों में वितरित किया गया।

2. साधन सहकारी समिति मेड़ला, टिहरी के सचिव श्री ज्ञान सिहँ की 2007 में मृत्यु होने पर उनके पुत्र श्री परवीन सिहँ को विभाग से मृतक आश्रित नियम लागू होने पर भी , पिता के स्थान पर नौकरी नहीं दी गयी। आर. टी.आई. क्लब द्वारा संबंधित विभाग से नियमों की जानकारी एवं नियमों का पालन न होने के संबंध में सूचना माँगी गयी। यह प्रकरण माननीय सूचना आयोग तक पहुँचा और 2011 में आखिरकार सहकारिता विभाग में कार्यरत रहे श्री ज्ञानसिंह की मृत्यु के उपरान्त, मृतक के आश्रित को नियमानुसार सहकारी समिति में लेखाकार के पद पर नियुक्ति दी गयी।

3. टिहरी गढ़वाल में मदन नेगी मोटर मार्ग निर्माण के कारण लोगों की जमीन पर बिना उनकी स्वीकृति के मोट्र मार्ग का निर्माण किया गया किंतु अधिकांश ग्रामीणों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला। यद्यपि यहाँ सड़क वर्ष–2004 में बन गई थी। वर्ष 2011 में क्लब द्वारा यह प्रकरण अपने हाथ में लिया गया ओर मामला सूचना आयोग तक पहुँचा जिसमें तीन माह के अन्दर प्रभावितों को मुआवजा देने के आदेश दिये गये तथा लोक सूचना अधिकारी पर 3000 रूपयों का जुर्माना भी आरोपित किया गया।

4. पुनर्वास निदेशालय, टिहरी जल विद्युत परियोजना द्वारा किसानों की स्वीकृति के बिना टिहरी झील के चारों तरफ आर.एल. 835 मीटर के ऊपर, भिन्न भिन्न स्थानों पर मुनरे (पिलर) बनाये गये किंतु इसका कोई भी मुआवजा संबंधित जमीन स्वामी को नहीं दिया गया। प्रकरण सूचना आयोग में जाने पर आयोग द्वारा आदेश पारित किया गया कि उन सभी भू–स्वामियों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाये जिनकी भूमि पर पिलर बनाये गये हैं।

5. टिहरी झील 835 मीटर ऊँची है तथा इसकी ऊँचाई तक लोगों को विस्थापन/मुआवजा दिया गया है किंतु जो लोग आर.एल. 835 मीटर से ऊपर अध्यासित हैं उन्हें किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा आदि नहीं दिया गया जबकि झील के कारण ऐसे कई लोगों के मकान व जमीन क्षतिग्रस्त होने लगी थी। मकानों में दरार पड़ गई थी। कृषि भूमि धँसने लगी व कृषि हेतु अनुपजाऊ हो गयी थी। सूचना के अधिकार के माध्यम से यह मामला 2010 में उठाया गया। पुनर्वास निदेशालय, टिहरी जल विद्युत परियोजना द्वारा कई तरह के बहाने बनाए गये किंतु आर.टी. आई. क्लब की सक्रियता एवं मजबूती से केस की देखभाल किये जाने के कारण मुख्य सचिव उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर इस प्रकरण को निस्तारित किया गया। अब झील के चारों और आर.एल. 835 मीटर से ऊपर अध्यासित व्यक्ति जिनकी जमीन/मकान को झील से क्षति हो रही है उन्हें मुआवजों के रूप में एक एकड़ जमीन उपलब्ध करायी जायेगी।

6. उपरोक्त की तरह कई ऐसे मामले भी हैं जिन्हें आर.टी.आई. क्लब की टिहरी गढ़वाल शाखा द्वारा उठाया गया तथा पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाया गया। अतिवृष्टि से हुई टूट का मुआवजा , वृद्धावस्था/विकलांग/ विधवा पेंशन का भुगतान न होने, लोगों को विद्युत संयोजन न दिये जाने जैसे कई विषयों पर आर.टी.आई. क्लब की टिहरी गढ़वाल शाखा द्वारा प्रभावी कदम उठाकर पीड़ित व शोषित लोगों के हित में काम किया गया तथा यह परम्परा आगे भी जारी रहेगी।

☆ ☆ ☆ ☆

लोक हित में ''सूचना का अधिकार'' का प्रयोग

सुरेन्द्र सिंह थापा

43 वर्षीय श्री सुरेन्द्र सिँह थापा आर०टी०आई० क्लब उत्तराखण्ड के एक सक्रिय आर०टी०आई० कार्यकर्त्ता हैं। एक आर०टी०आई० कार्यकर्त्ता के रूप में उनकी कार्यशैली उन्हें ऐसे कार्यकत्ताओं की भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करती है जिनका एक मात्र कार्य ही किसी विभाग में दो चार आर०टी०आई० आवेदन लगाकर, उन कार्यालयों में लगातार चक्कर लगाना है। क्यों ? इसका उत्तर देना हमारे लिये कठिन है परन्तु पाठकों के लिये समझना आसान हो सकता है। अपने छोटे से निजी व्यवसाय में कड़ी मेहनत करते हुए भी वे लोकहित के मुददों के प्रति संवेदनशील हैं और आर०टी०आई० के माध्यम से आम आदमी और सामाजिक उपेक्षा के शिकार वर्ग या व्यक्तियों के हित के लिये ऐसी सूचनाएँ माँगने का प्रयास करते हैं जिनसे ऐसे लोगों के लिये शासन स्तर पर उपलब्ध करायी जा रही योजनाओं / सुविधाओं / सहायताओं की जानकारी को आम जन तक पहुँचाया जा सके।

आर०टी०आई० कानून के माध्यम से लोकहित की सूचना पाने की शुरूआत उन्होंने इस अधिकार के बारे समाचार पत्रों में छपने वाले समाचारों से प्रेरित होकर की और आर०टी०आई० क्लब के महा सचिव अमर सिंह घुन्ता द्वारा माँगी गयी सूचनाओं के विवरण को समाचार समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ कर उनसे संपर्क किया। यह संपर्क ही उनके उक्त क्लब के अभिन्न अंग के रूप में सम्बन्ध का कारण बना। क्लब की सदस्यता के औचित्य के प्रश्न पर वे कहते हैं कि अकेले कार्य करने में विभागीय अधिकारी और कर्मचारी पहले जिसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे संगठन के साथ कार्य करने से अब उस स्थिति में परिवर्तन आ गया है। वर्तमान में ये आर०टी०आई० क्लब के प्रचार मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं।

एक आर०टी०आई० कार्यकर्त्ता के रूप में दो वर्ष के कार्य काल में उनके द्वारा माँगी गयी सूचनाओं का विवरण यहाँ दिया जा रहा है।

■ **संपादक**

क्रं०स०	**आ० का दिनांक**	**विभाग**	**विषय**
1	8/4/10	लो0सू0अधि0-एम.डी.डी.ए. दे0दून उ0ख0	अवैध निर्माणों से सम्बंधित।
2	21/5/10	लो0सू0 अधि0-सिंचाई खण्ड 17,सुभाष मार्ग- दे0 दून उ0ख0।	नालियों पर अवैध कब्जे से सम्बंधित।
3	18/6/10	लो0सू0अधि0-आयुक्त गढवाल मण्डल, पौड़ी दे0दून उ0ख0।	अवैध निर्माणो से सम्बंधित।
4	30/6/10	लो0सू0अधि0-मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखण्ड सरकार दे0 दून उ0ख0।	गौमुख से लेकर हर की पौड़ी तक पवित्र नदी गंगा को अपवित्र करने वाले स्रोत्रों की जानकारी के लिए। (विभिन्न विभागों से प्राप्त सभी जानकारियों को राष्ट्र गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण दे0 दून को सौंप दिया है।)
5	12/10/11	लो0सू0अधि0-वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल दे0 दून उ0ख0।	अवैध निर्माणों से सम्बंधित।

6	8/7/10	लो0सू 0 अधि0–नगर निगम दे0दून उ0ख0।	दे0दून में सड़कों के किनारे जर्जर हालत में खड़े पेड़ों के सम्बंध में।
7	8/7/10	लो0सू0अधि0–वन विभाग मुख्यालय उत्तराखण्ड दे0 दून उ0ख0।	दे0दून में सड़कों के किनारे जर्जर हालत में खड़े पेड़ों के सम्बंध में।
8	13/7/10	लो0सू0अधि0–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दे0दून उ0ख0।	आशावर्करों के मान–सम्मान एवं अस्पतालों में ठहरने की व्यवस्था के संबन्ध में।
9	17/7/10	लो0सू0अधि0–जिला पूर्ति कार्यालय दे0दून उ0ख0।	वास्तविक बी.पी.एल. परिवारो.के बी.पी.एल. कार्ड बनवाने के सम्बंध में।
10	12/8/10	लो0सू0अधि0–108 आपातकालीन सेवा दे0दून उ0ख0।	सड़कों पर घूमने वाले मानसिक विकलांगों को अस्पतालों तक पहुँचाने से सम्बंधित।
11	12/8/10	लो0सू0 अधि0–राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान,सेलाकुई दे0दून उ0ख0।	सड़कों पर घूमने वाले मानसिक विकलांगोको अस्पताल में भर्ती करने की प्रक्रिया के लिए।
12	12/8/10	लो0सू0अधि0–मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखण्ड सरकार दे0दून उ0ख0।	असंगठित मजदूरों को सरकारी लाभ दिलवाने के सम्बंध में।
13	16/8/10	लो0सू0अधि0–एम.डी.डी.ए. दे0दून उ0ख0।	दे0दून में सड़कों के किनारे लगाऐ जा रहे पेड़ों के रजिस्टर मेन्टेन करने के सम्बंध में।
14	21/8/10	लो0सू0अधि0–कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड सहसपुर ब्लॉक दे0दून उ0ख0।	वार्ड न0 52 के खस्ताहाल सरकारी स्कूल की स्थिति के सम्बंध में।
15	23/8/10	लो0सू0अधि0–नगरीय विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)18,ईसी रोड दे0दून उ0ख0।	मानकों के विरूद्ध लगाये गये ट्राँसफार्मर (जो सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं)के सम्बंध में।
16	3/9/10	लो0सू0अधि0–का0–अधिशासी निदेशक उ0ख0स्वा0 एवं परिवार कल्याण समिति दे0दून उ0ख0।	आशा वर्करों के ठहरने के लिऐ दी गई सुविधाओं वाले अस्पतालों के नामों की सूची के लिए।
17	16/11/10	लो0सू0अधि0–प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 विभाग दे0दून उ0ख0।	बुजूर्गु महिला श्रीमती हरिकला देवी को उचित रास्ता उपलब्ध कराने के सम्बंध में।
18	20/12/10	लो0सू0अधि0–अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड दे0दून उ0ख0।	कैनाल रोड़ पर हो रहे सड़क चौडीकरण सेउत्पन्न समस्या से निवासियों को निजात के लिए ।
19	17/8/11	लो0सू0अधि0–एम.डी.डी.ए. दे0दून उ0ख0।	अवैध भवन निर्माण में संलिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों के सम्बन्ध में।

20	17/8/11	लो0सू0अधि0–जिला कोषागार दे0दून उ0ख0।	पेंशनरों से सम्बंधित जानकारी के लिए।
21	3/9/11	लो0सू0अधि0–नगर निगम दे0दून उ0ख0।	उठाई जा रही ठेलियों आदि के सम्बंध में।
22	13/12/11	लो0सू0अधि0–वाड़िया इंस्टीट्यूट 33,जनरल महादेव सिंह रोड़ दे0दून उ0ख0।	अनिल राणा रायपुर निवासी को विभाग द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से निकालने पर पुन: रखें जाने के सम्बंध में।
23	26/4/12	लो0सू0अधि0–राष्ट्रपति कार्यालय (भारत सरकार)नई दिल्ली	मनीष शर्मा पटेल नगर निवासी को बहादुरी पुरस्कार दिलवाने के सम्बंध में।
24	4/5/12	लो0सू0अधि0–मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखण्ड सरकार दे0दून उ0ख0।	88 वर्षीय बुजुर्ग श्री देवदत्त शर्मा जी को उ0प्र सड़क परिवहन विभाग से न्याय दिलवाने के सम्बंध मे।
25	4/5/12	लो0सू0अधि0–का0 जिलाधिकारी–हरिद्वार दे0 दून उ0ख0।	हरकी पौड़ी से आगे उत्तराखण्ड की सीमा तक पवित्र नदी गंगा को अपवित्र करने वाले स्रोत्रों की जानकारी के लिए।

संपर्क- सुरेन्द्र सिँह थापा (प्रचार मंत्री आर0टी0आई0 क्लब उ0ख0)
174,पंडितवाड़ी, (कप्तान कपिल सिंह थापा मार्ग) प्रेमनगर,देहरादून 248007 संपर्क-9897866488

HILL FOUNDATION
GROUP OF EDUCATION
■ HILL FOUNDATION SCHOOL
(Class-Play Group to VIII Upgradation in process)
■ DANCE AND MUSIC ACADEMY
(AFFILATE TO PRAYAG SANGEET SAMITI, ALLAHBAD)
■ TUTORIALS
(ALL SUBJECTS ALL BOARDS)

1026, INDIRA NAGAR COLONY, DEHRADUN
Mob. : 9897390227, 9897308732, E-Mail : hillfoundation.sv56@yahoo.com

सूचना का अधिकार –एक क्रान्ति या भ्रान्ति

▪ प्रताप सिंह

महान दार्शनिक प्लैटो ने कहा था "State is a necessary evil and must Wither" उनका यह कथन अब सही लगने लगा है क्योंकि सरकार व उसके विभिन्न विभाग लोगों की समस्यायें दूर के बजाय खुद लोगों के लिये समस्या बन गये हैं। लोगों को इस समस्या से मुक्त करने के लिये ही आया ''सूचना का अधिकार अधिनियम–2005'' जिसके बारे में पूर्व मुख्य सचिव व मुख्य सूचना आयुक्त ने अपनी पुस्तिका ''Hand book for public information officers under the RTI Act, के अध्याय–2 के प्रस्तर–2.1 में लिखा है " The RTI Act has been rightly acknowlegded as one of the finest place of legislation in the world." इसका उद्देश्य शासन व उसके विभागों (लोक प्राधिकारियों) में पारदर्शिता व जवाब देही लाना है। इस अधिनियम को 6 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है। इस अधिनियम के प्रभाव से पारदर्शिता तो आई है क्योंकि गोपनीयता के आधार पर कुछ छिपाया नहीं जा सकता पर दी गई सूचनाओं से अनियमिततायें व अवैधानिकतायें प्रकाश में आने पर भी जवाब देही निश्चित करने की दिशा में ठोस प्रगति नहीं हुई है। अनियामितताओं के लिये जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी बच रहें हैं। सूचना आयोग भी इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही कराने मे असमर्थ है।

''भारत का संविधान'' प्रत्येक नागरिक को विचारों की अभिव्यक्ति व प्रकाशन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम इस मौलिक अधिकार को और मजबूत करता है क्योंकि इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं से व्यक्ति एक जानकार नागरिक (informed citizenry) बनता है।

उत्तराखण्ड निवासी श्री प्रताप सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा से चयनित अधिकारी के रूप में उत्तराखण्ड के तीन जनपदों के जिलाधिकारी, एम.डी.डी.ए. के उपाध्यक्ष तथा उत्तरप्रदेश शासन में पर्वतीय विकास विभाग में विशेष सचिव जैसे अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। सेवा निवृत्त होकर वर्तमान में जनपद देहरादून निवास करते हुये सामाजिक कार्यों में लगे हैं। अपने विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुये भी जहाँ वे सू.अ. अधिनियम की धारा- 19 (1) के औचित्य पर प्रश्न खडा करते हैं तो दूसरी और सूचना आयोगों से धारा - 25 (5) में दी गई उनकी शक्तियों के प्रभावी क्रियान्वयन की भी अपेक्षा करते हैं जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम के मूल उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। ▪ सम्पादक

इस अधिनियम के आने से कई लोगों की समस्याए हल हुई हैं, सरकारी विभागों की पोल खुली है और विभिन्न व्यक्तियों (आम व खास) के बीच भेदभाव किया जाना प्रकट हुआ है। पर प्रश्न यह है कि इससे संबंधित विभागों / अधिकारियों ने क्या सीखा व उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया – कुछ भी नहीं। वे सूचनायें देकर अपने कर्तव्य की इति श्री समझ रहे हैं।

अभी भी कतिपय विभागों / अधिकारियों का रूख सूचना प्रकटन के प्रति नकारात्मक है क्योंकि वे इसे अपनी स्वाधीनता में हस्तक्षेप मानते हैं। वे अभी भी "touch me not" सिद्धान्त में विश्वास करते हैं और सूचना के अनुरोध कर्ताओं को अस्पष्ट,अपूर्ण व भ्रामक सूचनायें देकर परेशान करते हैं व प्रथम अपील व द्वितीय अपील की प्रक्रिया में घसीटते हैं। प्रथम विभागीय अपील एक निरर्थक प्रक्रिया है जिसमें विभागीय अपीलीय अधिकारी सामान्यत: अपने विभाग का ही पक्ष लेता है। इस अपील की सुनवाई व निस्तारण की कोई प्रक्रिया भी नहीं दी गई हैं जिसका लाभ उठाकर प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी स्वछन्द व्यवहार करते हैं और अपील कर्ता को डराते धमकाते हैं। हाँ द्वितीय अपील में सूचना आयोग से राहत अवश्य मिलती है पर इस बीच काफी देर हो जाती है। अत: लोक सूचना अधिकारी के बाद सीधे आयोग में शिकायत/ अपील का प्रावधान होना चाहिए।

धारा–18 में शिकायत व धारा–19 (3) में अपील के उद्देश्य, प्रक्रिया व महत्व को हाल ही मे मा० उच्चतम न्यायालय ने 2012 AIR Supreme Court-864 Chief information Commissioner बनाम मणीपुर राज्य व अन्य में स्पष्ट करते हुए सूचना के अधिकार के महत्व पर पुन: बल दिया है। इस निर्णय का लाभ उठाया जाना चाहिए और

सूचना अनुरोध कर्ताओं व विभागीय अधिकारियों को जागरूक करना चाहिए।

हाल ही में सूचना अनुरोधकर्त्ताओं को डराने, धमकाने तथा उनका उत्पीडन करने की घटनायें बढ़ी हैं तथा सूचना अनुरोधकर्त्ताओं / अपीलार्थी / शिकायतकर्त्ताओं की हत्यायें तक हुई हैं क्योंकि उनको कुछ सुरक्षा नहीं दी जा सकी। इससे इस अधिनियम पर निराशा के बादल छाने लगे हैं। इस दिशा में भी एक ठोस व्यवस्था की जरूरत है और सूचना आयोगों को और अधिक शक्ति सम्पन्न बनाये जाने की आवश्यकता है। सूचना आयोगों को अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति कर देने मात्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि ऐसी संस्तुतियों पर की गई की जा रही कार्यवाहियों की मॉनीटरिंग भी करनी चाहिए तथा धारा-25(5) में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए जिन लोक प्राधिकारियों की पद्धति इस अधिनियम के उपबन्धों या भावना के अनुरूप नहीं है उनके लिये समुचित उपाय विनिर्दिष्ट करने चाहिए। इसके अलावा आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों को शब्दिक व संकुचित अर्थ में न लेते हुए इस अधिनियम के प्रारम्भ में दिये गये उद्देश्यों के परिपेक्ष्य में उनकी व्यापक व्याख्या करनी चाहिये ताकि यह अधिनियम वास्तव में एक क्रांति बने और अधिकारीगण इसे भ्रान्ति से विकृत न कर सकें।

यह बड़े हर्ष की बात है कि आर.टी.आई. क्लब, उत्तराखण्ड एक स्मारिका प्रकाशित कर रहा है जिससे नागरिकों को सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपने अधिकारों की जानकारी हो सकेगी और शासन/प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण तथा सुराज का लक्ष्य पूरा हो सकेगा एसा मुझे विश्वास है।

★★★

आर्थिक उन्नति का एक बेहतर विकल्प

DTN

श्याम बहादुर
8410062063

राजकुमार
8410062062

सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में मेरा अनुभव

▪ हरमिन्दर सिँह छाबड़ा

सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में अक्टूबर–2009 तक कुछ नहीं जानता था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि न सिर्फ मुझे इस अधिनियम की जरूरत पड़ी बल्कि उसने मुझे इसमें रूचि लेने के लिये प्रेरित भी किया। हुआ यूँ कि 30 अक्टूबर 2009 को मैं किसी कार्यविश रेलवे के द्वारा अन्य शहर जा रहा था तो शाम के वक्त अपना स्कूटर रेलवे स्टेशन देहरादून की रेलवे पार्किंग में खडा करना पड़ा और 2 नवम्बर को वापस देहरादून आने पर जब अपना स्कूटर पार्किंग से निकालने गया तो पार्किंग संचालक ने 35 रूपये की माँग की जबकि उस समय की मेरी जानकारी के अनुसार 5 रूपये प्रति दिन के हिसाबसे चार दिन के कुल 20 रूपये ही बनते थे। मेरे द्वारा ऐसा कहे जाने पर पार्किंग कर्मियों ने न केवल पूरे 35 रूपये वसूल किये बल्कि गाली गलौज व हाथापाई भी की। मै स्वयं को बहुत अपमानित महसूस कर रहा था तभी मन में इस अन्याय के विरूद्ध कुछ करने का विचार आया और मैने इस बारे मे अपने मित्रों व परिचितों से बातचीत करना प्रराम्भ किया। तभी मेरे एक परिचित ने मुझे सूचना के अधिकार कानून के बारे में बताया और यह मेरे लिये एक नई सुबह की तरह सिद्ध हुआ।

उक्त पार्किंग में हुई अपमान जनक बातें और अवैध वसूली की पीड़ा से उत्पन्न दु:ख के कारण मैने मण्डल रेलवे प्रबन्धक कार्यालय से सूचना माँगनी चाही तो दो बार विभिन्न कारणों से मेरा प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया गया परन्तु मैने फिर भी हिम्मत नही हारी और तीसरी बार फिर से जानकारी माँगी तो अतंत: मंडल रेल प्रबन्धक उत्तर रेलवे, मुरादाबाद को उक्त सूचना देनी पड़ी तथा उक्त सूचना के अनुसार मेरे द्वारा पार्किंग में खड़े किये स्कूटर का पार्किंग किराया केवल 16 रूपये ही बनता था। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि पार्किंग ठेकेदार न केवल नाजायज शुल्क वसूल रहा था बल्कि आम जनता को डरा धमका भी रहा था।

उक्त सूचना को मैने उस समय देहरादून के दो बडे समाचार पत्रों अमर उजाला, व दैनिक जागरण को भी उपलब्ध कराया जिन्होंने सहयोग करते हुए उक्त समाचार को अपने पत्रों में स्थान दिया। इस प्रकार एक नाजायज वसूली की आम जनता को जानकारी हुई और उसमे चेतना आई। उक्त सूचना का असर यह भी हुआ कि पार्किंग ठेकेदार को निर्धारित पार्किंग शुल्क की जानकारी देते बोर्ड भी पार्किगं स्थल पर लगाने पड़े।

दूसरा किस्सा देहरादून जिला जेल सुद्धोवाला का है जहाँ जेल मे एक बार किसी कैदी से मिलने गया तो मेरे से 5 रूपये की माँग की गयी। वहाँ पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि प्रति मुलाकाती 5 रूपये लिये जाते हैं। उस समय तो मैं वापस आ गया फिर सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत जिला जेल अधीक्षक से सूचना माँगने पर उनका उत्तर आया कि प्रति व्यक्ति केवल पचास पैसे का शुल्क प्रत्येक प्रार्थना पत्र लिखने हेतु निर्धारित है। इस सूचना को भी उस समय मेरे द्वारा दैनिक जागरण में प्रकाशित कराया गया।

इसी तरह मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, देहरादून के कार्यालय से एक विकलांगता प्रमाण पत्र के बारे में सूचना माँगने पर उनके द्वारा उत्तर दिया गया कि इस प्रकार का कोई भी रिकार्ड संभालकर कर नहीं रखा जाता है व सम्बन्धित रिकार्ड नष्ट कर दिया गया है। प्रथम अपील के बाद कोई सूचना उपलब्ध नहीं होने पर मुख्य सूचना आयुक्त महोदय को दूसरी अपील करनी पड़ी जिसके बाद न केवल सूचना ही उपलब्ध करायी गयी अपितु मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर 5 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया। इस समाचार को भी जिले के सभी छोटे बड़े अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया।

अभी पिछले वर्ष ही एक और प्रार्थना पत्र के उत्तर मे मुझे अवगत कराया गया कि गैस ऐजेंसियों द्वारा रिफिलिंग हेतु बुकिंग कराने के लिए 21 दिन की समय सीमा की जो बात कही जाती है उसका कोई भी नियम नही है और गैस कंपनी रिफिलिंग हेतु बुकिंग के लिये मना नहीं कर सकती हैं। साथ में गैस गोदाम से सीधे उपरोक्त द्वारा सिलैन्डर उठाने पर होम डिलीवरी चार्जेज के आठ रूपये गैस ऐजेंसी द्वारा नहीं वसूले जा सकते हैं। इस विषय में विस्तार से हमारे ''सूचना अधिकार समाचार'' के पिद्दले अंक में छप चुका है।

अभी भी मेरी कई अपीलें उत्तर प्रदेश सूचना आयोग व उत्तराखण्ड सूचना आयोग में लम्बित हैं जिनका निस्तारण होने के बाद मैं उनसे प्राप्त जानकारियों को सभी लोगों के साथ साझा करूंगा। गढ़वाल जल संस्थान व भारतीय रेल में कई आवेदन लम्बित हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों व अन्य व्यक्तियों को भी जानकारियाँ उपलब्ध करायें जिससे समाज में जागरूकता आए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। हमारा आर०टी०आई० क्लब, उत्तराखण्ड भी लोकाहित की सूचनाऐं माँगकर जहाँ भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहा है वहीं लोगों को जागरूक भी बना रहा है। समाज के हित में सूचना का अधिकार का प्रयोग होना चाहिये इसी बात को देखते हुए मैं इस क्लब के साथ जुड़ गया हूँ।

सूचना का अधिकार–सफल या विफल

■ डॉ0 एस.के. शर्मा

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आर.टी.आई. क्लब उत्तराखण्ड, देहरादून अपनी स्थापना तीसरी वर्षगाँठ के अवसर पर एक स्मारिका प्रकाशित कर रहा है जिसके द्वारा नागरिकों को सूचना प्राप्त करने सम्बन्धी अपने अधिकारों और संविधान में प्रदत्त विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकार का ज्ञान होगा। जिसका सही उपयोग वे सूचना अधिकार के अन्तर्गत सही जानकारी प्राप्त करके जोरदार तरीके से कर सकेंगे। और जिस सरकारी तन्त्र में व्याप्त अनियमितताओं, निष्क्रियतां व भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा। आर.टी.आई. क्लब इस दिशा मे अच्छी पहल कर रहा है और उसका यह प्रयास जारी रहेगा, ऐसी मेरी कामना है।

इस शुभ अवसर पर मैं अपने द्वारा सूचना अधिकार के प्रयोग के कुछ खट्टे मीठे अनुभव प्रकट करना आवश्यक समझता हूँ। मैने सचिवालय स्थित विभिन्न विभागों M.D.D.A., नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, डी०ए०वी० (पी०जी०) कालेज, देहरादून, गढ़वाल विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मैडिकल कौंसिल ऑफ इंण्डिया, मिनिस्ट्री ह्यूमैन रिर्सोस डवलपमैन्ट, गुरू राम राय एजुकेशनल मिशन व उससे सम्बन्धित मैडिकल कॉलेज,अस्पताल, इन्स्टीयूट ऑफ सांइस एन्ड टेक्नोलाजी, श्री गुरू रामराय (पी०जी०) कालेज आदि अनेकों विभागों को 100 से अधिक सूचना अनुरोध पत्र प्रेषित किये जिनके उत्तर में प्राप्त अधिकांश सूचनायें अस्पष्ट,अपूर्ण, भ्रामक तथा कुछ मामलो में असत्य भी थीं जिसके फलस्वरूप प्रथम विभागीय अपीलें दायर की गई परन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी का स्तर व ज्ञान इतना अपर्याप्त पाया गया कि उनके द्वारा अपीलों का निस्तारण उचित ढंग से नहीं हुआ तथा झल्लाहट के कारण उनका व्यवहार अत्यन्त आक्रामक रहा और इस कारण मुझे द्वितीय अपील मा० सूचना आयोग में करनी पड़ी। कुछ मामलों में शिकायतें भी की परन्तु वहाँ भी अनुभव खट्टा मीठा ही रहा। कतिपय अपीलों में सूचना आयोग ने काफी सकारात्मक व कड़ा रूख अपनात हुए लोक प्राधिकारियों का पसीना निकाल दिया और उन्हें सही सूचनायें देने को मजबूर किया उन पर अर्थ दण्ड भी लगाया! परन्तु कुछ मामलो में आयोग ने अधिनियम के प्राविधानों के शब्दों का इतना संकुचित अर्थ निकाला कि वे अधिनियम की आत्मा और अधिनियम के प्रारम्भ में दिये गये 'पारदर्शिता व जवाबदेही' के उद्देश्य के विपरीत चले गये। ऐसे निर्णयों से सूचना अधिकार कार्यकर्त्ताओं को हताशा व निराशा होती है।

लेखक – डॉ0 एस.के. शर्मा (एसोसियेट प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष, जन्तुविज्ञान विभाग, श्री गुरू राम राय पो०ग्रेजुएट कॉलेज, देहरादून) सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सक्रिय अनुरोधकर्ता के रूप में विभागों में व्याप्त अनियमितताओं को प्रकाश मे ला रहे हैं। जिसमें उन्हें कुछ मामलो में सफलता भी मिली है परन्तु आर०टी०आई० के क्रियान्वयन में वे लोक प्राधिकारियों के साथ – साथ आयोग के भी रवैये से संतुष्ट नहीं हैं। आर०टी०आई० के सम्बन्ध में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों के बारे में उनका अनुभव यहाँ प्रस्तुत हैं। ■ सम्पादक

सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकारियों पर सूचना आधिकार के उपबन्धों व भावनाओं का पालन सुनिश्चित कराने की दिशा में अधिनियम की धारा–4 मे निर्धारित बाध्यताओं का पालन सुनिश्चित कराने व धारा 25 (5) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों की पद्धति को अधिनियम के उपबन्धों व भावना के अनुरूप लाने के लिये उपाय विर्निदिष्ट नही किये गये और अभी भी कई लोक प्राधिकारी तथा उनके प्रथम अपीलीय अधिकारी स्वछन्द व मनमाने ढ़ग से व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे लोक प्राधिकारियों में ढीले पेंच कसे जाने की आवश्यकता है। एक बहुत कड़वा अनुभव यह रहा है कि आयोग के एक मा० आयुक्त ने एक सहकारी आवास समिति में भूखन्डों के अनियमित हस्तानान्तरण के मामले में कड़ा रूख अपनाते हुए शासन के गृह विभाग द्वारा सी०बी०सी०आई०डी० से अपराधिक अन्वेषण के आदेश कराये जिनसे जाँच शुरू भी हो गई परन्तु कुछ उच्च पदस्थ लोगों के प्रभाव के कारण आयोग की सहमति के बिना जाँच बन्द करा दी गई और एक अन्य विभागीय जाँच समिति गठित कर दी गई तथा मा० आयुक्त को भी बदल दिया गया जिससे जाँच व सूचना के अधिकार का महत्व ही समाप्त हो गया और आयोग असहाय बनकर देखता रह गया।

इसी प्रकार सूचना अधिकार के प्रयोग से एक डिग्री कॉलेज की प्रबन्ध समिति की अवैधानिकता व प्राचार्य की

अवैधानिक नियुक्ति का मामला शासन के संज्ञान में लाया गया है जिसमें जाँच से अवैधानिकताओं की पुष्टि हुई है। इसी प्रकार पटेल नगर में एक मैडिकल कॉलेज व अस्पताल, इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस व टैक्नोलाजी तथा एक पी०जी० कॉलेज पथरीबाग के छात्रावास के विशाल भवनों का निर्माण सूचना का अधिकार के अन्तर्गत M.D.D.A. से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अवैध पाया गया है तथा कुछ के भू उपयोग परिवर्तन भी स्वीकृत नहीं हुए हैं परन्तु फिर भी इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए इन अवैध निर्माण को संरक्षण जारी है। दिखाने क लिये M.D.D.A. ने मैडिकल कॉलेज के अवैध निर्मित छात्रवास के खाली पडे दूसरे तल को सील कर दिया और दबाव के चलते लौट गये।

इसी प्रकार सूचना अधिकार के अन्तर्गत कई अन्य चौंकाने वाले तथ्य भी सामने अवश्य आये हैं परन्तु संबन्धित विभाग मौन हैं। इस प्रकार सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने का उददेश्य ही विफल लगता है। लेकिन इतना अवश्य है कि झील मे पत्थर फैंकने से जो हलचल होती है उसी के समान सूचना अधिकार भी कुछ हद तक हलचल करने में सफल अवश्य है।

बहुत अधिक सूचनायें प्राप्त करने से और उन सूचनाओं के आधार पर वांछित कार्यवाही न होने से सूचना अनुरोध कर्त्ताओं का मनोबल तो धीरे-धीरे गिर रहा है तो दूसरी तरफ उनको डराने धमकाने की घटनाओं के साथ-साथ उनका उत्पीडन भी हो रहा है परन्तु सूचना आयोग चाहकर भी उनकी विशेष सहायता नहीं कर पा रहा है और कुछ अनुरोधकर्ताओं की तो हत्यायें तक हो चुकी है। इन सब घटनाओं से सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त की गई अब तक की थोड़ी बहुत उपलब्धि भी नकारात्मक हो गई है।

अत: मेरा सुझाव है कि सूचना आयोग को और अधिक सशक्त व शक्ति सम्पन्न बनाया जाये। ठीक वैसे ही जैसा उपभौक्ता फोरम है। तभी सूचना अधिकार अधिनियम की कुछ विभागों द्वारा की जा रही है अवहेलना व उपेक्षा दूर हो सकेगी। इस विषय मे हमें आशावान रहना होगा और इन शब्दों को ध्यान मे रखन होगा कि -

''दुनियाँ मे हम आये हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पडेगा'' फिर भी आर०टी०आई० से एक अच्छे युग की शुरूआत हुई है और आर. टी. आई. के माध्यम से जीवन का जहर अवश्य कम होग भविष्य में इसकी कमियाँ भी दूर होगीं और आर.टी.आई. कानून हमारे समाज को अच्छी दिशा देने मे सफल व सहायक होगा।

■ सम्पर्क 9412050135

3, पंचशील पार्क चकाराता
रोड़, देहरादून

★★★

मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई की आर०टी०आई० क्लब उत्तराखण्ड द्वारा अपना तीसरा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है साथ ही एक स्मारिका का प्रकाशन होने जा रहा है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आर०टी०आई० क्लब उत्तराखण्ड द्वारा जनहित को लेकर आम जनताओं की समस्या उजागर करने में आर०टी०आई० क्लब अपनी अहम भूमिका निभाएगा।मेरी ओर से आर०टी०आई० क्लब के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं।

रवि अरोड़ा प्रधान सम्पादक पछवादून
विकास एवं जिला अध्यक्ष
देवभूमि जर्नलिस्ट वैलफेर एसोसिएशन

सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 (आर०टी०आई० एक्ट)

■ अमरजीत सिंह भाटिया

भारत में सूचना पाने का अधिकार ने एक नई क्रान्ति आरम्भ की है। इस कानून के द्वारा व्यक्ति आम तथा खास सूचना माँग सकते हैं, सूचना माँगने की प्रक्रिया भी सरल है।सूचना पाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 के अनुसार आम नागरिक को प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होने के बाद भी सरकारी कार्यालयों से किसी सूचना को निकलवाना इतना सरल नहीं था।

इससे पूर्व भारतवर्ष में शासकीय गोपनीयता कानून (आफीशियल सीक्रेट एक्ट)-1923 लागू था।

अंग्रेजी शासनकाल में प्रचलित इस कानून को अपने लाभ एवं सुविधानुसार लागू किया जाता था, परन्तु इसमें गोपनीयता का स्पष्ट वर्णन नहीं था। अत: तत्कालीन अंग्रेजी शासन किसी भी जानकारी को सीक्रेट (गोपनीय) बताकर छुपा लेते थे।

यही नहीं किसी भी सूचना को गोपनीयता बता चौथे स्तम्भ या मीडियाकर्मी के विरूद्ध अभियोग चलाया जा सकता था।

सूचना के अधिकार के अस्तित्व में आने के बाद आम नागरिकों को असली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है।

ज्ञातव्य हो कि विभिन्न देशो में आर०टी०आई० (सूचना का अधिकार) लागू किये जाने की स्थिति इस प्रकार है-

अमेरिका - 1964, आस्ट्रेलिया -1982, यू०के० (इंग्लैण्ड)-2000, जापान - 2001, पाकिस्तान -2002, जर्मनी - 2005, भारत - 2005, चीन -2008, बांग्लादेश - 2009

मई- 2011 को केन्द्रीय सूचना आयोग ने यह फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस कानून के तहत सूचना देनी होगी।

सूचना के अधिकार आर०टी०आई० लागू होने के बाद लोगों में लोकतान्त्रिक चेतना बढ़ी है जिससे वे अपने अधिकारों को लेकर और सजग हुए हैं। अब सूचना के अधिकार के तहत हर नागरिक को सूचना पाने का अधिकार है।

अब तक 85 देशों में यह कानून लागू है। सन् 1766 में स्वीडन का 'फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट' सबसे पुराना कानून है।

सूचना का तात्पर्य-

इस अधिनियम के तहत ''सूचना'' शब्द ही सर्वाधिक महत्व का शब्द है और इसे अधिनियम के अध्याय-1 की धारा 2 (च) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है-

''कोई भी ऐसी सामग्री भले ही वह अभिलेख के रूप में हो या जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति हो, परिपत्र, सरकारी आर्डर, रिकार्ड/योजना, ई-मेल, सुझाव विचार, इलैक्ट्रानिक डाटा हो या किसी भी निजी संस्था से सम्बन्धित सूचना, निर्माण कार्य सामग्री के प्रमाणित सैम्पल नमूने प्राप्त करना भी, सूचना के अधिकार में आते हैं। भारत

सरकार ने सूचना की स्वतंत्रता-2002 को मात्र किताबों तक सीमित न कर सूचना के अधिकार का कानून लागू करने का प्रावधान बनाया।सूचना का अधिकार कानून के बनने से पहले आम नागरिक नौकरशाही से सवाल जवाब करने की परिकल्पना भी नहीं कर सकता था, न ही नौकरशाही उसके प्रति संवेदनशील और जवाबदेह थी।यह कानून नौकरशाही के भ्रष्टाचार जैसी लाईलाज बीमारी के लिए रामबाण साबित हुआ।

नौकरशाही सम्भवत: किसी भी जवाहदेही के लिए मानसिक तौर पर तैयार ही नहीं थी। लोक सभा ने सूचना के अधिकार बिल को 11 मई 2005 में 145 संशोधन के बाद पारित किया जिसको राज्य सभा ने 12 मई 2005 में ही पारित कर दिया। इस पर राष्ट्रपति ने 120 दिन के बाद 12 अक्टूबर 2005 में अपनी मोहर लगा दी।

इस प्रकार सूचना का अधिकार (आर०टी०आई) बिल-2005 (एक्ट-22) अस्तित्व में आया। यह सम्पूर्ण भारत (जम्बू काश्मीर को छोड़ कर) में किया गया। यह बिल नागरिकों को सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं सरकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वित्त पोषित गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के कामकाज सम्बन्धी सूचनायें प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। ज्ञातव्य हो विभिन्न राज्यों में सूचना के अधिकार को कानूनी रूप तामिलनाडू में 1997 में, राजस्थान कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र में 2002 में,मध्य प्रदेश, आसाम ने 2004 में इस आशय के कानून पारित किए गए।

यहाँ उल्लेखनीय है कि फाइलों पर अधिकारियों की टिप्पणियों को अधिनियम के दायरे से हटाए जाने सम्बन्धी संशोधन को वापस ले लिया गया है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि यह अधिनियम अधिक कारगार साबित होगा। एक अनुमान के अनुसार 70 प्रतिशत से अधिक सरकारी निर्णय इन्हीं टिप्पणियों के आधार पर लिए जाते हैं।

सूचना आयोग के निर्णय को केवल हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है, सिविल न्यायालयों में नहीं।

केन्द्रीय सूचना आयोग (सी०आई०सी०) का तो यहाँ तक कहना है कि सूचना का अधिकार के तहत माँगी गई जानकारी को देने से सुप्रीम कोर्ट इन्कार नहीं कर सकता चाहे शीर्ष न्यायालय कहलाये जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के पास अदालत के नियमों के तहत सूचना पाने के अन्य विकल्प क्यों न हो।

क्या सूचना प्राप्ति के लिए कुछ भुगतान करना होगा?

अधिनियम की धारा-6 (1)के अन्तर्गत प्राप्त की जाने वाली सूचना के अनुरोध के साथ 10/-रू0 का आवेदन शुल्क देय है।

इस आवेदन शुल्क को ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर, नकद, बैंकर्स चैक लोक सूचना अधिकारी के लोक प्राधिकारी या विभाग के कोषाधिकारी के पक्ष में देय कर संलग्न किया जा सकता है। आवेदन पत्र एवं शुल्क भुगतान के प्रमाण की छायाप्रति आवेदनकर्ता को अपने पास रखनी चाहिए।

आवेदन पत्र पर आवेदन करने का दिनांक अवश्य अंकित करें तथा रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजकर रसीद सुरक्षित रखें।

सूचना प्राप्त करने के आवेदन प्राप्ति के बाद 30 दिन के भीतर आवेदनकर्ता को यह सूचित किया जाना होगा कि क्या सूचना दी जा सकती है या नहीं।

सूचना दिये जाने की स्थिति में सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन 2005) के अनुसार विभिन्न प्रावधान है।

प्रत्येक पृष्ठ ए–4 या ए–3 आकार का कागज के लिए दो रूपये। नमूनों या माडलों के लिये वास्तविक मूल्य या कीमत।

अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घण्टे के लिए कोई शुल्क नहीं, बाद के हर घण्टे या उसके भाग के लिए 5 रूपये का शुल्क देय होगा।

मुद्रित रूप में दी गयी सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य या प्रकाशनों के उद्धरणों की फोटो कापी के प्रति पृष्ठ के लिए 2/– रू0।

सूचना के लिए आवेदन किसी निर्धारित प्रारूप या फार्म में हो या नहीं,पूर्व में तो यह व्यवस्था थी कि सूचना के लिए आवेदन निर्धारित फार्म में होगा। परन्तु वर्तमान में ऐसा आवश्यक नहीं है।

यदि किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचना हो तो आवेदन के 48 घण्टे के भीतर प्रदान करने की भी बाध्यता है।

यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया गया है तो उपरोक्त अवधि से पाँच दिन से अधिक, यदि माँगी सूचना से तीसरे पक्ष के हित जुड़े हो तो आवेदन के 40 दिन के भीतर, इसमें सूचना देने का अधिकार समय और तीसरे पक्ष की प्रतिक्रिया के लिए दिये जाने वाला समय सम्मिलित किया गया है।

शिकायतें और अपील–

शिकायतों और अपील की अपनी समय सीमा है। अधिनियम के निर्धारित प्रावधानों के सन्दर्भ में सूचना के न मिलने या सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी के आदेश से सन्तुष्ट न होने पर उसके विरूद्ध अपील भी की जा सकती है। निवेदन कर्त्ता के लिए प्रथम एवं द्वितीय अपील करने तथा तृतीय पक्ष को भी अपील करने का प्रावधान है। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रथम अपील करते समय मूल प्रार्थनापत्र की छायाप्रति तथा लोक सूचना अधिकारी के उत्तर (यदि प्राप्त हुआ हो), की स्व–सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–20 के अन्तर्गत अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत आचरण करने वाले लोक सूचना अधिकारियों के विरूद्ध अर्थदण्ड लगाये जाने और प्रशासनिक कार्यवाही का भी प्रावधान है, लेकिन प्रयोग में यह बहुत कम उजागर हुआ है। अनेक अवसर पर यह देखने में आया है कि आवेदन 10–15 पृष्ठों का होता है परन्तु माँगी गई सूचना का विवरण महज दो या पाँच पांक्तियों में पूरित हो सकता है।

नतीजन वांछित सूचना में अनावश्यक विलम्ब हो जाता है। इसी कारण कर्नाटक सरकार ने पहल की है कि सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आवेदक केवल सूचना 150 शब्दों में ही माँग सकता है। इसका प्रतिपालन अन्य राज्य भी अब कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हर विभाग में आर०टी०आई० के नाम से एक स्वतंत्र विभाग का गठन किया जाये जिससे आर०टी०आई० से सम्बन्धित समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निपटारा हो सके।

सूचना का अधिकार कानून सभी स्तरों केन्द्र सरकार, नगर निगमों और पंचायतों स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं पर लागू होता है।

निजी क्षेत्र को इसके दायरे से बाहर रखा गया है जबकि निजी क्षेत्र में पारदर्शिता का अभाव है। यदि किसी उपक्रम या संस्था को अधिकांश वित्तीय सहायता सरकार से मिलती है तो यह जानकारी उस संस्थान से भी मिल सकती है। यह तथ्य किसी से छुपा नहीं है कि देश के भविष्य यानि छात्र/छात्राओं का निजी स्कूलों के नर्सरी दाखिले में जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता है! मनमानी फीस, चयनित पुस्तक विक्रेताओं से ही पुस्तके

खरीदने की मनमानी होती है। कुछ विशेष जानकारियों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, जिस प्रकार उस सूचना को प्रकट करने से भारत की प्रभुता एवं अखण्डता, राज्य सुरक्षा, राष्ट्रीय हित से जुड़े मामले या न्यायालय के अन्दर विचाराधीन मामले, मंत्रिमण्डल के फैसलों से जुड़े मामले या जिनकों उजागर करने से अपराधिक गतिविधियों में वृद्धि होती है।

इस प्रकार धारा 8 और 9 के अन्तर्गत वार्णित सूचनायें देने की मनाही है। परन्तु ऐसी सूचना जिससे संसद या राज्य विधान मण्डल को इन्कार नहीं किया जा सकता है किसी व्यक्ति को सूचना देने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

पूर्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सूचना केवल भारतीय नागरिकों को ही दी जा सकती थी। अत: नागरिकत्व भी आवेदन में आवश्यक था। लेकिन हाल ही में हुए संशोधन के तहत केन्द्र सरकार ने एन०आर०आई०ज० को भी आर०टी०आई० कानून के अन्तर्गत जानकारी देने की पहल की है। आर०टी०आई० फीस का भुगतान अब आई०पी०ओ० इलैक्ट्रानिक इण्डियन पोस्टल आर्डर से किया जा सकेगा।

इसके लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया जा सकता है। एन०आर०आई० को जानकारी प्राप्त होने में कठिनाई को देखते हुए यह सुविधा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है क्योंकि उन्हे 10/- पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट आसानी से उपलब्ध नही होते थे।

अब ई०आई०पी०ओ० की खरीद सम्भव है, परन्तु कागजी रूप में नही मिलेगा, उसे केवल एक नम्बर दिया जायेगा जिसे आवेदन पर अंकित किया जा सकेगा जिसे अंकित कर आर०टी०आई० आवेदन सम्बन्धित अधिकारी को भेजा जा सकता है। निकट भविष्य में आर०टी०आई० सम्बन्धी जानकारी के लिए अब वेबासाइट पर या फोन करके आवेदन दिया जा सकता है। सरकार ने अलग से काल सेन्टर और पोर्टल खोलने का विचार कर लिया है। इससे आम नागरिकों को व्यर्थ की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी और अपने आवेदन के स्टेटस की रिपोर्ट भी मिल जायेगी। डिपार्टमेन्ट आफ पर्सनल एण्ड ट्रेनिंग (डी०ओ०पी०टी०) द्वारा एक्शन प्लान को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

नि:सन्देह आर०टी०आई० ने उल्लेखनीय प्रगति की है। यह आर०टी०आई० के द्वारा ही संभव हुआ कि आर०टी०आई० कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने प्रधानमंत्री कार्यालय से एक पत्र प्राप्त किया जिससे यह उजागर हुआ कि गृह मंत्री पी० चिन्दबरम ने अपने वित्त मंत्री कार्यकाल में पूर्व संचार मंत्री ए० राजा को 2007-2008 में कौड़ियों के भाव पर 2 जी स्पैक्ट्रम की नीलामी की छूट दी थी।

राष्ट्रीय स्तर पर कालेधन सम्बन्धी तथ्य राष्ट्रमण्डल खेलों में हुए घोटाले तथा विभिन्न योजनाओं में हुए करोड़ों के घोटाले जो नित्य समाचार पत्रों में प्रकाशित होते आ रहे हैं, जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं की सूचना भी इसी कानून से प्राप्त हुयी है।

संसद में प्रतिदिन होने वाली सदन की कार्यवाही पर 2 करोड़ का व्यय, कितने बिल पेंडिंग है, का लेखाजोखा आर०टी०आई० द्वारा ही संभव हुआ है।

राष्ट्रपति की विदेश यात्रा पर करोड़ों का व्यय आर०टी०आई० द्वारा प्राप्त हुआ है। देखा जाये तो आर०टी०आई० का मुख्य उद्देश्य ही यह था कि आम नागरिक को कम से कम यह जानने का हक है कि उसके द्वारा दिये जा रहे टैक्स का क्या हो रहा है या उसके राशन कार्ड, पासपोर्ट बनने में क्या देरी है।

सूचना के अधिकार की सकारात्मकता तभी संभव है जब सूचना प्राप्ति के बाद या किसी भ्रष्टाचार का

पर्दाफाश होने के बाद आम नागरिक सर्तकता एजेन्सियां सी०बी०आई० को इस उजागर हुए तथ्यों की जानकारी देने से सहयोग करें, इसमें मीडिया का भी सहयोग लिया जा सकता है।

सूचना के अधिकार को एक आन्दोलन के रूप में लेकर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से लड़ा जाये।

कानून का व्यापक प्रचार-प्रसार हो इसके लिए आयोग ने इसे स्कूल, कॉलेज एवं पंचायत स्तर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। आवश्यकता है जनभागिता की । आम जनता विभिन्न सामाजिक संगठनों को भी अपनी होने वाली बैठकों में सूचना के अधिकार के प्रचार में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत सैल के संस्थापक सदस्य हैं तथा सिटीजन वेलफेयर सोसायटी, दून सिक्ख वेलफेयर सोसायटी जैसे अनेक सामाजिक संगठनों से सक्रिय रूप में जुड़े हुये हैं। सम्पर्क :- 9412056672 ई-मेल :- asb2702@gmail.com. 30/3 मोहनी रोड़ देहरादनू- 248001)

D.A.V. INTERMEDIATE COLLEGE

Karanpur, Dehradun. Ph/Fax 2744320

Website - www.davintercollegekaranpurddun.in
E-mail : anand_kumar49@hotmail.com

(A PIONEER INSTITUTION WITH MORE THAN HUNDRED YEAR'S STANDING)

1. Affiliated with uttarakhand Board (CBSE Pattern).
2. Science Commerce and Arts streams available at plus 2 level.
3. Highly qualified and competent faculty.
4. Well equipped Labs and Library.
5. Modern Computer Lab. Complusory Computer Education from VI to XII.
6. Government Prescribed Fee structure.
7. English and Hindi Medium Classes from VI to XII.
8. Scholarships available for SC/ST Candidates.
9. Various Sports, Games & Co-curricular activities.
10. Mid Day Meal for classes VI, VII, VIII,

Contact for admission from classes VI to XII on any working day from 8.00 A.M. to 2.30 P.M.

Dr. Nagendra Swarup
MANAGER

Dr. A.K. Srivastava
PRINCIPAL

भ्रष्टाचार के विरूद्ध युवाशक्ति का एक वृहत संगठन

▪ रमाकान्त श्रीवास्तव

स्वाधीनता के पश्चात अपने भारत देश की हजारों वर्षों की गौरवशाली एंव वैभव संम्पन्न परंपराओं को ध्यान में रख कर उसे पुन: आधुनिक विकसित एंव परिस्थितिजन्य दोषों से मुक्त करने का सपना जब सारा देश देख रहा था उस समय कुछ युवाओं ने इन सपनों को साकार करने के लिए देश के महाविद्यालय एंव विश्वविद्यालय परिसरों को अपना केन्द्र बनाकर गतिविधियाँ प्रारंभ की । इन्हीं गतिविधियों का देश व्यापी खुला मंच 9 जुलाई 1949 को विधिवत स्थापित हुआ जिसका नाम ही अखिल भारतीय विधार्थी परिषद (**ABVP**) है।

किसी राष्ट्र के स्वस्थ्य सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और आर्थिक परिवेश के स्थायित्व व उन्नति का आधार, उस राष्ट्र की युवा शक्ति के शुभ संकल्प तथा अनुशासित रचनात्मक ऊर्जा से पूर्ण आचरण पर निर्भर करता है। 'युवा' शब्द ही प्रखर ऊर्जा का पर्याय है। यह युवा शक्ति ही किसी का समाज या राष्ट्र का भविष्य होती है इसलिये अपने अपने भविष्य को समृद्ध बनाने की आकांक्षा रखने वाला समाज, राष्ट्र और उसका नेतृत्व अपने अतीत के गौरव की परम्परा को वहन करता हुआ उस परम्परा को अपने भविष्य (युवा शक्ति) के हाथों सौंप कर 'लोकहित' और 'देशहित' के अपने दायित्व को पूर्ण करता चलता है। समाज और उसके राष्ट्र के संवर्धन की यही स्वस्थ्य परम्परा है। किन्तु जब समाज और उसके नेतृत्व के वर्तमान में दिशाहीनता, और स्वार्थ लोलुपता बढ़ जाती है और 'लोकहित' गौण हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वह समाज और उसका नेतृत्व अपने भविष्य को भी पतन के गर्त में धकेल रहे होते हैं,।

प्रत्येक 'राष्ट्र' के राष्ट्रीय जीवन की विकास यात्रा में न तो कुलघातियों की कमी होती है न राष्ट्र द्रोहियों की कमी होती है और न ही उस रचनात्मक प्रखर ऊर्जा की कमी होती है जो समाज या राष्ट्र के समग्र विकास के लिये निरन्तर कार्य करती रहती है। यह रचनात्मक प्रखर ऊर्जा जब एक 'अध्यापक' के रूप में कार्य करती है तो एक अध्यापक अपने शिष्य के माध्यम से समाज के साथ साथ राष्ट्र के उदय का हेतु बनता है । इतिहास ऐसे उदाहरणों का साक्षी है जहाँ अध्यापक के संकल्प और शिष्य की रचनात्मक ऊर्जा से राष्ट्रजागरण और समाज का नव निर्माण हुआ है। ऐसा भविष्य में भी होता रहेगा यह आशा इसलिये भी है कि ऐसे व्यक्तिगत प्रयासों के साथ ऐसे सामूहिक प्रयास जारी हैं जहाँ नैतिक मूल्यों से हीन शिक्षा, अपने को स्थापित करने के लिये गला काट प्रतिस्पर्धा, विकास की योजनाओं को सुरसा की तरह निगलती जनसंख्या वृद्धि, भ्रष्टाचार से श्रापित राजनैतिक परिवेश, अस्मिताओं और पहचान के नाम पर क्षेत्रीयता का बढ़ता सामाजिक वैमनस्य जैसी अनेक विद्रूपताओं के परिवेश में भी छात्र व अध्यापकों के सहयोग से चल रहे कुछ संगठन राष्ट्र की युवा शक्ति के नवजागरण में लगे हैं जहाँ छात्र समाज सेवा के साथ अपने अध्यापकों को देखरेख में राष्ट्रीय राजनीति में भागीदारी हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उनमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नाम भी आता है। उक्त छात्र संगठन की रचनात्मक गतिविधियों से परिचित कराता श्री रमाकान्त श्रीवास्तव का यह लेख यहाँ प्रस्तुत है जो वर्तमान में डी.ए.वी. इण्टर कॉलेज, देहरादून में प्रवक्ता हैं तथा उक्त संगठन के उत्तराचंल प्रान्त के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के सम्मानित सदस्य हैं।

▪ संपादक

विद्यार्थी परिषद की नींव राष्ट्रीय पुनर्निमाण के उददेश्य से डाली गयी। राष्ट्रीय पुनर्निमाण क्या है? हमारे देश में हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा, मकान, शिक्षा एंव चिकित्सा जैसी प्राथमिक सुविधाएँ प्राप्त हों साथ में सामाजिक सम्मान तथा आगे बढ़ने का समान मौका मिल सके ऐसा माहौल रहे। व्यवस्थाएँ ऐसी हों सभी को न्याय मिले। यह देश बैभवशाली बनने के साथ ही रक्षा की दृष्टि से सम्पन्न बने। समाज में सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन मूल्यों एंव सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की रक्षा हो। परस्पर ऐसे स्नेहपूर्ण एवं पूरक भाव रखने वाला समाज जो विश्वबंधुत्व का भाव रखता है व साथ में अपनी मातृभूमि हेतु

जीने-मरने के लिए लालायित हो इस राष्ट्र के लिए आवश्यक है । यह राष्ट्र तो पुराना है लेकिन पूर्वजों के अमूल्य ज्ञान की रक्षा करते हुए हमें इसे आधुनिक एंव संपन्न बनाना है। सामाजिक को प्रथाएँ एंव गलत परंपराओं से आने वाली पीढी को मुक्त रखने का समाज संकल्प ले ऐसा वातातारण अपेक्षित है।

इसी दिशा में कुछ अभियान अ0 भा0 विद्यार्थी परिषद ने चलाए हैं। परिषद के कार्य को समझना है तो उसके गत छह दशक का लेखा जोखा देखना पड़ेगा। परिषद ने अपने स्थापना काल से ही एक दायित्ववान छात्र संगठन के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। जैसी देश व समाज की आवश्यकता है, वैसे परिषद के कार्यकर्ता कार्य में जुटे रहे। साथ ही हजारों छात्रों का समय - समय पर जागरण किया व उन्हें भी ऐसे कार्य में सहभागी होने का अवसर प्रदान किया।

परिषद राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलनों के साथ ही सकारात्मक राष्ट्र भक्ति का भाव जागृत करने के कई प्रयास करती है। विवेकानंद जयंती 'युवा दिवस',डॉ0 अंबेडकर पुण्यतिथी को 'सामाजिक समता दिवस' के रूप में प्रतिवर्ष हजारों महाविद्यालयों में 'परिषद' मनाती है। इसके अलावा भगत सिंह, सावरकर,चंद्र शेखर आजाद जैसे कई महापुरूषों के विचारों पर साहित्य प्रकाशित कर छात्रों में उनका प्रचार तथा विभिन्न कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं का आयोजन भी परिषद के कार्यो का हिस्सा है।

स्वाधीनता संग्राम 1857 की महान स्मृतियों के 150 वर्ष पूरे होने पर परिषद ने प्रचुर मात्रा में साहित्य प्रकाशित कर देश भर में कई प्रकार के कार्यक्रम किये। वंदेमातरम की शताब्दी के निमित्त सैकड़ों महाविद्यालयों में स्वाधीनता की गौरवपूर्ण गाथाओं को पहुँचाया तथा सामूहिक वंदेमातरम गायन के भव्य कार्यक्रम आयोजित किए।

परिषद ने राष्ट्रीय स्वाभिमान के कई विषयों पर जागरण व संघर्ष के माध्यम से इस देश के स्वाभिमान को जोड़ने की अमूल्य परम्परा को अनवरत जारी रखा है।

विगत वर्ष 2010 में बैंगलोर में आयोजित अधिवेशन में देश भर के 8,500 कार्यकर्ता जुटे थे और इसमें हमने भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन को देशव्यापी बनाने व भ्रष्ट्राचार के विरूद्ध हो रहे सभी आन्दोलनों में अपना पूरा सहयोग देने का संकल्प लिया था । हमने तय किया था कि 6 जनवरी 2011 से देश भर में भ्रष्ट्राचार के विरोध मे प्रदर्शन कर आदोंलन का शंख नाद करेंगें। 6 जनवरी को 500 से भी अधिक स्थानों पर प्रदर्शन कर हमने भ्रष्ट्राचार विरोधी आंदोलन की शुरूआत की। 30 नवम्बर 1 एवं 2 दिसम्बर को ऐतिहासिक 72 घण्टे के महापड़ाव तक कई चरणों में भ्रष्ट्राचार व कालेधन के विरूद्ध यह आंदोलन जारी रहा। 25 जनवरी को देश के लगभग 450 स्थानो पर प्रदर्शन हुए जिसमें हजारों युवाओं की सहभागिता रही। 17 व 18 फरवरी को देश के 24 प्रदेशों के मुख्यालयों पर 24 घण्टे का मौन उपवास किया गया जिसमें 5000 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बाबा रामदेव पर बर्बर पुलिस दमन के विरोध में भी पूरे देश में 400 से अधिक स्थानों पर परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे । श्री अन्ना हजारे के सर्मथन में भी सैकड़ों स्थानों पर परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रर्दशन किया।

जन्तर मन्तर पर 4 मार्च को 5000 छात्रों का प्रदर्शन हो या लखनऊ प्रदर्शन में बर्बर लाठी चार्ज या देहरादून, हल्द्वानी, बैगंलूर , गुवाहाटी साहित कई प्रदेशों के मुख्यालयों पर बड़े प्रदर्शनों से इस आन्दोलन को और गति देने का काम हम सब ने किया। देश में चल रहे विभिन्न आंदोलनों मे समय-समय पर हमने अपना योगदान दिया है।

यह आन्दोलन प्रथम चरण मे केवल विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के छात्रों तक ही सीमित था लेकिन समाज के प्रभावशाली युवाओं तथा गणमान्य नागरिकों के समर्थन एंव सुझावों से यह आन्दोलन देश के युवाओं तथा जनता तक पहुँचाया गया । भ्रष्टाचार के समग्र उन्मूलन के लिए ठोस सुझाव भी सरकार को दिये जांए एंव लोकपाल के साथ-साथ कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाया जाय ऐसा विचार कर 12 मई 2011 को दिल्ली में (**YAC**) Youth **Against Corruption** मंच का गठन किया गया। इसी क्रम में उत्तराँचल प्रान्त में 22 मई 2011 को हल्द्वानी में इसका गठन किया गया। मंच के गठन के दौरान दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रख्यात समाज सेवी श्री अशोक भगत (रांची) श्री अलफासो (पूर्व प्रशासनिक अधिकारी) एंव श्री आर. बाला सुब्रमण्यम (बैंगलूर) संरक्षक के रूप में उपस्थित रहे। वर्तमान में भ्रष्टाचार के विरूद्ध आन्दोलन का नेतृत्व **YAC** के माध्यम से चल रहा है, जिसको देश भर में कई युवक/सामाजिक/धार्मिक संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ है।

YAC एंव ABVP ने न केवल धरने प्रदर्शन एंव उपवास किये बल्कि युवाओं की ओर से आये समाधान/सुझाव पर चर्चा करते हुए 14 सूत्रीय सुझाव पत्र तैयार किया। भ्रष्टाचार के विरूद्ध ठोस कानून बने व विदेशों में रखें कालेधन को भारत वापिस लाने के मुद्दे को प्रखरता से उठाया गया। समग्र व्यवस्था परिवर्तन के विभिन्न मुद्दों जिसमें व्यापक चुनाव सुधार, पुलिस कानूनों ने सुधार, न्यायिक व्यवस्था में सुधार, प्रशासनिक सुधारों एंव व्यापक शैक्षाणिक सुधारों हेतु देश के पाँच प्रमुख केन्द्रों दिल्ली, मुम्बई भोपाल, हैदराबाद व बैंगलूरू में इन सुधारों के विषय विशेषज्ञों की सहायता से प्रारूप (**Draft**)तैयार करने का काम भी **YAC** के माध्यम से शुरू किया गया है। कालेधन को सरकार कैसे वापिस लाए, इस हेतु महत्वपूर्ण सुझाव भी सरकार को दिये गये। निजि क्षेत्र एंव गैर सरकारी संगठन **(NGO)** को भी इसके दायरे में लाने हेतु स्वतंत्र कानून बनाये जाए इस माँग को उठाते हुए समाधान प्रस्तुत करने वाला एक विचारार्थ बिल (**Prevention of Bribary in Private Sector/ NGO Sector Bill-2011)** सरकार तथा देशभर के बुद्धिजीवियों को चर्चा हेतु भेजा गया।

भ्रष्ट लोगों को सत्ता से हटाने की माँग व आम जनमानस का जागरण करने का व्यापक प्रयास किया गया। **YAC** के नेतृत्व में देश भर के 454 जिलों में हजारों छात्र व युवा सड़को पर आयें । 9 अगस्त 2011 को देशभर में भ्रष्टाचार पर हल्ला बोलते हुए व्यापक चक्काजाम किया गया। कई स्थानों पर कार्यकर्त्ताओं पर बर्बर लाठी चार्ज हुआ। कई छात्रों की गिरफ्तारी हुई। 18 अगस्त-आखिल भारतीय कालेज बंद के आहवान पर देश भर के 365 जिलों मे 1804 स्थानों पर 16375 कॉलेज व शैक्षणिक संस्थान बन्द कर छात्रों ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष का सर्मथन किया।

9 अगस्त 2011 को देश भर में भ्रष्टाचार के मुद्दे को मानव श्रंखलाओं के माध्यम से उठाया गया।। देश के 331 जिलों के 755 स्थानों पर 795 मानव श्रंखलाओं में छात्र, युवा जुटे। इन मानव श्रंखलाओं में 415, 363 छात्रों / युवाओं ने भाग लिया। देश के कोने-कोने में प्रभावी आन्दोलन किया गया, बैंगलूरू में 25 हजार छात्रों द्वारा मानव श्रृंखला ऐतिहासिक रही। सिलचर व गोहाटी में भी युवाओं व छात्रों ने प्रदर्शन कर मुद्दे का सर्मथन किया। 13 अक्टूवर 2011 के प्रर्दशन में भी देशभर में 410 स्थानों पर हजारों युवाओ के माध्यम से भी इस मुद्दे को जनमानस का मुद्दा बनाने में **YAC** व **ABVP** ने लगातार वर्षभर प्रयास किये। 200 यात्राओं के माध्यम से युवाओं व जनता के बीच **YAC**का जाना हुआ। 25 लाख छात्रों से परिसर में सर्म्पक तथा अन्य हर वर्ग के लाखों लोग से सम्पर्क करते हुए व्यापक प्रचार प्रसार कर एवं मुद्दे को और प्रखरता से उठाने का प्रयास **YAC** ने किया। भ्रष्ट कुलपतियों की सूची 12 मई 2011 को जारी करने के तुरन्त बाद प्रत्यक्ष ऐसे भ्रष्ट कुलपतियों के खिलाफ व्यापक आन्दोलन किया गया। प्रसन्नता की बात यह है कि कर्नाटक सहित कई प्रदेशों में आन्दोलन के कारण कई कुलपतियों को उनके पदों से हटाया गया।

देशभर में स्थानीय ईकाई स्तर पर भी शिक्षा के कई मुद्दों के हल हेतु हमने संघर्ष किया है। स्थानीय स्तर पर Sc/ ST छात्रों की माँगों को लेकर संर्घष हुआ है। कई प्रदेश सरकारों को हमारे आंदोलन व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशनुसार छात्रावासों की दशा में सुधार हेतु उपयुक्त कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा।

शैक्षणिक अन्दोलनों के साथ-साथ सामाजिक चेतना व सामाजिक महत्व के विषयों पर आन्दोलनों को गति देने तथा संदेशात्मक आन्दोलन भी परिषद मे इस वर्ष किये हैं। जैसे महिला सुरक्षा की धज्जियाँ उड़ाने वाले दिल्ली को राधिका हत्याकाण्ड के विरोध में दिल्ली वि0 वि0 का आन्दोलन हो, राष्ट्रद्रोही बयान देने वाले सैयद गिलानी, अरून्धती राय, बिनायक सेन आदि का व्यापक विरोध कर भारतीय छात्र व युवाओं की भावना को प्रकट करने का काम विधार्थी परिषद ने किया है।

2011 मे जिन प्रदेशों में छात्रसंघ चुनाव सम्पन्न हुए हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबसे बडा व प्रमुख संगठन उभर कर आए है। इस वर्ष भी दिल्ली विश्वविद्यालय में परिषद का झण्ड दिल्ली के कार्य-कर्ताओं ने बुलन्द किया है। तो मध्यप्रदेश, उत्तरांचल,गुजरात, एम. एस. वि.वि. बड़ीदरा हिमाचल प्रदेश में विरोधियों के मुकाबले एक तरफा जीत अ0भा0 वि0 प0 की हुई है। मश्यप्रदेश के 8 वि0वि0 के छात्रसंघों के अध्यक्ष पदों पर जीत दर्ज कर इतिहास रचने का काम किया है। उत्तरांचल में भी लगभग 90 प्रतिशत छात्रसंघों पर कब्जा करते हुए सबसे बड़े महाविद्यालय डी0 ए0 वी0 (पी0 जी0) कॉलेज देहरादून में लगातार पाँचवीबार जीत हासिल की है।

SE ILअंर्तराजीय छात्रजीवन दर्शन के तत्वाधान में पूर्वोत्तर के सात राज्यों के छात्रों हेतु भारत भ्रमण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दो समूहों में यह छात्र 1 जनवरी से 17 जनवरी तक देश के 10 राज्यों में भ्रमण हेतु गये। इस यात्रा के दौरान दस प्रदेशों के 15 शहरों और 20 विश्वविद्यालयों में छात्रों का जाना हुआ तथा 138 परिवारों में SE IL प्रतिनिधि रहे।

अपने देश की संस्कृति, परम्पराओं मान्यताओं का दर्शन विदेशी छात्रों को हो, जीवन पर्यन्त भारत के प्रति विश्वास व सम्मान , प्रेम सर्म्पक रहे ऐसा प्रयास WOSY के तत्वाधान में किया जाता हैं। इस वर्ष चण्डीगढ़ में 19,20 फरवरी को सांस्कृतिक विविधता-एक सुखद अनुभूति नाम से अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद आयोजित हुआ। परिसंवाद में 38 देशों के 230 छात्र छात्राएं इसमें सहभागी रहे।

देश के उन प्रतिभावान छात्रों में भी हम आज प्रभावी उपस्थिति में आ गए हैं जो देश के चुनिंदा शिक्षण संस्थानों (**IIT, IIM & NIT**) में शिक्षा प्राप्त कर देश के विकास में भागीदार बनते हैं। इस वर्ष पुणे में थिंक इण्डिया (**THINK INDIA**)कार्यशाला का आयोजन हुआ। 20 शैक्षणिक संस्थानों के 56 प्रतिनिधि इस कार्यशाला में सहभागी बने एवं छात्रों का रूझान सेवा कार्य की और हो व छात्र प्रत्यक्ष देश के विकास व सेवा कार्य में सहभागी बने इस हेतु कई सराहनीय कार्यक्रम चलाए गए। मध्य प्रदेश में जलसंरक्षण निमित बूंदयात्रा, हरियाणा में जल एवं पक्षी संरक्षण हेतु जल पात्र स्थापित करना, उत्तरांचल में व्यापक वृक्षारोपण, गुजरात में मिट्टी के बर्तनों को पुन: प्रचलित करने हेतु 10,000 बर्तन वितरण, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में रक्तदान, आदि का आयोजन कर छात्रों मे सेवा दृष्टि जागृत करने का प्रयास किया गया।

अभाविप के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ, झारखण्ड, तथा विशेष रूप से दंतेवाड़ा व अन्य घटनाओं के होने के बाद तुरंत उनके विराध में सड़को पर आकर नक्सलवाद के विरोध व देशवासियों व सुरक्षाकर्मियों का मनोबल बढाने का कार्य किया है। नियमित प्रकाशन के माध्यम से भी अभाविप कई कार्यक्रमों व मुददों को अपने कार्यकर्ताओं व समाजतक पहुँचाती है। अपनी मासिक पत्रिका 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का नियमित प्रकाशन हो रहा है। कई प्रदेशों में मासिक , त्रैमासिक पत्रिकाओं का सफल प्रकाशन हो रहा है। सांदीपनी, छात्र उद्घोष, छात्र शंखनद, शक्ति आदि का सफल प्रकाशन निरंतर जारी है।

. . .

With Best Compliments from

New Bristal
a Family Restaurant

Kaulagarh Road
(Near Kishan Nagar Chowk) DehraDun

Prem Bhatia

सूचना माँगने वालों को सरकारी प्रताड़ना

■ हरिशंकर सैनी

सूचना का अधिकार कानून लागू करने के पीछे मंशा सरकारी आधिकारियों व कर्मचारियों को जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाने व भ्रष्टाचार को समाप्त करने की थी,लेकिन अब तक के अनुभवों से यही साबित होता है कि सूचना मांगने वालों को सरकारी प्रताड़ना से गुजारना पड़ता है और भ्रष्टाचार में कोई कमी नही आई है। २००५ में जब सूचना का अधिकार कानून देश में लागू किया गया तो उसके पीछे यह मंशा थी कि लगातार भ्रष्ट हो रही इस व्यवस्था के प्रति जनता के भरोसे को दोबारा से स्थापित किया जा सके। दरअसल नित नए भ्रष्टाचार के मामले सामने आने और नए मामले का पहले वाले से भी ज्यादा बड़ा दायरा सामने आने की वजह से जनता की नजरों में पूरे तंत्र की बची हुई साख भी तार-तार हो रही थी। भ्रष्टाचार की बिषबेल ऊपर से नीचे की ओर पूरे तंत्र में घुसपैठ कर चुकी थी। जिस व्यवस्था पर से जनता का भरोसा उठ जाए उसका जीवन ज्यादा नहीं चलता। इस बात को समझते हुए जनता को सूचना का अधिकार कानून दिया गया। ताकि जनता गोपनीयता के दायरे के बाहर की सूचनायें पा सके। इस तरह जनता का भरोसा भी सिस्टम पर दोबारा से कायम होता और छोटे-मोटे भ्रष्टाचारियों पर जनता की निगरानी भी होती रहती। लेकिन अभी सूचना अधिकार कानून को सात साल भी नहीं हुए कि सूचना मॉगने वालों के खिलाफ डराने धमकाने और जान ही ले लेने की वारदातें सामने आने लगी हैं। हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी और उनका गठबंधन इस कदर हावी हो चुका है कि वह सिस्टम के अपने ही स्वास्थ्य को सुधाारने वाली दवा भी उसे नहीं लेने दे रहा है। सूचना मॉगने वालों को भ्रष्टाचारी ही नहीं खुद सूचना मिलना सुनिश्चित करने वाला विभाग ही धमका रहा है। लाजमी तौर पर ऐसे माहौल में भ्रष्टाचारियों के हौसले और भी ज्यादा बढ़ेंगे।

बिहार के बेगूसराए जिले के शशिधर मिश्रा की १२ फरवरी २०१० की शाम गोली मारकर हत्या कर दी गयी। ३२ वर्षीय शशिधर मिश्रा अपनी साइकिल से पास के गाँव में जाकर बिस्किट और चॉकलेट बेचा करता था। उसके भाई महिंदर का आरोप है कि पुलिस तहकीकात जारी रखने में असफल रही है और इस हत्या की गुत्थी सुलझने के भी कोई आसार नही हैं क्योंकि गाँव के राजनीतिबाजों और प्रधाान ने इस मामले में कोई रुचि नही दिखाई।

घर के एक कमरे में छिपा कर रखे गये दर्जनों आर.टी.आई.आवेदनों की तरफ इशारा कर महिंदर ने पूरे विश्वास के साथ बताया कि हो न हो उसके भाई की हत्या कुछ समय पहले उसके द्वारा दर्ज सूचना के अधिकार के तहत की गई शिकायतों के कारण हुई है। शशिधर हर रोज सुबह सुबह जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में सार्वजनिक सूचना काउंटर पर एक लिफाफा जमा करता था,जिसके द्वारा वह बार बार जिले के सरकारी अधिकारियों से सवाल पूछता था। अपने अंतिम आवेदन में उसने स्थानीय पुलिस को निशाना बनाया था। उत्तराखण्ड में भी गत १४ फरवरी २०१२ को हरिद्वार के फेरूपुर निवासी सेवानिवृत शिक्षक व आर.टी. आई. कार्यकर्ता जगदीश प्रसाद चौहान की हत्या कर दी गई। उत्तराखण्ड में भी सूचना कार्यकर्ताओं को धामकाने और डराने के तो कई वाकए सामने आए हैं। पर अब तक किसी भी भ्रष्टाचारी को इतनी छूट नहीं थी कि वह सरेआम हत्या करने लगे। राज्य में पहली बार सूचना अधिकार कार्यकर्ता की हत्या का दुस्साहस किया गया है। मृतक के पुत्र गुण बहादुर ने आरोप लगाया कि आर.टी.आई. के तहत सूचना मांगने के कारण

ही आरोपी लोग जगदीश चौहान से रंजिश रखते थे। मुख्य सूचना आयुक्त ने इस मामले में हरिद्वार प्रशासन व पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। गौरतलब है कि जगदीश प्रसाद चौहान हरिद्वार के एस.एस.पी. से पिछले साल ही उनको दी जा रही धमकियों की शिकायत कर चुके थे। मामला संबंधित थाने में भी पहुंचा था लेकिन वहां इसे सामान्य रंजिश का मामला मानते हुए कोई खास कार्रवाही नहीं की गई। उनके नजदीकी लोग बताते हैं कि जगदीश प्रसाद चौहान की सच को उजागर करने की चाह ही उनकी मौत का सबब बनी। सरकारी आई. टी.आई. से आठ साल पहले रिटायर्ड हुए शिक्षक जगदीश प्रसाद ने सूचना के अधिकार से कई घोटालों का खुलासा किया था। जिसके चलते वह कांट्रेक्टर और राशन के कोटेदारों की ऑख की किरकिरी बने हुए थे। गुणबहादुर ने बताया कि हत्या के एक आरोपी ने गॉव में ही सरकारी भूमि पर निजी स्कूल बनाया हुआ है जिसका खुलासा आर.टी.आई. के जरिए हुआ। इसके अलावा राशन की कालाबाजारी का खुलासा हुआ था।

बेगुसराए के शशिधर मिश्र ने भी स्थानीय ठेकेदारों,ग्राम-प्रधानों,राजनीतिबाजों,सरकारी अधिकारियों और पुलिस सबको सवालों के दायरे में खड़ा किया था। उसके द्वारा दायर एक अपील के चलते ही बेगुसराए रेलवे स्टेशन पर अवैध रूप से निर्मित एक डेयरी स्टाल को हटाया गया था। शशिधर की हत्या के मामले में पुलिस ने घर की तलाशी में प्राप्त ज्यादातर आर.टी.आई. आवेदनों को कब्जे में कर लिया।

सूचना का अधिकार लागू करने के अभियान में १९९६ में चारा घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद तेजी आई और इसी साल के अंत में आंदोलनकर्ताओं, वकीलों,पत्रकारों और शिक्षाविदों के एक समूह द्वारा नेशनल कैम्पेन फॉर पीपल्स राईट टू इन्फोंमेशन की स्थापना की गई और सूचना के अधिकार कानून का मसौदा तैयार करके भारतीय जनता पार्टी सरकार के सामने पेश किया गया.इस प्रस्ताव पर ४ वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और अंततः २००२ में एक बहुत ही मामूली से फ्रीडम ऑफ इन्फोंमेशन एक्ट पर हस्ताक्षर किये गये,हालांकि एन.सी.पी.आर.ई. संगठन ने राजस्थान,तमिलनाडु,महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में राज्य स्तर पर सूचना का अधिकार कानून लागू करवाने में सफलता पाई।

२००४ के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने एक अधिक प्रगतिशील,सहभागी और सार्थक सूचना के अधिकार को लाने का वादा किया। कानून का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में अरुणा राय को शामिल किया गया। गौरतलब है कि ९० के दशक की शुरुआत में राजस्थान में सूचना का अधि ाकार लागू करवाने में मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरुणा राय की मुख्य भूमिका रही थी।

कानून का मसौदा तैयार हो जाने पर कानून मंत्रालय की ओर से काफी विरोध हुआ था और बिल के कई महत्वपूर्ण अंशों की काट-छॉट भी की गई। लोगों के द्वारा मॉगी गई सूचनाओं को उपलब्ध न करने के दोषी अधिकारियों को दंड देने का प्रावधान हटा दिया गया था,जिसपर अरुणा राय ने अपना विरोध भी प्रकट किया था।

अंततः प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हस्तक्षेप के बाद संसदीय समिति ने बिल का पुनरावलोकन करके संशोधनों के साथ इसे संसद में फिर से पेश किया। १५ मिनट की बहस के बाद एक सुधार को छोड़कर बाकी सारे सुधारों पर संसद में सहमति बनी। सूचना देने के लिए सूचना आयुक्तों को मिली ३० दिन की समय सीमा को संसद सदस्यों ने नामंजूर कर दिया व अपीलों पर निर्णय देने के लिए बेमियादी समय देने का प्रावधाान किया। अंततः १२ अक्टूबर,२००५ को यह कानून संसद में पारित हुआ।

वरिष्ठ सूचना कार्यकर्ता तथा देहरादून से प्रकाशित 'आर.टी.आई. समाचार पत्र के संपादक, सुरेन्द्र अग्रवाल कहते हैं कि सूचना अधिकार-२००५ के प्रयोग की सामान्य आबोहवा की बात की जाए तो अपवादों को छोड़ कर सभी सूचना आवेदक भय, तिरस्कार और रूतबेधाारी अधिकारियों व नौकरशाहों के आभामण्डल

के तले दबे-कुचले और एक हद तक सहमे हुए से रहते हैं। ऐसे माहौल को बदला जा सकता है। लेकिन ऐसा सचेतन नहीं किया जाता। सूचना आवेदक को हमेशा सवालिया नजरों से तौला जाता है जबकि भ्रष्ट अधिकारी धूर्तता पूर्वक रौब झाड़ता हुआ आता और जाता है। एक उदाहरण से अपनी बात कहता हूँ। सूचना अधिकार अधिनियम २००५ में उल्लेख है कि आवेदक से केवल पत्राचार के लिए उसके पते के अलावा कुछ नहीं पूछा जाए। सूचना क्यों मांगी जा रही है इसका कारण पूछने या अनुमान लगाए बिना उसे वांछित सूचना उपलब्ध कराई जाए। परंतु राज्य सूचना आयुक्त ने अपील संख्या ६८७१ पर फैसला देते हुए हरिद्वार निवासी मनोज कुमार नामक आवेदक को इस आधार पर कड़ी कार्रवाई के लिए चेतावनी दी गई है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचनाओं का जनहित से कोई संबंध नहीं है। आयोग ने कहा है कि अपीलकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ का दुरूपयोग ही नहीं किया जा रहा है बल्कि शासकीय कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। आर.टी.आई. कार्यकर्ता तथा पत्रकार, हरदीप शर्मा बताते हैं कि वर्तमान समय में आर.टी.आई. कानून के तहत कोई जानकारी या तथ्य हासिल करना अपने आप में जोखिम का काम हो गया है। क्योंकि भ्रष्टाचार के मामलों को छुपाने के लिए पहले तो स्पष्ट जानकारियां दी ही नहीं जाती यदि आर.टी.आई. कार्यकर्ता लगातार लगे रहें और इससे कोई बड़ा प्रकरण खुल रहा हो तो आर.टी.आई. लगाने वालों को डराना धमकाना और मामला बड़ा हो जाने पर हत्या तक कर देना अब आम बात हो गई है। मुझे भी एक ऐसा ही अनुभव हुआ। यह शहरी विकास से सम्बन्धित प्रकरण था। मलिन बस्तियों में आई.एस.डी.पी. योजना के तहत भवनहीन लोगों को आवास दिए जाने थे परंतु निकाय कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से अपात्र लोगों को सूची में शामिल किया गया। ऐसे लोगों को योजना का लाभ दिया गया जिनके पहले ही पक्के मकान हैं। यद्यपि यह योजना आवासहीन लोगों के लिए थी, पर इसका लाभ उन्हें दे दिया गया जिनके पास पहले ही एक मंजिला घर मौजूद था। जब मैंने नगरपालिका परिषद काशीपुर, जसपुर तथा नगर पंचायत महुवाखेड़ागंज, महुवाडाबरा जिला उधमसिंह नगर से सूचना मॉगी तो पहले तो सूचना देने में आनाकानी की गई और मामले को टाला जाता रहा। यह प्रकरण लगभग आठ माह तक राज्य सूचना आयोग में भी लंबित रहा। निकाय लोक सूचना अधिकारी द्वारा आयोग को भी गुमराह करने का प्रयास किया गया। अंततः आयोग की सख्ती की वजह से सूचना प्राप्त हुई। इस दौरान कई धमकी भरे फोन तथा सामने आकर भी धमकियां दी गईं। इसकी शिकायत मैंने डी.जी.पी. उत्तराखण्ड से भी की । आयोग ने भी अपने स्तर से पुलिस को मामले की जाँच के आदेश दिए। परंतु राजनीति के चलते पूरा प्रकरण सिर्फ फाईलों में कैद हो कर रह गया। मामला लगभग दो साल से शासन स्तर पर भी लंबित है। इनसे मुझे आज भी खतरा है। यकीनन इस कानून के तहत नागरिकों को अपनी अपनी सरकारों से जवाब तलब करने का अधिकार मिला है लेकिन दूसरी तरफ उनके निवेदनों को स्वीकार करने के लिए बाध्य करने में ये कानून सफल नही है। ज्यादातर नौकरशाहों को राज्यों के सूचना आयुक्त का पद सौप दिया जाता है पर वे निचली श्रेणी के भ्रष्ट अधिकारियों को दण्डित करने से हिचकिचातें हैं। बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए आर.टी.आई. दायर करने वालों पर जान का खतरा भी मंडराता रहता है। महाराष्ट्र में कई भूमि घोटालों को उजागर करने वाले सतीश शेट्टी की जनवरी २०१० में पुणे में हत्या की गई तथा फिर उसी साल बिहार के शशिधर मिश्रा की हत्या भी आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं के सिर पर मंडराते खतरे का दूसरा उदहारण था। इसी के चलते केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री वीरप्पा मोइली ने सरकार की चुप्पी तोड़ी और मुखबिरों की पहचान को गुप्त रखने सम्बन्धी मसौदे को संसद के शीतकालीन सत्र में लाने का वादा किया,लेकिन संसद का शीतकालीन सत्र २ जी स्पैक्ट्रम घोटाले पर हुए हंगामे की भेंट चढ़ गया। देश के शीर्ष लोगों तक को झकझोर देने वाले इस घोटाले ने एक बार फिर से एक शक्तिशाली सूचना के अधिकार कानून की आवश्यकता महसूस कराई है क्योंकि मौजूदा कानून भ्रष्ट राजनीतिबाजों,उद्योगपतियों और अधिकारियों की मिलीभगत तोड़ने में अशक्त ही जान पड़ता है। हालांकि

कार्यकर्ताओं को इस कानून पर पूरा भरोसा है लेकिन इतना स्पष्ट है कि कानून बना देने मात्र से ही सरकारी महकमों में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा सकता। सूचना आयुक्तों की असमर्थता,अधिकारियों की टालमटोल की प्रवृत्ति और सबसे महत्पूर्ण राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव भी इस कानून के आड़े आता है।

सूचना के अधिकार के कारण काम का बोझ बढ़ने की शिकायत भी सरकारी कर्मचारी करते हैं जो कि गलत है। यह दरअसल सरकारी महकमे की ही खामी है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा-४ में साफ लिखा है की हर जन प्राधिकरण के लिए यह जरूरी है कि उसके सारे रिकार्ड जनता के लिए सुलभ हों और वह इन्हें इन्टरनेट पर अपलोड करे ताकि विभाग का काम पारदर्शी हो और जनता को रिकार्ड पेश किये जाने के लिए कोई आर.टी.आई. डालने की जरूरत ही न पड़े लेकिन अधिनियम पारित होने के ६ साल बाद भी इसपर पूरी तरह अमल नहीं किया गया है। यहाँ तक कि सरकार भी इस अधिनियम के लिए सरकारी कर्मचारियों में जागरूकता फैलाने व उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कोई खास कोशिश नहीं कर रही है। हालाँकि इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता इस पद पर आसीन नहीं हो सकता लेकिन आज तक ऐसे किसी व्यक्ति को यह पद नहीं सौंपा गया। यह इस कानून को कमजोर करने की साजिश है। यहाँ तक कि समय समय पर इसमें कुछ न कुछ ऐसे बदलाव करने की मॉग भी उठती रही है जो राजनीतिबाजों के अपने हित में है। अभी यह जनता का सौभाग्य है कि कुछ सामाजिक कार्यकत्ताओं के विरोध और थोड़ा यू.पी.ए. की सर्वे सर्वा श्रीमती सोनिया गॉधी की इच्छा के कारण ही ऐसे प्रयास सफल नहीं हो पाये हैं।

सम्पर्क :- हरिशंकर सैनी

मो.: 9759998523

ई-मेल :- newsbn@gmail.com

(लेखक - एक आर.टी.आई.कार्यकर्त्ता तथा पत्रकार हैं तथा वर्तमान में ''जनपक्ष आजकल'' पाक्षिक पत्रिका से जुड़े हैं।)

★★★

Rajesh Kumar Bhatia

BAJAJ SERVICE

Authorised Service Centre
for Bajaj Auto Limited

Ashish Auto
Bhatia Market, Prem Nagar,
Dehradun (Uttarakhand) (INDIA)
www.bajajauto.com
Tel +91-135-2773013, Mobile 9997905550

सूचना का अधिकार:कितना कारगर।

■ देवेन्द्र जोशी

मुद्दतें हो गई गुलशन में कोई फूल खिले,
ताजगी बख़्श दे, ऐसा कोई झोंका तो चले।

66 वर्ष के आजाद भारत ने नेहरू का निजाम देखा, इन्दिरा का निजाम देखा, एन.डी.ए. को देखा और अब यू.पी.ए. को देख रहे हैं। नि:सन्देह देश ने तरक्की की है। लेकिन हम जितने आगे बढ़े हैं, उससे कहीं अधिक हमारा नैतिक ह्रास भी हुआ है। संविधान में कई संशोधन हुए हैं। कई नये कानून बने हैं। लेकिन आज फिर उन्हीं विषयों पर, जिन पर संसद में बड़ी बड़ी बहस के बाद कानून बने हैं तथा तत्कालीन सरकारों ने जिन्हें अपनी बड़ी उपलब्धि बताकर चुनाव जीते हैं, वे ही कानून आज बेअसर हो रहे हैं। कारण है, उन्हें लागू करने वाली ऐजेन्सियों का नाकारापन और ऐसी ऐजेन्सियों पर कसा राजनैतिक शिकंजा। एन.सी.टी.सी. को अमली जामा पहनाने में केन्द्र सरकार को आज जो उठक बैठक लगानी पड़ रही है वह इसलिए है कि केन्द्र सरकार अपने अधिकारों का राजनैतिक उपयोग करने की आदि हो चुकी है अब देश की जनता तो दूर उसकी अपनी सहयोगी पार्टियाँ भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। ऐसे हालातों में सूचना का अधिकार कानून 60-65 वर्षो की एकरसता को तोड़ने में एक हद तक सफल रहा है। जो सूचनायें धरातल पर आनी लगभग असम्भव थीं, वे इस कानून से सार्वजनिक हुई हैं और

वृत्ति से अध्यापक श्री देवेन्द्र जोशी एक कवि व साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। सामाजिक सरोकारों से जुड़ी उनकी व्यंग्य रचनायें व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य करती हैं। लोकहित के महत्वपूर्ण कानून सूचना के अधिकार का निहित स्वार्थों के लिये प्रयोग किये जाने को वे न केवल इसका दुरूपयोग मानते हैं बल्कि उन लोगों के हितों पर भी चोट के रूप में देखते हैं जो इसका लोकहित में प्रयोग कर रहे हैं।

■ ***सम्पादक***

ढुलमुल सरकारों को भी ऐसी सूचनाओं के सार्वजनिक हो जाने के बाद उन पर कार्यवाही करने को मजूबर होना पड़ा है जो गत दिनों हुये बड़े-बड़े घोटालों के आरोपियों के कानून की गिरफ्त मे आने से दिखाई दिया है। पढ़े लिखे जागरूक लोगों ने इसका भरपूर उपयोग किया है। दफ्तरों में बाबू तथा अफसर **RTI** कानून से भय खाने लगे हैं। सूचनायें चूँकि प्रामणिक होती हैं और उन्हें न्यायालय में सुबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है इस डर से झूठी सूचनायें देने से वह नौकरशाही डर रही है जिसे कभी एक मेज से फाइल को दूसरी मेज तक पहुँचाने के लिए नजराना देना पड़ता था। नजराना तो आज भी देना पड़ता है परन्तु क्या यह कानून आज पूरी तरह कारगर है? जी नहीं! विगत में बने तमाम कानूनों की तरह देश का प्रशासनिक अमला इसे भी पचा लेने की प्रक्रिया में है। देश के तीन चार प्रकार के दबंग, जिनकी दो तीन पीढ़ियों को मुफ्त का खाना,खाकर आँख दिखाना और कानून तथा न्यायालय को ठैंगा दिखाना आ गया है, वे ऐसे कानूनों को क्या समझते है? दबंगों की पहली श्रेणी में तो राजनीति को अपनी जायदाद समझने वाले माननीय हैं। दूसरी श्रेणी में प्रशासनिक पदों पर बैठे वे नौकरशाह हैं, जिन्हें लगता

है कि भारत का एक अदना सा नागरिक उससे सूचना माँगने की अपनी औकात कैसे समझने लगा है? ऐसे अधिकारियों से माँगी गई सूचनायें एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय होती हुई उस हद तक पहुँचा दी जाती है जहाँ माँगने वाला थक जाता है फिर या तो वह खुद हार का बैठ जाता है, या उसे बैठा दिया जाता है। फिर भी ऐसे कुछ जिद्दी लोग भी होते हैं जो अपील करते करते सूचना आयोगों तक पहुँच जाते हैं ऐसे में तीसरी श्रेणी के दबंग सामने आते हैं जो सूचना माँगने वाले को ही भगवान के पास भेज देते हैं। क्या ऐसे मामले सामने नहीं हैं कि अपराधी चुनाव पर चुनाव जीत रहा है और उस पर लगे आरोपों पर न्यायालय से वर्षों तक कोई निर्णय ही नहीं आता । आज जो संसद की सर्वोच्चता की बात करते हैं और धन बल, बाहु बल और राजनैतिक ताकत से हीन आमजन को यह कहते हैं कि ''पहले चुनाव लड़कर आओ तब कुछ कहने का अधिकार तुम्हें है'', ऐसे लोग माननीय होने की अपनी दबंगता का ही खुलासा करते हैं।

उत्तराखण्ड के सूचना आयुक्त को मिली धमकी, इसका जीता जागता प्रमाण हैं। ऐसे में सीमित ही सही, **RTI** कानून एक ताजा हवा का झोंका है। क्योंकि आम आदमी का वास्ता जिस स्तर के सरकारी कार्यालयों से पड़ता है, वहाँ से उसे सूचनायें, इस कानून की वहज से मिल ही जाती हैं, यही उसके लिए सन्तोष का विषय हैं।

समाज में आज ऐसे व्यक्ति या समूह भी हैं जिन्होंने **RTI** को भयादोहन का जरिया बना लिया है। वे लोग अधिकारियों को पहले **RTI** के तहत पत्र भेजते हैं फिर ऐसे अधिकारियों का भरपूर भयादोहन करते हैं जो अपनी कमियों के खुलासे से ड़रते हैं। उत्तराखण्ड में यह धन्धा जोरों पर है। ऐसे भी मामले सुनने में आये हैं जिनमें बाहरी लोग उन परिसम्पत्तियों पर काबिज हो रहे हैं जिन पर पीढ़ियों से कोई परिवार, संस्थान या मठ आदि काबिज तो हैं परन्तु उनके पास समुचित दस्तावेज नहीं हैं। ऐसे लोगों के सम्बन्ध में सूचना माँग कर पहले उन्हें ड़राया जाता है, फिर उन्हें स्थान छोड़ने का मजबूर किया जाता है और उस पर फिर स्वयं कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन यह भी सच है कि बिना प्रशासनिक और राजनैतिक संरक्षण के यह धन्धा चल नहीं सकता है। हाँलाकि इसमें आर.टी.आई. का दोष नहीं हैं दोष उस विकृत व्यवस्था का है जिसमें कानून का भय नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती है। परन्तु आर.टी.आई. का दुरूपयोग करने वाले ऐसे लोगों को कैसे हतोत्साहित किया जाये इस दिशा में कुछ किया जाना भी जरूरी है।

★★★

PARAS TIMBER
TRADERS

Sal, Sisham
Teak, Deodar
Kail & Chir

A.K. Jain

329, Lakhi Bagh,
Dehra Dun - 248 001
Ph. : off : 0135-2726322
Resi : 0135-2729982
Mobile : 9219178569

जनहित में कार्य करने वालों ने मेरा नजरिया बदला है।

■ शचीन्द्र कुमार श्रीवास्तव

आर. टी.आई. एक्ट या सूचना के अधिकार कानून का मैने कभी प्रयोग नहीं किया है और मेरी नजर में इस कानून का विशेष महत्व भी नहीं था । मेरी नजर में यह खाली लोगों की खुराफात से अधिक कुछ नहीं था । इसका पहला कारण मैं लिख चुका हूँ कि मैने कभी इसका प्रयोग नहीं किया है इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि मेरे जीवन में शायद कोई इस प्रकार की समस्या आयी न थी जिसके लिये मुझे इसका प्रयोग करने की जरूरत महसूस होती। यह सत्य है कि पिछले कई वर्षो से सूचना का अधिकार के माध्यम से सामने आये अनेक घोटालों के किस्से अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिलते रहे तथा यह अकसर पढ़ने को मिलता रहा कि अमुक विभाग के अमुक सूचना अधिकारी द्वारा सूचनाएं न दिये जाने पर उनके ऊपर सूचना आयोग द्वारा आर्थिक दण्ड लगााया गया । समाचार पत्रों में छपे ऐसे समाचारों में यह तथ्य कभी सामने नहीं आता कि उस दण्ड को किस प्रकार वसूला गया। विभाग ने उस लोक सूचना अधिकारी के वेतन से ही उस दण्ड की कटौती की है , कटौती की भी है या नहीं, और दण्ड के बावजूद सूचनाएं मिली भी हैं या नहीं । कुल मिलाकर कोई ऐसी स्पष्ट निर्णायक सूचना जहाँ तक मुझे याद है मैने समाचार पत्रों में नही पढ़ी है। इस लिये मुझे लगता था कि सूचना अधिकार के नाम पर की जाने वाली सारी कागजी कार्यवाही समय की बर्बादी है और इससे होने वाला कुछ भी नहीं है।

आप मेरी इस बात से भले ही असहमत हों पर मुझे आज भी यह लगता है कि केवल सूचना के अधिकार से आधी अधूरी सूंचनाए पाकर सूचना आयोग तक जाकर अपना काफी समय बर्बाद करने पर जो पाते हैं उन सबसे भ्रष्टाचार का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है क्योंकि प्राप्त सूचनाओं से कहीं कोई अनियमितता का पता चलता है तो भ्रष्टाचार के विरूद्व लड़ाई लड़ने के लिये न्यायालयों में जाना जरूरी है और न्यायालयों में अपनी लडाई को अंतिम परिणाम 'न्याय पाने' तक पहुँचाने में कितना समय कितना धन लगाना पड़ता है व कितनी भागा दौड़ी करनी पड़ती है इस बात को मैं कानून का भी विद्यार्थी होने के कारण तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि में चल रहे वकालत के कार्य के कारण अच्छी तरह जानता हूँ और देखता आ रहा हूँ । मेरा यह मानना रहा है कि जब तक सूचना पाने का उददेश्य सत्य के खुलासे के लिये लम्बी लड़ाई लड़ने की इच्छा, क्षमता व समय के त्याग की भावना न हो तो सूचनांए माँगने और न मिलने पर उनके पीछे भागने से हम कोई बडा परिवर्तन समाज में नही ला सकते हैं । आज मुझे अपनी इस धारणा में थोडा सा बदलाव भी महसूस हो रहा है और यह लग रहा कि शायद मैं थोडा सा स्वार्थी होकर सोच रहा हूँ यदि हम सत्य के लिये लड़ नहीं सकते तो कम से कम हमें उसका विरोध भी नहीं करना चाहिये बल्कि अच्छा है कि उसका समर्थन किया जाये।और इस बदलाव का कारण आर. टी. आई. क्लब के महासचिव श्री अमर सिंह धुन्ता और हमारे साथी और 'सूचना अधिकार समाचार' के सम्पादक श्री शर्मा जी हैं जो सूचना के निवेदनों को लिखने से लेकर अपीलों में लगी तारीखों पर सूचना आयोग के चक्कर लगाने में अपना कीमती समय, पैट्रोल व पैसा खर्च करने के साथ साथ लोगों की, सूचना माँगने में की जाने वाली कार्यवाही में मदद करने से लेकर इस कानून के प्रति आम नागरिकों में जागरूकता फैलाने का काम भी कर रहे हैं ।यहाँ तक कि अपने अवकाश के दिनों

में भी अपने पत्र के लिये व क्लब के लिये पूरा दिन भाग दौड़ करते रहते हैं ।अपने क्लब द्वारा किये गये सूचना अधिकार सम्बंधी कार्यो के बलबूते पर समाचार पत्र चलाना आसान काम नही हैं विशेषकर जबकि 'सूचना अधिकार समाचार' पूरी तरह से एक ही कानून से सम्बन्धित जानकारियों और उसके उपयोग में क्लब द्वारा किये गये कार्यो के विवरण को ही प्रकाशित कर रहा है। मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि इन्टरनैट आदि के सहयोग से वे केन्दीय सूचना आयोग व अन्य राज्यों के सूचना आयोगों की गतिविधियों को भी अपने पत्र में प्रकाशित करने का उपाय करें ताकि सारी लिखा पढ़ी और भागदौड़ का उनका भार भी कम हो सके। आर्थिक हानि उठाकर भी ये लोग जन जागरण का जो कार्य कर रहे हैं उसी को देखते हुए मैंने महसूस किया है कि उनके इस लोकहित के कार्य का समर्थन किया जाये। आर.टी.आई. क्लब की जयन्ति के अवसर पर क्लब द्वारा प्रकाशित की जाने वाली स्मारिका के लिये मैं अपने इन संक्षिप्त विचारों के साथ क्लब के सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और श्री शर्मा जी को शुभकामनाएं देता हूँ।

☆ ☆ ☆ ☆

MOUNT ZION SCHOOL

(ENGLISH MEDIUM)

Class : Playgroup, Nursery & K.G. Class : I - V

51/11 Green Valley Colony, Rajpur Road, Dehradun
Ph. No. : 0135-2104923

TRANSPORT FACILITIES AVAILABLE

EXPORT SURPLUS STORE

SPECIALIST IN LEATHER ACCESSORIES :

Footwear, Bean bags, Purses, Wallets, Belts, Jackets etc.
& Exclusive Ladies & Gents High Boots

25/1, Rajpur Road, Opp. Astley Hall, Dehradun

पढ़े अवश्य ! 1997 में सत्याग्रह मीमांसा में कुछ अंश छपा है-

देश का असली मालिक कौन ?

एक मोटे अनुमान के अनुसार इस समय लगभग एक करोड़ अस्सी लाख व्यक्ति केन्द्र तथा राज्यों की सेवा में है जिन्हें सरकारी खजाने से वेतन, भत्ते आदि प्राप्त होते हैं। इन लोगों को सरकारी कर्मचारी कहा जाता है। इन एक करोड़ अस्सी लाख व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को शामिल कर लेने पर यह संख्या नौ करोड़ बैठती है। ये नौ करोड़ भारत की कुल आबादी का दसवां हिस्सा हैं। मतलब यह है कि आबादी के दसवें हिस्से को खिलाने के लिए ही तमाम तरह के टैक्स वसूलकर खजाना भरा जाता है और सरकार को हर तरह की परेशानी उठानी पड़ती है और सही-गलत काम करने पड़ते हैं।

कर्मचारियों की स्थिति यह है कि जहाँ पर एक व्यक्ति की आवश्यकता है, वहाँ पर ये पाँच दस तक रखे हुए हैं। ये काम के लिहाज से नहीं रखे जाते, बल्कि रोजगार देने के नाम पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को खजाने से पैसा देने के लिए रखे जाते हैं। चूँकि काम नहीं के बराबर है, इसलिए अधिकांश मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं।

किसी भी तरफ निकल जाइए, सरकारी कर्मचारी मुश्किल से आधा या एक घंटा दिनभर में शायद मनोयोग से काम करता है। वेतन तो वहाँ पर हाजिरी लगाने का मिल जाता है। काम करने के लिए इन्हें अलग से धन चाहिए। यह धन इन्हें उनसे मिलता है, जिनका ये काम कर देते हैं। इन्हें काम करने के लिए कोई मजबूरी नहीं है। नहीं करने पर, अथवा एक ही काम को दसियों बार बिगाड़ते-सुधारते रहने पर भी वह काम ही माना जाता है।

इनकी भलाई के लिए रियायती दुकानें खुली हैं। यात्राओं के लिए विशेष सुविधाऐं हैं। दवाओं व इलाज का सस्ता व मुफ्त प्रबंध है। आवास व मकानों में रियायतें व भत्ते हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष साधन-सुविधाऐं हैं। रिटायर होने के बाद ग्रेच्युटी, अन्य फंड तथा पेंशन है। मृत्यु हो जाने पर पत्नी व बच्चों के लिए पेंशन व सुविधाऐं हैं।

इनके पद के मुताबिक समय-समय पर इन्हें तरह-तरह की घूस व नजराना मिलता है। कई तरह से दूसरों से पैसा ऐंठते हैं। खजाने में जानेवाली रकमों को अपने जेब के हवालें करने के बहुत से सूत्र इनके पास हैं और नए ईजाद करते रहते हैं।ये सरकारी सौदों में बेफर्स लेते हैं। तरह-तरह की स्कीमें निकालकर बजट फूँकते हैं, अपनों का हितलाभ करते हैं और कमीशन खाते हैं। गोष्ठियां व सेमीनार करते-रहते हैं। जिनके कभी नतीजे नहीं निकलते। मीटिंग व ईटिंग के हर प्रकार के तरीके ईजाद करते हैं। ये स्वयं राजा हैं। इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।

इस लेख को सूचना अधिकार समाचार में प्रकाशित करने के लिय क्लब के अध्यक्ष श्री डॉ० बी०पी० मैठाणी जी ने उपलब्ध कराया था किन्तु परिस्थितिवश इसका प्रकाशन नहीं हो पाया क्लब की स्मरिका के प्रकाशन के अवसर पर इसको प्रासंगिक मानते हुए इस आशय से प्रकाशित किया जा रहा है कि आज से 35 वर्ष पहले इसके लेखक ने देश की नौकरशाही और व्यवस्था सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं वे आज की तारीख में किस हदतक प्रासंगिक हो सकते हैं इसका फैसला पाठकों पर छोडा जा रहा है। जिन्होने भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के निबन्ध ''भारतवर्षोन्नति के हो सकती है'' को पढ़ा है वे इस तुलना उक्त निबन्ध से कर सकते हैं।

सम्पादक

अब प्रश्न उठता है कि रोजगार की इतनी अच्छी सुविधा आबादी के दसवें हिस्से को ही क्यों उपलब्ध हो? आखिर सरकारी खजाना तो सबका है। तब क्यों केवल दसवाँ हिस्सा ही उस खजाने को खाली करता रहे।

भारत स्वतंत्र हुआ। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होकर देश लोकतंत्र बना राजा-महाराजाओं का राज समाप्त हुआ।

जमीदारी व प्रिवीपर्स समाप्त हुए।

इस प्रकार धीरे-धीरे एक-एक कदम देश लोकतंत्र की तरफ बढ़ता गया। पर एक बात जो तब नही हुई थी, अब भी नही हुई है। यानी इन दस प्रतिशत लोगों द्वारा नब्बे प्रतिशत लोगों के खजाने व संपत्ति का उपभोग करना रूका नहीं। यदि यह लोकतंत्र है तो नब्बे प्रतिशत लोगों को भी कमोबेश इस सरकारी खजाने का लाभ मिलना चाहिए और इसी जीवन में मिलना चाहिए। दो साथियों में से, जिनकी योग्यता करीब बराबर है, एक यदि सरकारी नौकरी में ले लिया तो दूसरा फिर अगले जन्म में ही सरकारी नौकरी शायद प्राप्त करले पर इस जीवन में नहीं। यानी कुछ समय बाद उसकी उम्र भर्ती के लायक ही नही होगी।

हमारे एक मित्र ने बताया कि इस समय हमारी सरकारी नौकरी की व्यवस्था ट्रेन में आरक्षण की तरह है। जो पहले आ गया उसे रात भर सोने की जगह मिल गई, जो देर में आया वह रात भर खड़ा रहता है। ट्रेन में ऐसा चल जाता है क्योंकि वहाँ पर एक रात की ही बात है। पर सरकारी नौकरी में नही लिए गए तो फिर अगले जन्म में ही देखना होगा, क्योंकि एक उम्र बीत जाने के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।

सरकारी नौकरी के खिलाफ हमारी नाराजी यह है कि कुछ लोागों को चुनकर 58 वर्ष तक के लिए सुरक्षित कर लिया जाता है जबकि तमाम उन्हीं की सी योग्यता वाले दूसरे लोग टापते रह जाते हैं। माना एक पद के लिए 10 लोगों की आवश्यकता है। चयन होने के लिए 100 लोग पधारे। किसी भी पद्धति से चयन करके 10 लोग ले लिए गए। बाकी 90 को क्या खाना, कपड़ा मकान आदि कुछ नहीं चाहिए जो आपने छोड़ दिए। यहाँ पर योग्यता का कोई खास प्रश्न नहीं है, क्योकि यदि 10 चुने हुए लोगों को कुछ हो जाए तो दूसरी बार अगले 10 चुने जाएंगे। सबसे योग्य को रखने की बात कहकर बाकी औरों को छोड़ देना न्यायसंगत नहीं है। क्योंकि प्रश्न योग्यता का नहीं बल्कि रोजी-रोटी का है। हम देखते हैं एक कुर्सी पर दसियों तरह की कम-बाकी योग्यता वाले लोग समय-समय पर तबादला होकर आते रहते है और बाकायदा काम चलता रहता है। यानी चयन हेतु आए सौ के सौ व्यक्तियों में वह काबलियत है कि एस कुर्सी पर बैठकर बाकायदा कार्य को आगे बढ़ायेंगे। ऐसी हालत में 100 में से 10 व्यक्तियों को लेकर 58 वर्ष तक के लिए सुरक्षित कर देना और बाकी के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था न करना लोकतंत्र तो नही हुआ। क्या आप उन बचे 90 लोगों को उस पद के बराबर या कुछ कम कोई दूसरी नौकरियाँ नहीं दे सकते? यदि नहीं, तो आप उन 10 लोगों को किस आधार पर 58 वर्ष के लिए नौकरी दे देते हैं जबकि प्रश्न इस हालत में रोजी-रोटी का है, न कि योग्यता का।

आजादी के चालीस वर्ष बाद अब सरकारी नौकरियों में बिलकुल नई बात देखने में, आ रही है। वह यह कि सरकारी नौकरी एक किस्म की बपौती तथा किन्हीं विशेष वर्गों की अपनी जायदाद की तरह होने लगी है। आम जनता अथवा नए लोगों को मौका देने का सवाल अब नहीं के बराबर रह गया है। पहले अपनों को ही तो लिया जायेगा। एक ही परिवार के कई सदस्य या कहें सभी सदस्य जिनका जहाँ जुगाड़ फिट हुआ, सरकारी नौकरी झटक लेते हैं। ऐसी हालत में क्या हम यह माने कि सारे सरकारी खजाने इन्ही चंद लोगों के लिए हैं आम जनता का इसमें कोई हक नहीं है।

हाल ही में हम सभी ने कम्युनिस्ट देशों में हुए परिवर्तन देखे। वहाँ पर एक ही गुट, वर्ग व उन्हीं के लोग पिछले चालीस पचास वर्षों से सत्ता पर कब्जा जमायें बैठे थे। इस बार आम जनता ने गोर्बाचोव के सुधारों से प्रेरणा पाकर तथा हिम्मत करके उस वर्ग को जनता के कंधो से उतारने के लिए मजबूर की दिया। क्या आप उन देशों के उन कम्युनिस्ट वर्गों से अपने देश की नौकरशाही को, जो आम आदमी के कंधो पर सवार होकर उसे चूस रही है किसी भी प्रकार कम समझते हैं या इन दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर देखते हैं? हमारी समझ से कोई अंतर नही हैं। अंतर केवल इतना है कि वहाँ पर जनता द्वारा मजबूरन चुना हुआ वर्ग व सरकारी कर्मचारी एक ही होता था। उसके विपरीत हमारे देश में चुने हुए लोगों को समय-समय पर जनता बदल देती है जबकि असल राजा जो 58 वर्षों तक गद्दी पर बैठा रहता है, तो सरकारी कर्मचारी हैं। उसका न तो आम जनता कुछ बिगाड़ सकती है और न चुने हुए लोग कुछ कर सकते हैं। असल राजा तो, चपरासी है या सबसे बड़ा अधिकारी वही है जो 58 वर्षे तक लगातार कुर्सी पर बैठा रहता है और समय-समय पर चुनकर आने वालों में से अधिकांश को उल्लू बनाता रहता है। आम जनता तो इस 58 वर्ष वाले राजा के सामने निरीह प्राणी है जो उसकी चालों को समझ भी नही पाती।

इसी संदर्भ में एक उदाहरण देना काफी होगा। हमारे एक मित्र ने बताया कि वे एक दिन प्रदेश की राजधानी के सचिवालय के गलियारे की एक कुर्सी पर बैठे थे। वहीं नजदीक में तीन चपरासी भी बैठे थे। एक पूर्व एम.एल.ए. साहब उधर से गुजरे तो एक चपरासी ने उस एम.एल.ए. को लक्ष्य करके दूसरे चपरासियों से कहा,

''सड़क छाप..... बड़ा एम.एल.ए. बना फिरता था। कुछ समय बाद सड़क पर दीखेगा। मैं हमेशा यही रहूँगा। पता चला कि एम.एल.ए. साहब से वह किसी बात पर नाराज था। पर बात तो उसने सत्य ही कही थी। वह चपरासी 58 वर्ष तक के लिए नियुक्त राजा था। वह जमा ही रहेगा। आम जनता में से चुनकर लोग आते-जाते रहेंगे और उस राजा की गाली खाते रहेंगे।

लंबे समय से हम भी देखते आ रहे हैं कि कई आला आफीसर 58 वर्ष तक सरकारी कर्मचारी रहने के बाद राजनीति में चले जाते हैं या सत्ता के दलों से मिलकर राजनीति या समाजनीति करके सरकारी खजाना खाली करते हैं। ये राज्यपाल, राजदूत, मंत्री, निगमों के अध्यक्ष आदि-आदि बहुत कुछ बनते रहते हैं। ऐसी हालत में मृत्यु पर्यन्त सरकारी खजाने से खीचतें रहते हैं। यदि वे लोग साल-दो साल में आते जाते रहते तो दूसरे को भी मौका मिलता। पर पहले ये सरकारी कर्मचारी होते हैं, बाद में नेता बन जाते हैं। इस प्रकार हमेशा ही सरकारी खजाने पर हाथ साफ करते रहते हैं। यदि इस प्रकार कुछ लोग जुगाड़बाजी करके तथा अपनी गोटी फिट करके हमेशा ही खजाना खाली करें तो आम जनता में से काबिल लोगों को राजकाज चलाने का मौका कैसे मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि ये ही लोग सुर्खाब के पर लगाकर आए हैं और सत्ता पर बैठे रहने का हक रखते हैं। इन सबके प्रयत्नों के बावजूद भी देश का जो कबाड़ा हो रहा है वह सभी देख रहे हैं। इन लोगों को 58 वर्ष की उम्र तक तमाम सब कुछ को अपने कब्जे में रखने का मौका मिला और इसीका नतीजा हुआ कि बाद में इनसे पल्ला छुडाना मुश्किल हो गया।

आज शहरों का अनाप-शनाप बढ़ते जाना व शहरी आबादी का कंट्रोल से बाहर होने का क्या कारण है। इसके लिए यही सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार है। यह शहर में नौकरी प्राप्त करके वहीं बस जाता है और अपने परिवार तथा औरों को भी वहीं बुला लेता है। इनकी देखा-देखी दूसरे लोग भी गाँवों को छोड़कर शहरों को आते रहते हैं और वे भी कुछ रोजी -रोटी का साधन बना लेते हैं। शहरों में भीड़ बढ़ाते हैं, और गाँवों को खाली करते जाते हैं।

देश की केवल दस प्रतिशत जनता के लिए हर प्रकार की सुख-सुविधा जुटा देना और उन्हें सरकारी सुविधायें देना यह तो समझदारी नहीं हो सकती । इस प्रकार तो ये काहिल और आलसी ही बनते हैं। इनमें कुछ भी करने का अभिक्रम नहीं रहता और इनकी देखा-देखी आम जनता भी मेहनत करने में कोताही करती है।

हमने कुछ सरकारी कर्मचारियों से उनके काम के बारे में बातें कीं उन्होनें कहा कि ये बातें आम जनता के जानने व समझने की नहीं है और ये राजकाज की बातें हैं। राजकाज क्या होता हैं यह वह नहीं समझा सके।

कई अध्यापकों से बातें करने पर पता चला कि उन्हें विद्यार्थियों के फेल-पास होने से कोई मतलब नहीं है। वे स्वयं स्कूल में हाजिरी दे देते हैं, यही काफी है। उनकी किसी भी प्रकार की जबावदेही अथवा जिम्मेदारी जनता के प्रति हो सकती हैं, इस बात से उन्होने इंकार किया।

गाँवों में काम करने वाले कुछ सरकारी कर्मचारियों से जब बात हुई तो उन्होनें बताया कि कोई खास काम करने को होता नहीं, मन भी नही लगता, ऊब भी होती है। इससे तो अच्छा था अपने मन का कोई काम करके और तरक्की करते। किन्तु बात यह है कि बैठे-बैठे वेतन मिल जाता है और बाद में पेंशन तथा फंड आदि के फायदें हैं ही जो घर बैठे मिलते ही रहेगें। ऐसी हालत में नौकरी की पद्धति ने किस प्रकार लोगों को काहिल बना रखा है और उन्हे कुछ भी करने-धरने लायक रखा नही है ओर सरकार की मजबूरी देखिए कि ऐसे निठल्लों को टैक्स उधारकर खिलाना ही है। पर सरकारी नौकरी हर कोई चाहता है। उसमें एक बार घुस जाने के बाद लाभ ही लाभ हैं। घाटे का सवाल ही नही, न कुछ करना-धरना है और न ही कुछ जिम्मेदारी।

अब लड़कों के शादी ब्याह में दिक्कत आने लगी हैं । पूछते हैं लड़का सरकारी नौकरी मे है क्या? मतलब यह कि

दामाद रहेगा तो पुत्री मुफ्त की रोटी तोड़ती रहेगी। दामाद नहीं भी रहा तो लड़की को नौकरी मिल जाऐगी।

देश में अब श्रम की कोई महत्ता नहीं रह गई है। सरकारी कर्मचारी मेहनत, श्रम, परिश्रम से अधिकांश परे ही रहता है। इसलिए उनकी देखा-देखी औरों ने भी श्रम करना पाप समझ लिया है। देश दिन पर दिन असल माने में गरीब होता जा रहा है और हम ढ़ोल पीट रहे है कि सब ठीक चल रहा है।

कोई भी कर्मचारी जिसके सामने काम करने की कोई मजबूरी नहीं है और बैठे-बैठे वेतन प्राप्त कर लेता है, अपने जीवन में किसी भी प्रकार का अभ्रिक्रम पैदा नहीं कर सकतां वह दूसरों के लिए कोई उदाहरण नही हो सकता। ऐसे काहिलों को भोजन-पानी देते रहने से देश की हालत बदतर होती जा रही है।

अब प्रश्न उठता है कि हल क्या है? क्या किया जाय? सीधी सी बात हैं जब चीज एक हो और हकदार दस तो बँटवारा होना है। बँटवारा ऐसा हो जिससे हकदार को समय-समय पर उसका हक मिलता रहे। ऐसा बंटवारा नहीं कि जवान को बुढ़ापे में हक मिल रहा है। और अधेड़ की बारी मरने के बाद आ रही है। तय हुआ कि बँटवारा होना है। कैसा हो, कितना हो, कब-कब व कैसे हो, ये सब बातें जनता को तय करनी हैं।

हमारी समझ से कुछ खास आवश्यक सेवाओं को छोडकर बाकी नौकरियों में मियाद केवल एक वर्ष की होनी चाहिए। वर्ष समाप्त हो जाने पर सरकारी कर्मचारी को अगले वर्ष के लिए उसी काम में अथवा किसी दूसरे काम में नौकरी प्राप्ति की कोशिश करना चाहिए।

कर्मचारियों की तरह ही अधिकांश सांसद व विधायक भी देश का कबाड़ा करने में पीछे नहीं हैं फर्क यह है कि ये महानुभाव हमारे लोकतंत्र के मुख्य अंग है। इनकी संख्या छह हजार के आस पास रहती है। हर पाँच वर्ष या उसके पहले ही बदल जाते हैं कोई भी चुनाव में आ सकता है। लेकिन इनकी भ्रप्ट कार्य प्रणाली क्षमा योग्य नही है।

हर नागरिक के लिए बुढापे का इन्तजाम करने पर ही कर्मचारियों की बपौती से छुटकारा मिल सकता है। कुछ मुल्कों ने सामाजिक सुरक्षा नाम से यह कार्य किया है। वहाँ पर कोई भी स्त्री पुरूष अपनी जिन्दगी में जहां जो भी कुछ कमाता है। उसका तीन प्रतिशत उसकी सामाजिक सुरक्षा खाते में जमा कराया जाता है। तीन प्रतिशत उसके नियोजक द्वारा उसके खाते में दिया जाता है। और उसके खाते में ब्याज भी जमा होता रहता है। उसे उसके खाते का नम्बर भी मिल जाता है। 62 वर्ष बाद महिलाओं को व 65 वर्ष बाद पुरूषों को उनकी जमा अनुपात से पेंशन मिलती रहती है। इस सुरक्षा के अर्न्तगत रहना सबके लिए अनिवार्य होता है।

☆ ☆ ☆ ☆

' सूचना का अधिकार '

के प्रयोग के सम्बन्ध में आ रही किसी कठिनाई के समाधान के लिये आर.टी.आई. क्लब उत्तराखण्ड द्वारा निःशुल्क परामर्श हेतु जारी हैल्प लाइन-

1	श्री डॉ. बी.पी. मैठाणी	अध्यक्ष, आर.टी.आई. क्लब	9012878346, 9319704492
2	श्री एस.पी. डोभाल	वरि0 उपाध्यक्ष, आर.टी.आई. क्लब	9997308909
3	श्री अमर एस. घुन्ना	महासचिव, आर.टी.आई. क्लब	9997419474, 0135-2750994
4	श्री यज्ञभूषण शर्मा	मीडिया प्रभारी, आर.टी.आई. क्लब	9358130124

एक साक्षात्कार –

'उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग' के मुख्य सूचना आयुक्त श्री एन.एस. नपलच्याल से

''सूचना का अधिकार अधिनियम–2005' इस 12 अक्टूबर 2011को अपनी अधिकारिता के छः वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस लोकप्रिय कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बातचीत के लिये इससे अच्छा और क्या हो सकता था कि 'इस माह का साक्षात्कार' स्तम्भ के लिए साक्षात्कार हेतु उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त से संपर्क किया जाये।

'सूचना अधिकार समाचार' की ओर से किये गये दूरभाषिक अनुरोध पर ही उन्होंने वार्तालाप हेतु 26/9/2011 को सायं 4 बजे का समय दे दिया। नियत समय पर 'सूचना आयोग' पहुँचने पर जब उन्होंने हमें बात–चीत के लिये बुलाया तो सामान्य परिचय के बाद जब उनसे 'सूचना का अधिकार' व राज्य में इस अधिकार के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर वार्तालाप का सिलसिला शुरू हुआ तो उनकी सहज सरल अभिव्यक्ति के कारण थोड़े समय में ही औपचारिकता की सीमाएं समाप्त होती चली गईं और हर प्रश्न पर उन्होंने खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त किये। प्रस्तुत है उनसे हुए संवाद के मुख्य अंश–

■ संपादक

प्रश्न– 12 अक्टूबर 2011 को 'सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005' के लागू होने के छः वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इन छः वर्षों में आप उत्तराखण्ड राज्य में इस कानून की स्थिति को कैसे देखते हैं?

उत्तर–जहाँ तक कुल मिलाकर स्थिति को देखते हैं तो हमारे यहाँ दो तरह की बातें दिखायी देती हैं। मैदानी क्षेत्रों के शहरी भागों में जहाँ इस अधिकार के प्रति ज्यादा जागरूकता दिखायी देती हैं और लोग इसका खुलकर प्रयोग कर रहे हैं तो दूसरी ओर हमारे पहाड़ी व ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम जागरूकता है और लोग इसका कम प्रयोग कर रहे हैं। सरकार व स्वयंसेवी संस्थाओं को इसमें और अधिक जागरूक होने की जरूरत है ताकि इस अधिकार का व्यापक प्रचार व प्रसार हो सके। शहरी क्षेत्रों में जहां अधिक सक्रियता दिखायी देती है वहां चिन्ता का विषय यह भी है कि अतिसक्रिय व्यक्ति जो सूचनाएं माग रहे हैं वे इन सूचनाओं का उपयोग कैसे कर रहे हैं इसका पता नहीं चल रहा है। सूचना का उपयोग जनहित में होना चाहिए। सूचना मांगने वाले को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सूचना देने की प्रक्रिया में व्यापक जनशक्ति का महत्वपूर्ण समय व लोक का धन लगता है। अनावश्यक सूचनाएं मांगे जाने से कार्यालयों में निष्पादित होने वाले विभागीय कार्यों में बाधा पड़ती है। अभी इस विषय में लोक में और अधिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। 'सूचना का अधिकार' जनता को मिली एक बहुत बड़ी शक्ति है। सभी नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। चुनाव लड़ने में, वोट देने में आयु सीमा की शर्त है परंतु सूचना मांगने में आयु की कोई शर्त नहीं है। भारत का नागरिक होना ही इसकी एक मात्र शर्त है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। दूसरे यह सभी संस्थानों पर लागू होता है और प्रत्येक विभाग में यह व्याप्त है। प्रत्येक विभाग में लोकसूचना अधिकारी व विभागीय अपीलीय अधिकारी हैं। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि जो भी इसे डील (दायित्व देख रहे हैं) कर रहे हैं सभी को इस कानून की गहन जानकारी जरूरी है। समय समय पर हमारा आयोग भी इस पर वर्कशॉप का आयोजन करता आ रहा है।

प्रश्न-वर्ष 2011 में आयी अपीलों की संख्या गत वर्ष के इस काल तक की अपेक्षा कितनी है? तुलना में यदि यह घटी है तो इसका कारण क्या है, और यदि यह संख्या बढ़ी है तो इससे आप क्या आशय लेते हैं? क्या अपीलें बढ़ने का कारण यह नहीं है कि विभागीय अपीलीय अधिकारी अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं?

उत्तर-निश्चित रूप से अपीलों की संख्या बढ़ी है। इसका कारण यह है कि ज्यों-ज्यों इस कानून के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ रही है लोग इस सूचना के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यदि एक को इसमें सफलता मिलती है तो वह दूसरे को भी सूचना मांगने के लिये प्रेरित करता है। दूसरा कारण जो आपने कहा है कि लोक सूचना अधिकारी सूचना के आवेदन का सही निस्तारण नहीं करता है तो इसमें अपीलीय अधिकारी को अपने दायित्व का पालन सही ढंग से करना चाहिए, जिससे द्वितीय अपील की नौबत ही नहीं आ सकती। सूचनाएं तो प्रथम अपीलीय अधिकारी को ही दिलाना चाहिए क्योंकि यह विभाग की आन्तरिक व्यवस्था है। लोक सूचना अधिकारी को दण्ड से बचाने की जिम्मेदारी भी उसी की है। जब अपील आयोग में पहुँचती है तो स्थिति उसके हाथ से निकल चुकी होती है। इसलिए प्रथम सूचना दिलाने को निश्चित अपीलीय अधिकारी निष्पक्ष भी होना चाहिए, कर्त्तव्य का पालन नहीं कर अपीलीय अधिकारी को ही करना चाहिए। क्योंकि प्रथम विभागीय होता है इसलिए उसे बिना निष्पक्ष हुए वह अपने सकता है।

सौम्य व गंभीर व्यक्तित्व के धनी श्री एन.एस. नपलच्याल वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य, 'सूचना आयोग' के 'मुख्य सूचना आयुक्त' हैं। प्रशासन के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने के लम्बे अनुभव की योग्यता के साथ-साथ एक सहज सरलता भी उनके व्यक्तित्व में झलकती है। आपने उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के पद की 18 अक्टूबर 2010 को शपथ ली है।

राज्य में ''सूचना का अधिकार अधिनियम'' के कार्यान्वयन और उससे जुड़े विभिन्न प्रश्नों को लेकर सूचना अधिकार समाचार की ओर से श्री यज्ञभूषण शर्मा, श्री अमर सिंह घुन्ता व श्री रमाकान्त श्रीवास्तव के साथ उनकी जो बातचीत हुई है उसका संपादित अंश यहां प्रस्तुत है-

0 संपादक

प्रश्न-कुछ शिकायत है कि आयोग में निस्तारण में बार-बार एक ओर अपीलकर्त्ता को करना पड़ता है तो दूसरी अधिकारी व प्रथम न व्यय करते हैं वह विभाग है। जब सारी वस्तु स्थिति में दिये गये तथ्यों से स्पष्ट बार-बार तारीखें दिया अपीलकर्त्ताओं को अपीलों/ शिकायतों के तारीखें लगाये जाने से जहाँ अपनी जेब से धन व्यय ओर लोक सूचना अपीलीय अधिकारी जो ६ के ऊपर अनावश्यक भार सूचना के निवेदन व अपील होती है तो आयोग द्वारा जाना कहाँ तक उचित है?

उत्तर-हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि जो यहां (आयोग) तक आता है तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम निश्चित करायें कि उसे सूचना मिल जायें। दूसरी तारीख पर हम दोनों से प्रमाण मांगते हैं कि क्या वास्तव में सूचनाएं दी जा चुकी हैं या सूचनाएं मिल चुकी है? अपील पर सुनवाई के समय अपीलकर्त्ता का आना जरूरी नहीं है। अपीलकर्त्ता के आने से और अपनी बात कहने से आयोग के समक्ष अपील का कारण भी स्पष्ट हो जाता है। कुल मिलाकर उद्देश्य यह है कि सूचनाएं मिल जायें। सूचनाएं जब जान-बूझकर नहीं दी जाती हैं तब जाकर पेनल्टी या क्षतिपूर्ति का आदेश करने की नौबत आती है।

प्रश्न-उक्त अधिनियम की धारा-2 (n) में तृतीय पक्ष को बहुत ही सीमित शब्दों में परिभाषित किया गया है- 'तृतीय पक्ष से अभिप्राय किसी अन्य व्यक्ति से है जो सूचना का निवेदन करने वाले व्यक्ति से भिन्न है और इसके अन्तर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी आता है।' उक्त परिभाषा की आपका आयोग किस प्रकार व्याख्या करता है, स्पष्ट करने का कष्ट करें?

उत्तर- जिस सूचना से किसी व्यक्ति की निजता भंग होती है वह तृतीय पक्ष सूचना मानी जा सकती है। परन्तु कई स्थितियों में व्यक्तिगत सूचना भी जनहित की सूचना का रूप धारण कर लेती है जैसे- किसी अभ्यार्थी द्वारा साक्षात्कार में मिले अंकों के विषय में सूचना मांगी जाती है तो उसे व्यक्तिगत सूचना या तृतीय पक्ष सूचना कहकर देने से मना नहीं किया जा सकता है। हमने ऐसे कई निर्णय दिये हैं जिसमें लोक प्राधिकारी को तृतीय पक्ष का लाभ नहीं दिया है और सूचनाएं दिलाने का आदेश दिया है।

प्रश्न-उक्त अधिनियम की धारा-2(f), 2(i) तथा धारा-6 में 'कोई' या 'any' शब्द लगाकर सभी नागरिकों को

सूचना का अधिकार दिया गया है। यदि कहीं आयोग के संज्ञान में यह आता है कि इस अधिकार का दुरूप्रयोग हो रहा है तो आयोग क्या कार्यवाही करेगा/ कर सकता है?

उत्तर- यदि सूचना देने वाला या लोकप्राधिकारी आयोग के समक्ष यह निवेदन करता है कि सूचना मांगने वाला तंग कर रहा है तो हम अपने निर्देश में टिप्पणी कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जाय (सूचना अधिकार समाचार प्रतिनिधियों को इशारा करते हुए) यह तो आप लोग इस अधिकार के प्रति लोक जागरूकता पैदा कर रहे हैं, का कर्त्तव्य है कि लोगों को जागरूक करें कि ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जाय क्योंकि ऐसे लोगों के कारण उन लोगों को भी सूचनाएं मिलने में देरी होती है जो वास्तव में उसको पाने के हकदार हैं।

प्रश्न-उक्त अधिनियम की धारा-18(2) में आयोग की जाँच कराये जाने का अधिकार दिया गया है। जाँच की इस प्रक्रिया को क्या आप समझाने का कष्ट करेंगे? साथ ही धारा 18(4) में मिले-'अभिलेखों को माँगने का अधिकार' के बावजूद यदि लोक प्राधिकारी अभिलेख प्रस्तुत न करे और नष्ट कर दे तब आयोग क्या कार्यवाही करेगा और इन सबके बावजूद वांछित सूचना कैसे दिलाएगा?

उत्तर-जाँच का तरीका यह है कि विरोधी पक्ष को आयोग सुनवाई का मौका देता है और उसका उत्तर प्राप्त होने पर आयोग अपने विवेक से निर्णय करता है। ''यदि कोई अभिलेख उपलब्ध ही नहीं है'' तो यह सूचना भी अपने आप में एक सूचना है। एक निश्चित समय के बाद जो फाईल विभागीय आदेश से नष्ट कर दी जाती हैं (ऐसे लिखित आदेशों के अभिलेख सुरक्षित रखे जाते हैं) तो ऐसी सूचनाएं नहीं मिल सकती हैं। आयोग के सामने पत्रावली गुम हो जाने की शिकायतें भी आ रही हैं। ऐसी स्थिति में आयोग हर संभव प्रयास करता है कि पत्रावली प्राप्त हो। इसके लिए अधिनियम में दिये गये अधिकारों का भी वह प्रयोग करता है और सम्बन्धित लोक प्राधिकारी के विरूद्ध प्रचलित नियमों के अनुसार विधिक कार्यवाही (**FIR**) आदि करने की भी सिफारिश करता है और ऐसी कृत कार्यवाही से आयोग को अवगत कराये जाने का आदेश भी दिया जाता है।

प्रश्न- धारा 19(8-बी) द्वारा सूचना आयोगों को ''परिवादी को हुई क्षति, हानि की क्षतिपूर्ति लोक प्राधिकारी से कराना'' से तात्पर्य क्या आर्थिक हानि की पूर्ति से ही है? उसके मानसिक उत्पीड़न या कीमती समय की बर्बादी की क्षतिपूर्ति का आकलन कैसे हो सकता है?

उत्तर-देखिये! जहाँ तक संभावित क्षतिपूर्ति के आकलन का संबंध है उसका आकलन कठिन कार्य है। इस सम्बन्ध में हमने आयोग स्तर पर विचार विमर्श किया है कि जैसे यदि किसी व्यक्ति को सूचनाएं न मिलने से जमानत न होने के कारण जेल जाना पड़ा है वह क्षतिपूर्ति के योग्य सूचना मानी जा सकती है।

सामान्यत: क्षतिपूर्ति का आकलन करना सामान्य परिस्थितियों में कठिन होता है।

प्रश्न-अधिनियम की धारा -20 में लोकसूचना अधिकारी पर दण्ड का प्रावधान किया गया है किन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से अपील का निस्तारण करने पर दण्ड की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही सूचना न देने की असली दोषी वह अफसरशाही है जो लोक प्राधिकरणों में सबसे ऊपर बैठी है उस पर तो सबसे अधिक दण्ड का प्रावधान होना चाहिए। धारा 19(8) लोकप्राधिकारी से क्षतिपूर्ति कराने का सूचना आयोगों को अधिकार तो देती है परन्तु वह धारा-20 की तरह स्पष्ट नहीं है आप इस संबंध में अपना क्या मत रखते हैं?

उत्तर-देखिये! इस बारे में अधिनियम में दी गयी व्यवस्था से अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ यही कहा जा सकता है कि अपीलेट अथॉरिटी की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए विभाग को ही प्रयास करना चाहिए। 'लोक प्राधिकारी' की यह जिम्मेदारी है कि वह इस महत्वपूर्ण कानून से अपने लोक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारी को भली भांति परिचित व प्रशिक्षित कराये और उन्हें उनके कर्त्तव्यपालन के लिए बाध्य करे।

प्रश्न- उक्त अधिनियम की धारा -7 लोकसूचना अधिकारी को सूचना देने की समय सीमा तय करती है तथा 19(1) व (2) प्रथम अपील के निस्तारण की समय सीमा तय करती है परन्तु द्वितीय अपील के निस्तारण हेतु सूचना आयोगों को स्पष्ट समय सीमा में नहीं बाँधे जाने के कारण अपीलें 'सूचना आयोगों' में लम्बित हो जाती हैं क्या यह इस अधिनियम की प्रभाविता में भारी अवरोध नहीं है?

उत्तर-हम कोशिश करते हैं कि एक या दो सुनवाई में केस का निस्तारण हो जाये परन्तु कभी-कभी किसी विशेष केस में गहरी

जाँच की जरूरत पड़ सकती है और इसमें समय भी अवश्य लगेगा।

इसलिये निश्चित समय सीमा का निर्धारण आयोग के लिए कठिनाई बन सकता है परन्तु यहाँ यह जरूरी कहा जा सकता है कि केसिज की कुछ विशेष स्थितियों के कारण थोड़ा अधिक समय जरूर लग सकता है परन्तु अधिकतर अपीलों का निर्णय जल्दी ही देने की कोशिश की जानी चाहिए।

हम अपने यहाँ इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं और अपीलों पर सुनवाई व निर्णय शीघ्रता से करने का प्रयास किया जाता है।

प्रश्न- 'सूचना का अधिकार समाचार' पत्र से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं और इसके माध्यम से लोक को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?

उत्तर-हमारी तो आपके पत्र से यही अपेक्षा है कि आप लोग आर.टी.आई. के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे तथा सूचना माँगने वाले अच्छे निवेदनकर्त्ता, सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी के काम को जनता के सामने लायेंगे और ऐसे अच्छे कार्य करने वालों को पुरस्कार या प्रोत्साहन देंगे तथा जनहित में मांगी गई सूचनाओं एवं ऐसी सूचनाएं जो ''जनहित की सूचनाएं बन सकती हैं'' उनका अधिक से अधिक प्रचार आपके 'सूचना अधिकार समाचार' पत्र के माध्यम से होता रहेगा।

***

एक साक्षात्कार-

शिक्षा निदेशक (उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा) श्री सी0 एस0 ग्वाल से सूचना का अधिकार विषय पर साक्षात्कार

प्रान्तीय शिक्षा सेवा (पी.ई.एस.) के माध्यम से सेवा में आये श्री चन्द्र सिंह ग्वाल वर्तमान में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा निदेशक के पद का दायित्व संभाले हुए हैं। मूलत: शिक्षा के क्षेत्र से लम्बे समय से जुड़े होने के कारण माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के साथ-साथ उसकी आवश्यकताओं से भी वे भली भांति परिचित हैं। यही कारण है कि उनके कार्य निष्पादन की शैली में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जैसी असम्बद्धता व अडियलपन नहीं है और समस्याओं के मूल को अच्छी तरह जानने के कारण वे उसका समाधान भी तेजी से करने की कोशिश करते हैं।

उत्तराखण्ड राज्य के कुल लगभग दो लाख सरकारी कर्मचारियों में से लगभग 70 हजार कर्मचारियों जैसी बड़ी संख्या वाले शिक्षा विभाग में जहाँ अनेकों प्रकार की समस्याएं व कठिन दायित्व है, उनका दैनिक कार्यक्रम व्यस्तता से पूर्ण है। शिक्षा विभाग में "सूचना का अधिकार अधिनियम-2005" के अनुपालन व कार्यान्वयन की स्थिति एवं उक्त के प्रति उनके निजी विचारों को जानने के लिये 'सूचना का अधिकार समाचार' की ओर से किये गये निवेदन पर अतिव्यवस्तता के बावजूद उन्होंने पत्र के संपादक व श्री अमर सिंह घुन्ता से जो बातचीत की है उसका संपादित अंश यहाँ प्रस्तुत है। ■ *संपादक*

प्रश्न- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सम्बन्ध में आपके विचार क्या हैं?

उत्तर- सूचना का अधिकार कानून अपने आप में एक ऐसा कानून बना है जिसने सभी सरकारी विभागों के कार्यों में पारदर्शिता लाने का अभूतपूर्व कार्य किया है तथा इससे सरकारी विभागों के अन्दर ईमानदारी और व्यवस्थित ढंग से कार्य करने की निश्चित प्रवृति पैदा होगी। क्योंकि इस अधिनियम में सूचना देने में समय सीमा की अवधि निश्चित की गयी है, इस कारण विभागों में अधिकारियों में अपने कर्तव्य बोध की भावना जागृत हो रही है।

प्रश्न- आप माध्यमिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग के निदेशक के पद के दायित्व को संभाल रहे हैं माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं के मन मस्तिष्क पर सूचना का अधिकार जैसे कानून के प्रति किस प्रकार का प्रभाव महसूस करते हैं?

उत्तर- मेरे विचार से इसका बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि विद्यालय स्तर से ही उनके मन मस्तिष्क में

पारदर्शिता व नैतिकता के समावेश से चरित्र निर्माण की प्रेरणा मिल रही है। इन्ही में कोई भविष्य का राजनीतिज्ञ, कोई अधिकारी, कोई समाज सेवी आदि होगा। ऐसे ही चरित्रवान व्यक्तियों से भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र का निर्माण होगा ऐसा मेरा मानना है।

प्रश्न– विद्यालय स्तर पर इस अधिनियम के प्रति जागरूकता हेतु आपके विभाग द्वारा किस प्रकार के कार्य किये जो रहे हैं या किये जाने की योजनाएं हैं?

उत्तर– इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वह सप्ताह में कम से कम एक बार इस अधिनियम के प्रति छात्रों में जागरूकता पैदा करने के लिये विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता गोष्ठी आदि जैसे, कार्यक्रम आयोजित कराते रहें और इन्हें रूचिकर एवं उत्साहवर्धक बनाने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करें जिससे इस अधिनियम का छात्रों के माध्यम से समाज में व्यापक प्रचार एवं प्रसार हो सके। चूंकि मैं स्वयं भारत स्काउट एंड गाईड का चीफ कमिशनर भी हूँ इसके माध्यम से भी मैं यह संदेश दूंगा कि प्रत्येक छात्र अपने विद्यार्थी जीवन में ही यह शपथ ले कि वह भविष्य में सदैव एवं जिम्मेदार भारतीय नागरिक के रूप में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करता रहेगा।

प्रश्न– भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 भी लागू कर दिया गया है इस सम्बन्ध में सूचना का अधिकार किस प्रकार अपनी भूमिका निभा सकता है?

उत्तर– भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया जा चुका है चाहे वह विद्यालय सरकारी हो अथवा पब्लिक स्कूल हो। जैसा कि सर्व विदित है कि जब भी कोई कानून बनता है तो उसके क्रियान्वयन में अनेक प्रकार की कठिनाईयां भी आती हैं।

ऐसी कठिनाईयों का सामना शिक्षा का अधिकार अधिनियम में भी करना पड़ रहा है। ऐसी कठिनाईयों का निवारण करने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चूंकि सूचना का अधिकार स्वयं एक ऐसा अकेला कानून है जिसमें सूचना मांगने वाले के लिये न तो किसी आयु का निर्धारण किया गया है न ही किसी शैक्षिक योग्यता का इसलिए बच्चों या उनके अभिभावकों द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में किसी भी विद्यालय अथवा सम्बन्धित विभाग से सूचना प्राप्त करके अपने अधिकार को प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न– सेवा का अधिकार अधिनियम आपके विभाग में किन-किन सेवाओं पर लागू किया जा चुका है?

उत्तर– प्रथम चरण में हमने छात्रवृत्ति, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) आदि पर यह नियम लागू किया है। छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने के पश्चात 10 दिन के अन्दर छात्र के बैंक खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी) एक सप्ताह के भीतर छात्र को प्रदान कर दिया जायेगा।

प्रश्न– आर0टी0आई0 क्लब, उत्तराखण्ड एवं 'सूचना अधिकार समाचार' के सम्बन्ध में आपके व्यक्तिगत विचार क्या है और आपकी क्या अपेक्षाएं हैं?

उत्तर– आर0टी0आई0 क्लब द्वारा अक्टूबर माह में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में करायी गई चित्रकला एवं निबन्ध प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 12 अक्टूबर को आप लोगों ने मुझे निमंत्रित किया था जिसमें मुझे छात्रों द्वारा बनाये गये पोस्टर व निबन्धों को देखने का अवसर मिला मुझे आपके क्लब द्वारा किया गया यह प्रयास बहुत अच्छा लगा। प्रतिभागियों द्वारा बनाये गये चित्र एवं निबन्ध सराहनीय थे। इस वर्ष यह प्रतियोगिता आर0टी0आई0 क्लब द्वारा केवल देहरादून जनपद स्तर पर कराई गयी थी मैं चाहूंगा कि आगामी वर्षो में आप यह प्रतियोगिता राज्य स्तर पर करायें इस सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा आपको पूर्ण सहयोग दिया जायेगा। मैंने आपके सूचना का अधिकार समाचार के अंको का पढ़ा है, आपका समाचार पत्र अपने शीर्षक के अनुसार ही समाचार एवं जानकारियों को प्रकाशित कर रहा है आपका यह प्रयास बहुत अच्छा है यह इसी प्रकार जारी रहेगा। ऐसी मुझे आशा है।

एक साक्षात्कार-

श्री संजय गुंज्याल, पुलिस उप महानिरीक्षक (गढ़वाल परिक्षेत्र)/प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी, 'सूचना का अधिकार' से

प्रश्न- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में आपकी राय क्या है, आप अपने विभाग में इसे किस नजरिये से देखते हैं?

उत्तर- सूचना का अधिकार आजादी के बाद भारतीय नागारिक को मिला एक ऐसा मजबूत कानूनी अधिकार है जिसके कारण आज उसे ऐसी सभी सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं जिन्हें वह इस कानून से पहले कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। शुरू में हमें लगता था कि पुलिस से सूचना मांगने कम ही लोग आयेंगे परन्तु अब लगता है कि सबसे अधिक सूचनाएं पुलिस विभाग से ही माँगी जा रही हैं। पहले लोग सोचते थे कि पुलिस में कैसे जायें या कैसे सूचना

माँगेगें, सूचना मिलेगी भी या नहीं यह सब पुलिस के रहमोकरम पर निर्भर था परन्तु 'सूचना का अधिकार' से बचाव का कोई आधार काम नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से लोगों को इस कानून का फायदा मिलने के साथ-साथ विभागों की कार्यशैली में भी बदलाव आया हैं और पारदर्शिता बढ़ी है।

प्रश्न- आप अपने विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी भी हैं आप अपने विभाग में इस दायित्व के निवर्हन की स्थिति को किस प्रकार से देखते हैं?

उत्तर- देखिये! हमारे विभाग में ज्यादातर सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी के स्तर से ही दी जा रही हैं। इस वर्ष अभी तक केवल 104 आवेदन प्रथम अपील के रूप में हमारे पास आये हैं जिनमें अधिकतर अपीलें ऐसे प्रकरणों

से सम्बन्धित थीं जहाँ सूचनाएं दी गयी थीं परन्तु स्पष्ट नहीं थीं। सूचनाओं के कुछ आवेदन दूसरे सम्बन्धित विभाग को स्थानान्तरित करके सूचनाएं दिलायी गयीं। उक्त 104 प्रथम अपीलों में से 98 प्रथम अपीलों का निस्तारण प्रथम अपीलीय अधिकारी के स्तर से ही कर दिया गया। केवल 6 प्रकरण सूचना आयोग, उत्तराखण्ड में द्वितीय अपील के रूप में गये हैं। जिनमें से चार अपीलों का निस्तारण हो चुका है तथा दो अपीलें अभी लम्बित हैं।

प्रश्न– क्या आप बता सकते हैं कि आपके विभाग से अधिकतर किस प्रकार की सूचनाएं माँगी जाती हैं या माँगी जा रही है?

उत्तर– हमारे विभाग को किये जाने वाले सूचना पाने के अधिकतर निवेदन उन शिकायतों या रिपोर्टस के विषयों में आते हैं, जो जनता द्वारा हमारे विभाग में की जाती हैं। लोग ऐसी शिकायतों पर हमारे विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही या जाँच की प्रगति को जानने के लिय सूचना पाने का निवेदन करते हैं। इनमें ज्यादातर सूचना माँगने वालों के निवेदन अपनी ही समस्याओं से सम्बन्धित होते हैं कुछ ही सूचनाएं कानून व्यवस्था से संबंधित माँगी जाती हैं।

प्रश्न–प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में क्या आप लोक सूचना अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किये गये निवेदनों पर की गयी अस्वीकृति को यथा स्वीकार करते हुए अपने लोक सूचना अधिकारी का बचाव करते हैं?

1997 बैच के उत्तराखण्ड कॉडर के आई.पी.एस. अधिकारी श्री संजय गुंज्याल 16/10/2011 से उत्तराखण्ड राज्य में पुलिस उप महानिरीक्षक (गढ़वाल परिक्षेत्र) के पद पर तैनात हैं। इससे पूर्व में वे ए.एस.पी. सहारनपुर, एस.पी.देहरादून, एस..एस.पी. हरिद्वार तथा उपमहानिरीक्षक पी. ए.सी. (कानून व्यवस्था) भी रह चुके हैं। शीत की चपेट में आये उत्तराखण्ड प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियों ने चुनावी पारे को तो उछाला है किंतु कानून और व्यवस्था से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों की व्यस्तता को और बढ़ा दिया है। 'सूचना अधिकार समाचार' के आग्रह पर उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच थोड़ा समय अपने विभाग में सूचना के अधिकार के कार्यान्वयन में हो रही गतिविधियों के सम्बन्ध में बातचीत के लिये हमें उपलब्ध कराया। 'सूचना के अधिकार अधिनियम' के कार्यान्वयन में एक 'प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी' के रूप में उनके विचार, कार्यानुभव एवं कार्यशैली के सम्बन्ध में पत्र के संपादक व श्री अमर सिंह घुन्ता, महासचिव, आर.टी.आई. क्लब, उत्तराखण्ड के साथ हुए उनके वार्तालाप का संपादित अंश यह प्रस्तुत है। ■ **सम्पादक**

उत्तर–देखिये! सूचनाएं पाने के जो निवेदन हमारे विभाग से सम्बन्धित नहीं है वे प्रार्थना पत्र धारा–6 की उपधारा –3 के अंतर्गत लोकसूचना अधिकारी के स्तर से ही सम्बन्धित विभागों को हस्तान्तरित कर दिये जाते हैं जैसे कि लोग आर.टी.ओ. या ट्रैफिक पुलिस व ट्रैफिक लाइट आदि से सम्बन्धित सूचनाएं भी माँगते है। ऐसे असम्बन्धित निवेदनों का हस्तान्तरण कर सम्बन्धित निवेदन कर्ता को भी इसकी सूचना दी जाती है ताकि भविष्य में वे सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर सकें। ऐसे कई प्रकरणों में सूचना आयोग ने भी हमारे पक्ष में निर्णय दिया है। प्रथम अपीलों पर निर्णय करते समय केवल धारा–8 व 9 द्वारा संरक्षित सूचनाओं को छोड़कर अन्य सभी संबंधित सूचनाएं

दिलाने का प्रयास किया जाता है।

प्रश्न– क्या सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से विभागीय कार्य में व्यवधान आप महसूस करते हैं या इसके लिये अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत आप महसूस करते हैं?

उत्तर– नहीं ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं मानते हैं। हमारा मानना है कि हमारे विभाग में सभी अधिकारी व कर्मचारी सक्षम है और अपने विभागीय कार्य को तत्परता एवं पूरी क्षमता से करने में विश्वास रखते हैं। हम अपने रेकार्ड इस स्तर तक अद्यतन रखते हैं कि हमें सूचनाएं देने में कोई कठिनाई न हो और निवेदन कर्ता को वांछित सूचनाएं निर्धारित समय से पहले ही देने का प्रयास किया जाये। अतिरिक्त स्टाफ के बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि जितना भी स्टाफ है उतना ही अच्छा है यदि उसे काम आता है । यदि उसे काम नहीं आता है तो पचास की संख्या भी बेकार है। हमारे यहाँ श्री गिरीशचन्द्र ध्यानी, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र) देहरादून इसका एक उदाहरण हैं जिन्होंने अपने दायित्व की व्यस्तता के बावजूद एक सक्षम लोक सूचना अधिकारी का कर्तव्य निभाते हुए सबसे अधिक सूचना के निवेदनों का निस्तारण किया है और समय के अन्तर्गत किया है और कर रहे हैं इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं।

प्रश्न– क्या आपके विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित विभागीय प्रशिक्षण, जानकारियाँ जागरूकता से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम आदि आयोजित किये जाते हैं?

उत्तर– हाँ! समय-समय पर ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है जिसमें विभाग के अधिकारियों व सम्बन्धित स्टाफ को सूचना का अधिकार कानून के विभिन्न प्रावधानों के साथ उनके कर्तव्यों की जानकारी दी जाती हैं जिससे सूचना के अधिकार के कार्यान्वयन से जुड़े स्टाफ को अपना कार्य कुशलता पूर्वक करने में सहायता मिल सके।

प्रश्न– 'सूचना अधिकार समाचार पत्र' के विषय में आप कुछ कहना चाहेगें?

उत्तर– आप अपने अन्य कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी जन जागरण का यह कार्य कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका समाचार पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम से ही सम्बन्धित है जो अपने आप में अनूठा व सराहनीय प्रयास है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

★★★

With Best Compliments From:

EQUINOX CONSULTANCY SERVICES

TAXATION & MANAGEMENT CONSULTANTS

I-56, NEHRU COLONY, DEHRADUN-248001

MOBILE : 9837050181

इस माह का साक्षात्कार-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी श्री आर.के. पन्त से

माह दिसम्बर के अंक के लिए 'इस माह का साक्षात्कार' स्तम्भ हेतु जब 'सूचना अधिकार समाचार' के लिए फोन पर श्री आर.के.पंत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद-देहरादून / लोक सूचना अधिकारी से साक्षात्कार के लिए समया माँगा गया तो उन्होंने दिनांक12.12.2011 को प्रातः 11 बजे का समय दिया। चन्द्रनगर स्थित सी.एम.ओ. ऑफिस पहुँचने पर जब उनके विभाग से संबंधित जानकारियों व सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के कार्यान्वयन पर पत्र के संपादक व पत्र प्रतिनिधि श्री सुरेन्द्र सिंह थापा के साथ जो बातचीत हुई, उसका संपादित अंश यहां प्रस्तुत है। ■ **संपादक**

प्रश्न- 'सूचना का अधिकार कानून' के संबंध में आपके विचार क्या हैं?

उत्तर- 'सूचना का अधिकार' के संबंध में हम कहना चाहते हैं कि आम नागरिक को मिला यह अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही लाभदायक है। ऐसा अधिकार इस देश में पहले कोई नहीं था। इससे लोगों में जागरुकता बढ़ी है तथा सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ने के कारण विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में बड़ी सहायता मिली है।

प्रश्न- आप अपने विभाग में इसे किस तरह से लेते हैं?

उत्तर- देखिये! वैसे तो जो भी सूचनाएं हमसे माँगी जाती हैं हम उन सूचनाओं को देने के लिए बाध्य हैं। अधिकतर सूचनाएं ट्रांसफर होकर, निदेशालय आदि से हमारे पास आती हैं। ये सूचनाएं बड़ी लम्बी होती हैं और एक ही आवेदन में कई सूचनाएं मांगी जाती हैं। इन्हें एकत्र करने में काफी समय लगता है व पेपर वर्क होता है फिर भी हम प्रयास करते हैं कि सूचनाएं यथासंभव समय पर दी जाएं। कभी-कभी तो तीन चार ऐसे निवेदन ट्रांसफर होकर हमारे यहां आते हैं। अन्य प्रशासनिक कार्यों की व्यस्तता के बावजूद समय पर सूचनाएं देने को हम प्राथमिकता देते हैं।

प्रश्न- आपके विभाग से अधिकतर किस प्रकार की सूचनाएं मांगी जाती हैं?

उत्तर- हमारे विभाग से अधिकतर मांगी गयी सूचनाओं का संबंध, सामान की खरीददारी व उक्त सामान के उपभोग व व्यय आदि के संबंध में होती है। कई बार ऐसी सूचनाएं कई वर्षों पुरानी माँगी जाती हैं जिनको एकत्रित करने में बड़ी कठिनाई होती है। देखा जाय तो पचास प्रतिशत सूचनाएं लोकहित में मांगी जाती हैं तो कुछ सूचनाएं व्यक्तिगत स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए माँगी जाती हैं। जैसा कि कई कर्मचारियों के संबंध में उनकी नौकरी व उनकी योग्यता संबंधी व्यक्तिगत सूचनाओं को भी मांगा जाता है जिसके कारण परेशानी तो होती है फिर भी ऐसी सूचनाएं इकट्ठा करके देना हमारी जिम्मेदारी होती है।

प्रश्न- अकसर देखा जा रहा है कि विभिन्न विभागों में 'सूचना का अधिकार' के कार्यान्वयन के लिए लोकसूचना अधिकारी विभाग के अपने दायित्व के साथ सूचना का अधिकार के कार्यान्वयन का दायित्व भी संभालता है जिसके कारण न तो वह ढंग से लोकसूचना अधिकारी का काम कर पाता है और न ही अपना दायित्व, आप इस बात से कहां तक सहमत हैं?

उत्तर-आपका यह प्रश्न हमारी ही समस्याओं को उठाता है। वास्तव में सूचनाएं देने का यह दायित्व गंभीर व जटिल है इसके लिए एक लोकसूचना अधिकारी व एक लिपिक अलग से ही होना चाहिए। यद्यपि यह नीति व संसाधन संबंधी मामला है। हम इसके बारे में अधिक कुछ नहीं कह सकते हैं।

प्रश्न- क्या आप सूचना के निवेदनकर्त्ता को वांछित सूचनाएं पाने के लिए व्यक्तिगत रूप से बुलाने का आग्रह करते

हैं कि जो सूचनाएं उसे चाहिए वह उन्हें चिन्हित कर, उन्हें प्राप्त कर ले, जिससे आपको भी सूचनाएं देने में अनावश्यक परेशानी न हो?

उत्तर– वैसे तो हम कम माँगी गई सूचनाओं को देने के लिए ऐसा नहीं करते हैं और शुल्क जमा कराकर सूचनाएं देते रहते हैं परन्तु यदि तीन–चार सौ पृष्ठों की सूचनाओं की कोई मांग करता है तो हम आवश्यक सूचनाओं को चिन्हित करने के लिए निवेदनकर्त्ता को सूचना भेजते हैं।

प्रश्न– अपने विभाग में इस कानून के सफल क्रियान्वयन के लिए आप क्या कुछ विशेष कर रहे हैं? जिससे आपको सूचनाएं देने में आसानी हो? क्योंकि यदि कोई विभाग अपने अधिकतम क्रियाकलापों की जानकारियों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से सार्वजनिक कर दे और समय–समय पर उसे अपडेट या अद्यतन करता रहे तो क्या आप नहीं मानते कि इससे लोक सूचना अधिकारी का सूचनाएं देने का भार काफी हद तक कम हो जाएगा?

उत्तर– मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और निश्चित रूप से पारदर्शिता ही आर.टी.आई. का उद्देश्य है। मैं पिछले छह मास से कोशिश कर रहा हूं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में हमारी एक वेबसाईट हो जो देहरादून हॉस्पिटल के साथ साथ अन्य सरकारी हॉस्पिटल्स (सब सेन्टर्स) के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अलग अलग रोग विशेषज्ञों के साथ–साथ उनमें उपलब्ध सुविधाओं की जानकारियां दे सके जैसे कौन कौन सी सुविधा कहाँ उपलब्ध हैं, चिकित्सा के विशेषज्ञों के नाम, उनके कार्य समय का विवरण तथा उपलब्ध स्टाफ की ड्यूटी संबंधी जानकारी आदि। नेशनल इनफॉरमेशन सेंटर से हमारी इस संबंध में बात चल रही है। हम जल्दी ही ऐसी किसी पहल की उम्मीद करते हैं। वास्तव में अभी तक हमारे यहाँ पहले ऐसा प्रयास नहीं हुआ था और न ही किसी ने विशेष रूचि दिखायी थी।

यहाँ मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश की सरकार ने जो 'सेवा का अधिकार' लागू किया है इसके लागू होने से निश्चित रूप से लोकप्राधिकारियों के कार्य में जवाबदेही बढ़ेगी और काम लम्बित नहीं पड़े रहेंगे इससे बहुत सी ऐसी समस्याओं का समाधान निश्चित समय सीमा में होगा जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोग 'सूचना का अधिकार' का प्रयोग करते हैं। मेरा मानना है कि इस अधिकार से भी 'सूचना का अधिकार अधिनियम' के अंतर्गत आने वाले ऐसे निवेदनों की कमी होगी जहां लोग अपनी किसी छोटी सी समस्या के समाधान न होने पर वस्तुस्थिति जानने के लिए 'सूचना का अधिकार' का प्रयोग करते हैं।

प्रश्न– ''सूचना का अधिकार समाचार'' से आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं?

उत्तर– आपने अपना 'सूचना का अधिकार समाचार' पत्र दिया और आर.टी.आई. क्लब की गतिविधियों के बारे में बताया, मैं पहली बार यहाँ देख रहा हूँ कि कोई संस्था आर.टी.आई. के नाम पर डराने के बजाय जागरुकता पैदा करने व लोकहित के मुद्दे उठाने का प्रयास कर रही है। आप यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग आर.टी.आई. का दुरुपयोग कर रहे हैं वे नहीं जानते की वे उन लोगों का कितना अहित कर रहें हैं जो जनहित में सूचनाएं मांग कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सार्थक लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके इस प्रयास के लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं।

आर.टी.आई. क्लब उत्तराखण्ड द्वारा सूचना अधिकार दिवस 12 अक्टूबर 2011 के उपलक्ष्य में आयोजित की गई निबंध प्रतियोगिता परिणाम (सीनियर वर्ग)

प्रथम पुरस्कृत निबंध : कु0 भावना मेहता, कक्षा 12 (डी), फूलचंद नारीशिल्प बालिका इण्टर कॉलेज, देहरादून

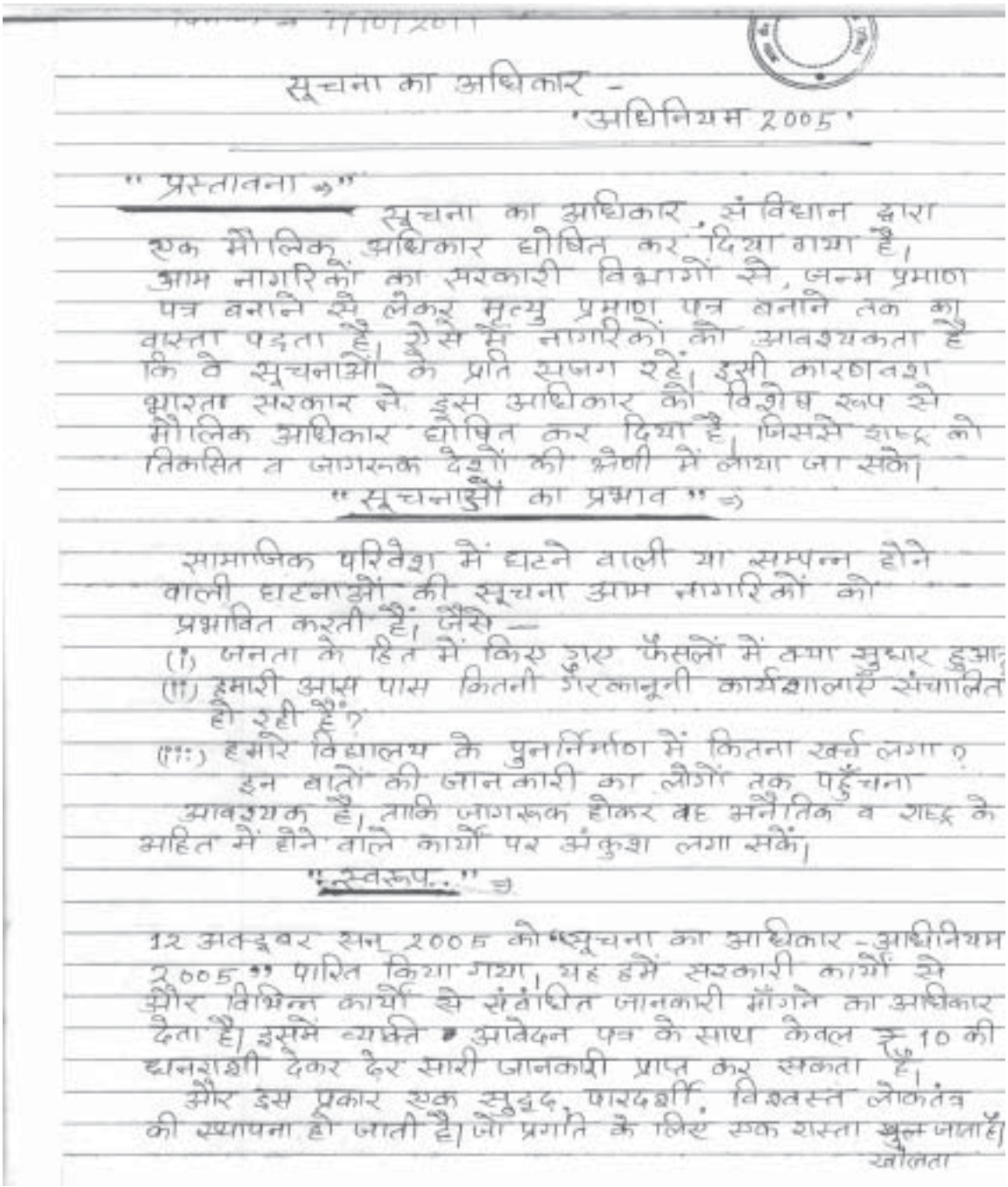

सूचना का अधिकार -
'अधिनियम 2005'

"प्रस्तावना :"

सूचना का अधिकार, संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। आम नागरिकों का सरकारी विभागों से, जन्म प्रमाण पत्र बनाने से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने तक का वास्ता पड़ता है। ऐसे में नागरिकों को आवश्यकता है कि वे सूचनाओं के प्रति सजग रहें। इसी कारणवश भारत सरकार ने इस अधिकार को विशेष रूप से मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, जिससे शख्त को विकसित व जागरूक देशों की श्रेणी में लाया जा सके।

"सूचनाओं का प्रभाव" :

सामाजिक परिवेश में घटने वाली या सम्पन्न होने वाली घटनाओं की सूचना आम नागरिकों को प्रभावित करती है। जैसे -
(i) जनता के हित में किए गए फैसलों में क्या सुधार हुआ
(ii) हमारी आस पास कितनी गैरकानूनी कार्यशालाएँ संचालित हो रही हैं?
(iii) हमारे विद्यालय के पुनर्निर्माण में कितना खर्च लगा?
इन बातों की जानकारी का लोगों तक पहुँचना आवश्यक है, ताकि जागरूक होकर वह अनैतिक व शख्त के महित में होने वाले कार्यों पर अंकुश लगा सकें।

"स्वरूप" :

12 अक्टूबर सन् 2005 को "सूचना का अधिकार - अधिनियम 2005" पारित किया गया, यह हमें सरकारी कार्यों से और विभिन्न कार्यों से संबंधित जानकारी माँगने का अधिकार देता है। इसमें व्यक्ति ₹ आवेदन पत्र के साथ केवल ₹ 10 की धनराशी देकर देर सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है।
और इस प्रकार एक सुदृढ, पारदर्शी, विश्वस्त लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। जो प्रगति के लिए एक रास्ता खुल जाता है।
खोलता

"महत्व एवं उद्देश्य :"

इस अधिकार से आम नागरिक विभिन्न कार्यों से संबंधित जानकारी हासिल कर सकता है जिससे सरकारी विभागों में पारदर्शिता बनी रहती है और भ्रष्टाचार, अनैतिकता, धोखाधड़ी आदि पर अंकुश लगता है। "सूचनाएँ प्रजातंत्रीय व्यवस्था की ऑक्सीजन हैं", जो हमें राष्ट्र को एक सम्पन्न व प्रगतिशील बनाने का सुवसर प्रदान करती हैं। "ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन" में भारत की रैंकिंग में सुधार का श्रेय भी इसी को जाता है।

इस अधिनियम में, सरकारी विभाग (केंद्र व राज्य), ग्रासरूट प्रशासनिक कार्यविभाग व ऐसे विभाग जिन्हें सरकारी अनुदान मिलता है, सम्मिलित होकर इस अधिकार को और महत्वपूर्ण बनाती हैं।

"अपवाद :"

इस अधिनियम के कुछ अपवाद भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय सैनिक संगठन, व्यक्तिगत गोपनीयता व व्यापारिक गोपनीयता को यह अधिनियम गोपनीय ही रखता है। इन विषयों में सूचनाएँ पाने का किसी को अधिकार नहीं है।

"लाभ :"

इससे लाभ यह है कि बिना अतिरिक्त धन व्यय किए और बिना कम सरकारी झमेले के आम व्यक्ति भी सूचना प्राप्त कर सकता है। और अपने द्वारा चुने प्रतिनिधियों की सरकार का अवलोकन कर अगली बार सजग चुनाव कर एक सुदृढ़ और सशक्त लोकतांत्रिक ढाँचा बनाने में हम सभी सहयोग कर सकते हैं।

"अर्थदण्ड :"

यदि किसी सूचना को अधूरा बताया जाए या गलत बताया जाए तो उसके लिए प्रति व्यक्ति २५०₹ का जुर्माना है, इसकी अधिकतम सीमा २५०००. है।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सूचना का अधिकार प्राप्त कर भारत भ्रष्टाचार मुक्त, सुशासन युक्त, चुस्त, दुरुस्त व विश्वगुरू की गरिमा के साथ विश्व पटल पर सदा आगे रहे।

जय हिन्द
जय भारत

द्वितीय पुरस्कृत निबंध : कु0 मेघना थापा , कक्षा 11 (ब), श्री वर्णी जैन इण्टर कॉलेज, देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम '2005'

रूपरेखा :- (1) प्रस्तावना, (2) परिभाषा, (3) विस्तार, (4) उपसंहार।

(1) प्रस्तावना :- एक प्रजातान्त्रिक देश में जनता को बहुत से अधिकार दिए गए हैं जिससे उनका शोषण न हो तथा शासन एवं प्रशासन के कार्य में पारदर्शिता हो। शासन कानून कैसे बनाता है? प्रशासन उसका पालन सही ढंग से करता है या नहीं? ये सब जानना एक नागरिक के लिए आवश्यक है। सन् 1947 ई० में ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम में सन् 1935 के द्वारा जो कानून बनाए थे, वह स्वतन्त्रता के बाद भी चलते रहे। सन् 1923 के ऑफीशियल सीक्रेट एक्ट ने जनता को हमेशा अंधेरे में रखा। जिससे भारतीय कर्मचारी, नेताओं, व सरकारी अधिकारियों ने हर गलत कार्यों को गोपनीय कहकर जनता से छुपाया, जब भी कोई नागरिक सरकारी सूचना से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता, तो उसे गोपनीयता भंग करने के अपराध में दण्डीत कर दिया जाता। इस प्रकार 'हमारा स्वराज', 'कुराज' में बदल गया। सन् 1947 में जागरूक लोगों ने 'सूचना अधिनियम' की माँग की, 1947 के बाद यह माँग जोर पकड़ने लगी। सन् 2005 में सूचना अधिनियम प्रकाश में आया। जिसके कारण प्रत्येक नागरिक को अपने से सम्बन्धित एवं लोकहित में किसी भी सरकारी सूचना प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई।

(2) परिभाषा :- 'सूचना अधिकार अधिनियम' सन् 2005 (RTI 2005) के आधार पर प्रत्येक नागरिक अधिनियम की धारा 2(ज) के अनुसार निम्न सूचनाएँ पाई जा सकती हैं :-

(i) किसी सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।
(ii) दस्तावेजों, कार्यों, अभिलेखों का निरीक्षण करना।
(iii) दस्तावेजों एवं अभिलेखों की टिप्पणियाँ, उदाहरणों के प्रमाणित प्रतियाँ लेना। निरीक्षण करना।
(iv) विडियो, वीडियो टेप, प्रिन्ट आउट, कैसट्स और अन्य इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं से संरक्षित सूचना प्राप्त करना।
(v) पत्रावली एवं अभिलेखों का निरीक्षण करना।

(3) विस्तार :- सूचना का अधिकार जनता का एक अस्त्र है। जिससे जनता सरकारी सूचनाएँ भी प्राप्त कर सकती है। सूचना अधिकार द्वारा बहुत लोग जागरूक हुए हैं, जिससे कई नेताओं एवं मंत्री के घोटाले उजागर हुए हैं, जिसका मीडिया ने खूब प्रचार-प्रसार किया। कई नेताओं व मंत्रियों पर केस चल रहे हैं; सुरेश कलमाडी, कनिमोझी, राजा

आदि सूचना अधिनियम के कारण ही जेल में हैं। और भी कई नेताओं पर केस चल रहा है तथा जेल में भी बन्द हैं। सूचना अधिकारी ही उच्चाधिकारी होता है, उसके ऊपर अपीलिय होता है। जिला, राज्य व देश में सूचना अधिकारी होते हैं। प्रदेशों में सूचना आयुक्त होता है। जो सूचना अपीलिय होता है। यदि कोई नागरिक किसी अधिकारी से सूचना प्राप्त करता है। तो वह उसे ३० दिन के अन्दर वांछित सूचना नहीं मिलती या अधूरी प्राप्त होती है तो वह द्वितीय अपील दर्ज करवा सकता है। यदि फिर उसे ९० दिन तक वह सूचना प्राप्त नहीं होती तो वह सूचना आयोग में कोर्ट में दण्डित करा सकता है या उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध केस करवा सकता है।

यह कार्यालय में कार्यकलापों में पाया जाता है। अब सरकारी अधिकारी भी डर कर रहते हैं कि कहीं सूचना आयोग से उन्हें कोई प्रश्न न पूछ लिया जाए या कोई बात न बताने के कारण उन्हें जुर्माना न देना पड़े। इस कारण अब सरकारी कर्मचारी अपने कम्प्यूटर में सारी सूचनाएँ रखते हैं।

उपसंहार :- सूचना का अधिकार होने के कारण जनता जागरूक हो गई है। जिससे वह सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आ गई है। इस अधिनियम का प्रचार भले ही ज्यादा न हुआ हो परंतु इस बात का हर्ष है कि उत्तराखण्ड में इस विषय का प्रचार-प्रसार 'सूचना अधिकार समाचार' द्वारा हो रहा है, जिससे लोग जागरूक हो रहे हैं।

निबंध प्रतियोगिता परिणाम (सीनियर वर्ग)

तृतीय पुरस्कृत निबंध : कु0 दिव्या जैन, कक्षा 12 (ब), राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, लक्खीबाग, देहरादून

सूचना का अधिकार

26 जनवरी 1950 को जब संविधान बना तो भारत के प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार प्रदान किए गए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो समाज में रहता है उसे अधिकारों की आवश्यकता होती है संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त भाषण एवं अभिव्यक्ति से सूचना का अधिकार लिया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम: 2005

भारत में सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार से मुक्ति, जवाबदेही, खुलापन लाने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन (आरटीआई) सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्तूबर 2005 (उस नियम के 15 जून 2005 को प्रस्तावित होने के 120 दिन बाद) से जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। इस कानून के द्वारा कोई भी व्यक्ति सूचना प्राप्त करने का हकदार है।

क्या है सूचना ?

सूचना से अर्थ है कोई भी वस्तु चाहे किसी भी रूप में हो जिसमे अभिलेख, दस्तावेज, लॉगबुक, पेपर्स, मॉडल, सम्पर्क, ई-मेल, फाइल, कोई पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, रिपोर्ट आदि शामिल है।

किसको यह अधिकार प्राप्त है ?

इस कानून के तहत यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। निगम, यूनियन, कंपनी आदि को सूचना का अधिकार प्राप्त नहीं है। निगम, यूनियन, कंपनी आदि का कोई व्यक्ति या कर्मचारी सूचना प्राप्त करना चाहे तो उसे सूचना प्रदान की जाएगी बशर्ते उसने आवेदन अपने नाम से जमा किया हो।

सूचना कैसे प्राप्त की जाए ?

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक एक कागज में लिखकर या टाइप करके फॉर्म भरकर उसके साथ 10 रुपये लगाकर संबंधित अधिकारी को किसी रूप में (स्वयं या डाक द्वारा) जमा करा सकता है। गरीबी रेखा के नीचे आने वाले व्यक्ति को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है।

सूचना प्राप्त करने की अवधि

सामान्य मामलों में यदि आवेदन जन सूचना अधिकारी को दिया गया है तो वह 30 दिन के अंदर सूचना दिलवाएगा। यदि आवेदन सह-जन सूचना अधिकारी को दिया गया है तो सूचना प्राप्त करने की अवधि 35 दिन है। किसी व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त करने की अवधि 48 घंटे है। यदि तय अवधि में व्यक्ति को सूचना नहीं मिलती या वह प्राप्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह इस बारे में सूचना अधिकारी को शिकायत कर सकता है। शिकायत का निपटान 30 दिन में या विशेष मामलों में 35 दिन में करना आवश्यक है। इस समय केन्द्रीय सूचना मंत्री श्री सत्यानंद मिश्र हैं। इस कानून के तहत प्रत्येक पब्लिक अथॉरिटी में एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर (पीआईओ) नियुक्त करना आवश्यक है जिससे सूचना प्राप्त की जा सके। यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है जिसने सही सूचना न दी हो तो आयोग द्वारा उसपर 250 रुपये रोजाना या अधिकतम 25000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

जो सूचना का अधिकार हमें प्रदान किया गया है उसका हम निडर होकर प्रयोग करें तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, जिससे हमारी प्रगति व उन्नति होगी।

आर.टी.आई. क्लब उत्तराखण्ड द्वारा सूचना अधिकार दिवस 12 अक्टूबर 2011 के उपलक्ष्य में आयोजित की गई निबंध प्रतियोगिता परिणाम (जूनियर वर्ग)

प्रथम पुरस्कृत निबंध : कु0 रिया उपाध्याय, कक्षा 10 (ब), श्री होशियार सिंह बुद्धूमल जैन बालिका इण्टर कॉलेज, विकासनगर

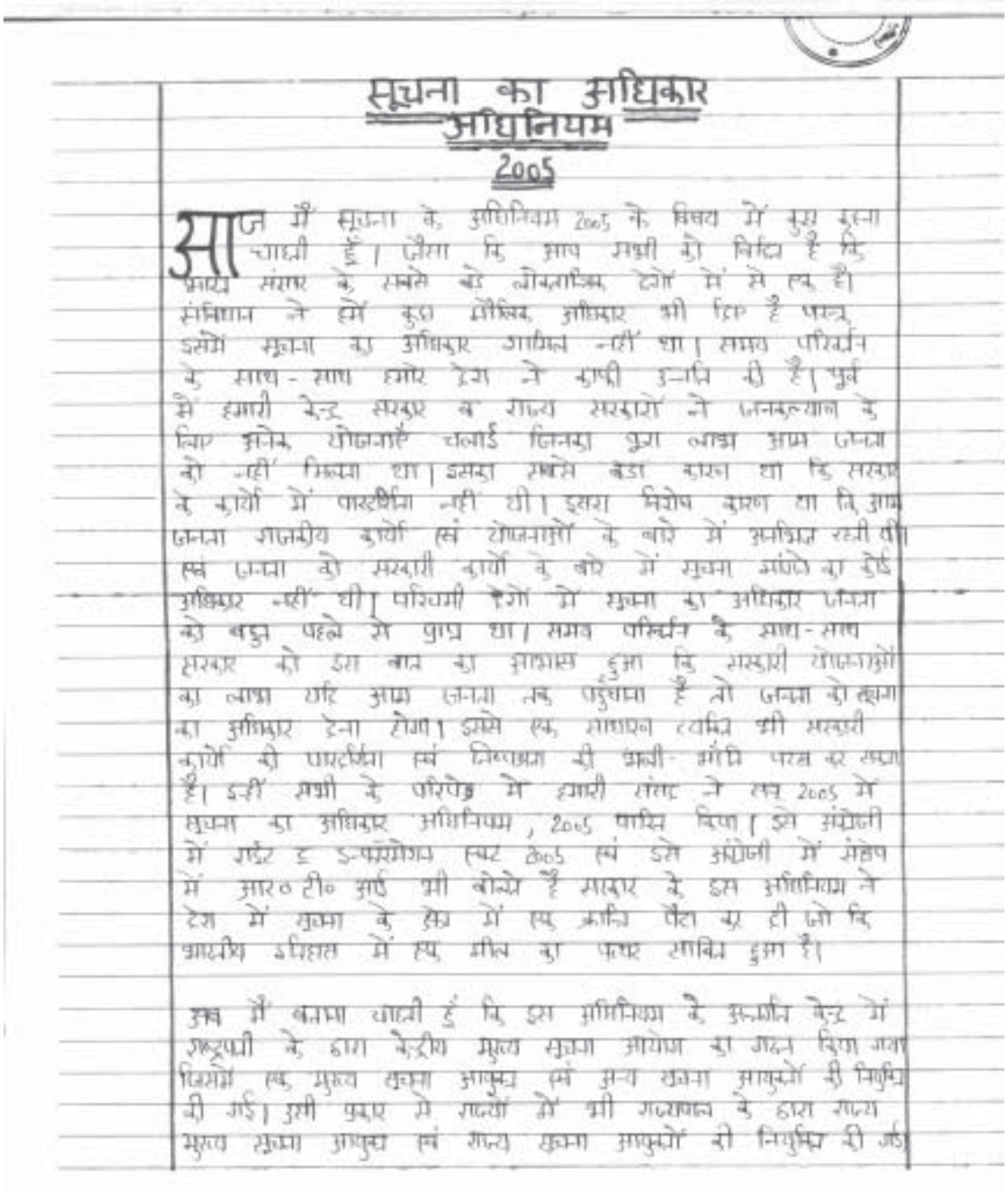

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आज मैं सूचना के अधिनियम 2005 के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भारत संसार के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है। संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार भी दिए हैं परन्तु इसमें सूचना का अधिकार शामिल नहीं था। समय परिवर्तन के साथ-साथ हमारे देश ने काफी उन्नति की है। पूर्व में हमारी केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों ने जनकल्याण के लिए अनेक योजनाएँ चलाईं जिनका पूरा लाभ आम जनता को नहीं मिलता था। इसका सबसे बड़ा कारण था कि सरकार के कार्यों में पारदर्शिता नहीं थी। इसका विशेष कारण था कि आम जनता राजकीय कार्यों एवं योजनाओं के बारे में अनभिज्ञ रहती थी। एवं जनता को सरकारी कार्यों के बारे में सूचना मांगने का कोई अधिकार नहीं था। पश्चिमी देशों में सूचना का अधिकार जनता को बहुत पहले से प्राप्त था। समय परिवर्तन के साथ-साथ सरकार को इस बात का आभास हुआ कि सरकारी योजनाओं का लाभ यदि आम जनता तक पहुँचाना है तो जनता को सूचना का अधिकार देना होगा। इससे एक साधारण व्यक्ति भी सरकारी कार्यों की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता को अच्छी भाँति परख कर सकता है। इसी कमी के परिपेक्ष्य में हमारी संसद ने सन 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पारित किया। इसे अंग्रेजी में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 एवं इसे अंग्रेजी में संक्षेप में आर० टी० आई० भी बोलते हैं। सरकार के इस अधिनियम ने देश में सूचना के क्षेत्र में एक क्रांति पैदा कर दी जो कि भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है।

अब मैं बताना चाहती हूँ कि इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र में राष्ट्रपति के द्वारा केन्द्रीय मुख्य सूचना आयोग का गठन किया गया जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई। इसी प्रकार से राज्यों में भी राज्यपाल के द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई।

इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के द्वारा प्रत्येक सरकारी विभाग में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई। सूचना मांगने का तरीका अत्यन्त सरल किया गया। यदि आप किसी सरकारी कार्यालय से कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निर्धारित फीस जमा करके उस विभाग के सहायक लोक सूचना अधिकारी से सादे कागज पर आवेदन लिखकर आप सम्बन्धित सूचना मांग सकते हैं। सहायक सूचना अधिकारी एक निर्धारित अवधि में जो कि तीस दिन है के अन्तर्गत आपको मांगी गई सूचना उपलब्ध करायेंगे। इस प्रकार से आपको आपकी इच्छित सूचना मिल जायेगी। एक बात मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि यदि लोक सूचना अधिकारी आपके द्वारा मांगी गई सूचना देने में असफल रहते हैं या अधूरी सूचना देते हैं तो आपकी अपील के आधार पर सम्बन्धित मुख्य सूचना आयुक्त अपने अधिनस्थ लोक सूचना अधिकारी के ऊपर आर्थिक दण्ड या जुर्माना लगा सकते हैं इस प्रकार कोई भी सरकारी विभाग आपको कोई भी सूचना देने से इन्कार नहीं कर सकता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत आप कुछ ऐसी सूचनाएँ नहीं मांग सकते हैं जिनका संबंध भारत की अखण्डता एवं सुरक्षा से है

एक बात का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहती हूँ कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग करके हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं। इनमें राष्ट्रमण्डल खेलों का घोटाला, मुम्बई आदर्श सोसाइटी घोटाला एवं 2जी-स्पैक्ट्रम घोटाला आजकल काफी समय से सुर्खियों में चल रहे हैं। इस प्रकार से मैं यह कह सकती हूँ कि सूचना के इस अधिकार ने आज देश की तस्वीर ही बदल दी है। भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने में जनता के हाथ में यह एक हथियार के रूप में साबित हुआ है।

अंत में मैं यह कह सकती हूँ कि सूचना के अधिकार का अधिनियम सरकार के द्वारा जनता को दिया गया एक अभूतपूर्व अधिकार है। यदि इसका सकारात्मक रूप से प्रयोग किया जाए तो समाज को इससे काफी लाभ हो सकता है। यद्यपि कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा इस अधिनियम के दुरुपयोग के मामले भी प्रकाश में आए हैं। जिनके समाधान के सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए।

जय हिन्द जय भारत।

निबंध प्रतियोगिता परिणाम (जूनियर वर्ग)

द्वितीय पुरस्कृत निबंध : कु0 दीपिका धनाई, कक्षा 10 सनातन धर्म गर्ल्स इण्टर कॉलेज, मसूरी

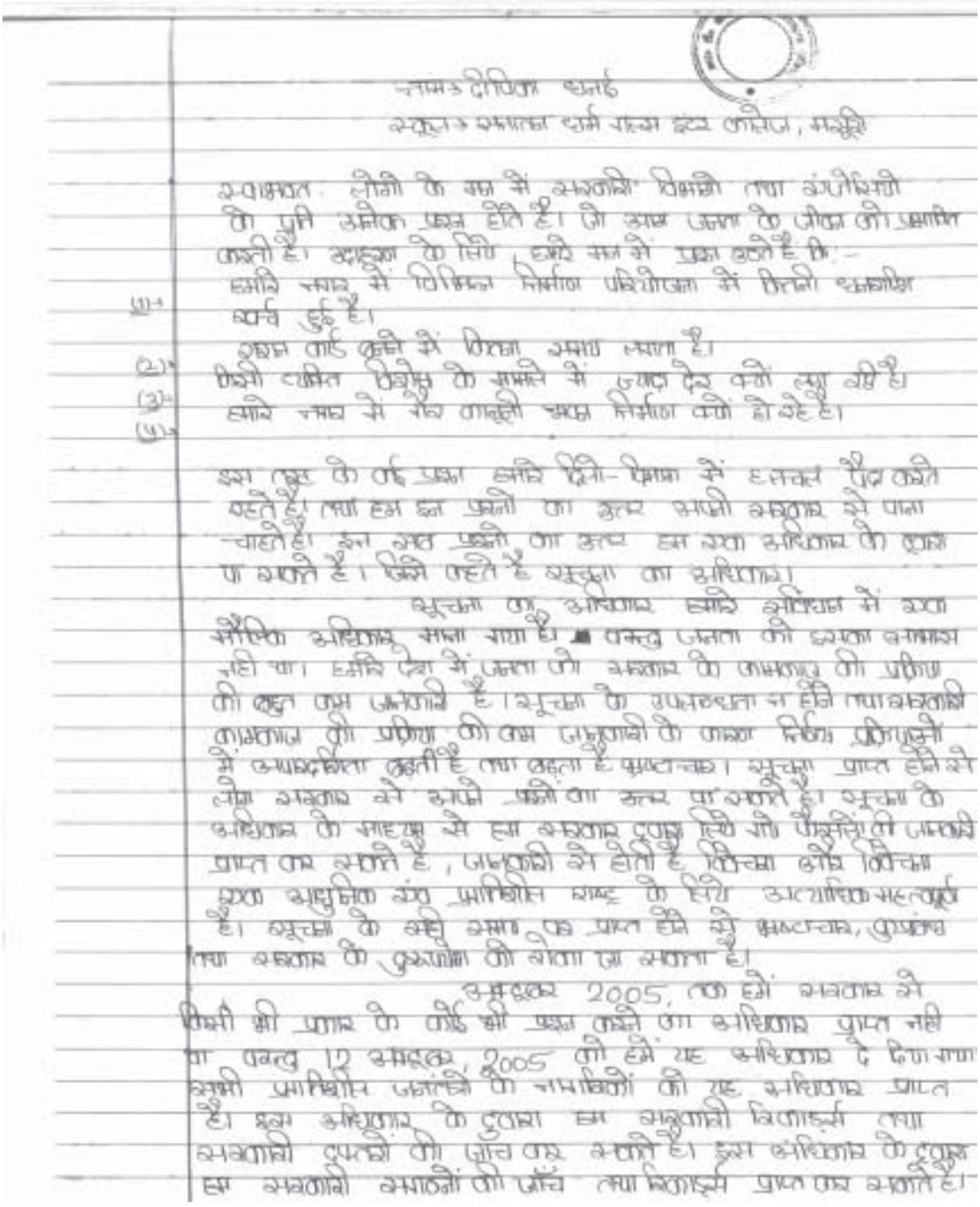

संसद द्वारा अधिनियमित 'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005' के कारण ही हम कामकाजी को प्रभावित करके, तथा अधिकारियों से सही हिसाब कर सकते हैं। हम आवेदन पत्र के साथ केवल 10 रुपये की फीस देकर हर तरह की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं और यह सब संभव हुआ है सूचना के अधिकार के माध्यम से।

हमारे देश में कई कानूनों में से 'सूचना के अधिकार' का कानून महत्वपूर्ण कानूनों में से एक कानून है। इसमें सूचना के अधिकार की संरचना दी है। यह एक व्यापक तथा दूर पहुँचवाला कानून है जिससे प्रशासन पारदर्शी जवाबदेही तथा सुशासन सुनिश्चित करने का अधिकार हमें देता है। इससे प्रजातंत्र और मजबूत होगा तथा भ्रष्टाचार मुक्त होगा।

इस कानून के विश्लेषण से यह साबित हो गया है यह एक विकासशील देश के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह हमारे देश में बुनियादी परिवर्तन ला सकता है। पिछले केवल दो वर्षों में 46,000 से अधिक लोगों ने दिल्ली में सरकारी विभाग से जानकारियाँ प्राप्त की है इसी अधिकार के द्वारा। हमें इस अधिकार को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिये इसका उपयोग करना चाहिये। यदि अभी उपयोग नहीं होता है तो भविष्य में इसका उपयोग करना चाहिये। सन् 2006 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई सूची में भारत की रैंकिंग का विकास का श्रेय भी सूचना का अधिकार को दिया गया है। यदि हम इस अधिकार तथा अन्य सभी अधिकारों का उपयोग अपने जीवन में करेंगे तो निश्चय ही हमारा देश एक विकासशील देश की श्रेणी से हटकर एक विकसित देश की श्रेणी में आ जायेगा।

नाम : दीपिका शर्मा
स्कूल : [illegible] गर्ल्स इंटर कॉलेज,
मसूरी।

तृतीय पुरस्कृत निबंध : कु0 नीलम, कक्षा 10 (स), श्री गुरूनानक पब्लिक गर्ल्स इण्टर कॉलेज, प्रेमनगर, देहरादून

"सूचना का अधिकार अधिनियम 2005"

आज समस्त देश कुशासन से पीड़ित होता जा रहा है। समाज में सर्वत्र उथल-पुथल व्याप्त है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सब जनता दुःखी व अशान्त है। ऐसी विकट स्थिति में "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" वह रामबाण औषधि है, जो देश का कल्याण करने में सक्षम है।

आज भारत विश्वशक्ति के रूप में उभरा है। यदि राष्ट्र की प्रगति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाना है तो हमें इस अधिनियम की शरण में जाना होगा। यह जनहित हेतु बनाया गया है। यह जनसाधारण के हाथों में ऐसा अस्त्र है जो देश में निरन्तर बढ़ रहे शोषण, भ्रष्टाचार, अशिक्षा तथा भाँति भाँति की अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सकता है।

"सूचना का अधिकार कब बना": सूचना का अधिकार अधिनियम 10 मई 2005 को संसद के पटल पर पेश किया गया। 12 मई को लोकसभा में तथा 13 मई को राज्यसभा में पारित हुआ। 15 मई 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर यह अधिनियम अस्तित्व में आया। 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम उत्तराखण्ड में प्रभाव में आया। 3 अक्टूबर 2005 को उत्तराखण्ड में राज्य सूचना आयोग का गठन कर, सूचना आयुक्त की नियुक्ति हुई। 9000 लोक सूचना अधिकारी, 600 सहायक लोक सूचना अधिकारी, 1000 विभागीय अपील अधिकारी का नामांकन किया गया। अक्टूबर 2005 में यह अधिनियम हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ।

"सूचना के अधिकार का तात्पर्य": जीवन की रक्षा के लिए, निजी स्वतन्त्रता के लिए, किसी भी विषय पर अपनी राय देने के लिए या विरोध प्रकट करने के लिए सूचना का होना अत्यन्त आवश्यक है। यह एक मौलिक अधिकार है, जो हमारे संविधान का हिस्सा है। एक लोकतन्त्र की मजबूती तथा सुशासन हेतु इस अधिनियम में निम्न विषयों पर अधिकार निर्धारित किए हैं।

- दस्तावेजों, अभिलेखों की टिप्पणी लेने का अधिकार।
- इलेक्ट्रानिक रूप में रखी गयी सूचना प्राप्त करने का अधिकार।
- ऐसी सूचना का अधिकार - जिसका प्रकटीकरण जनहित में हो।

एक सुशासन के पहलू हैं - जिम्मेदारी, पारदर्शिता, संवेदनशीलता, सहभागिता के अभाव में

कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। इस अधिनियम की सहायता से देश की जनता और अधिक सजग होकर राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सकती है, और लोकतन्त्र को मजबूत कर सकते हैं।

"किस - किस सूचना को प्रकट नहीं किया जायेगा धारा - 8"

- जिस सूचना से किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो।
- जिस सूचना से जनहित का नुकसान होता हो अथवा किसी व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा पैदा होता हो, अथवा जिससे न्यायालय की न्याय व्यवस्था भंग होती हो।
- जिस सूचना से संसद या विधानमण्डल के विशेषाधिकार भंग होते हो।

"सूचना का अधिकार कानून" :- हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समस्त नागरिकों की प्रतिष्ठा, अवसर की समानता व आजीविका रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। • सरकार के कार्यकलापों का सम्पादन जनता द्वारा दिये गये कर के धन से होता है। अतः सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों तथा योजनाओं को जानने का पूर्ण अधिकार जनता को है। **"सूचना के अधिकार का मुख्य उद्देश्य"** → सरकारी काम काज में गोपनीयता, लाल फीताशाही की परम्परा को त्यागकर, पारदर्शिता और जवाबदेही की नई कार्यशैली को बढ़ावा देना है। **"शुल्क"** → आवेदन शुल्क जो न्याय संगत होगा, राज्य सरकार तय करेगी। गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले व्यक्तियों से शुल्क नहीं लिया जायेगा। **"सूचना के अधिकार का क्रियान्वयन"** → सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को क्रियान्वित हो चुका है। 12 अक्टूबर 2005 को प्रत्येक व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिल चुका है। यदि व्यक्ति को समय पर सूचना नहीं मिले तो वह सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कराकर अपनी सूचना को पा सकता है।

"सूचना अधिकारी के कर्तव्य" → • सूचना के लिये आवेदन पत्रों की स्वीकृति व समय पर सूचना उपलब्ध करवाना। • जो व्यक्ति प्रार्थना पत्र लिखने में असमर्थ है, उनकी सहायता करना। • आवेदक को मांगे गये प्रारूप में सूचना उपलब्ध करवाना। • यदि सूचना देने योग्य नहीं है तो आवेदक को कारण बताते हुए विवरण उपलब्ध करवाना।

"समय सीमा" → वांछित सूचना आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर उपलब्ध होगी। यदि सूचना व्यक्ति के जीवन या स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है तो 48 घंटों के भीतर उपलब्ध होगी। "सूचना का तात्पर्य धारा - 2", आँकड़े, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, मॉडल, नमूने जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गये हो या निजी निकायों से सम्बन्धित हैं, किसी भी लोक प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य कानून के जरिए हासिल की जा सकती है। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम वास्तव में सुशासन हेतु अन्धकार में रहने वाला वह प्रकाश का दीपक है जो सरकार को विवश करता है, लोगों के लिए ऐसी नीतियों और योजनाएं बनाने के लिए जो न्याय संगत, पारदर्शी, भ्रष्टाचार रहित, जनता की सहभागिता से सम्पन्न होते हुए जवाब दे रही हैं। कुशासन मानव क्षमताओं को नष्ट करता है। सुशासन मानव कल्याण और विकास विधान को सुनिश्चित करता है। अतः आवश्यकता है जन जन में सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी और क्रियान्वयन की।

उत्तराखण्ड राज्य में 'सूचना का अधिकार अधिनियम' के प्रयोग की जानकारी बढ़ाने हेतु प्रदेश शासन को लिखा गया मुख्य सूचना आयुक्त का पत्र

पत्रांक : 4708 /उ.सू.आ./2011
दिनांक : 31/05/2011

प्रिय

जैसा कि आप अवगत हैं सूचना का अधिका अधिनियम अब अपने क्रियान्वयन के षष्ठम वर्ष में प्रचलित है, विगत पाँच वर्षो में आयोग में प्राप्त हुयी द्वितीय अपीलों के तुलानत्मक विश्लेषण के उपरांत विभिन्न समूहों द्वारा सूचना का अधिकार के उपयोग के संबंध में प्रतिशतवार निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुये हैं-:

उपयोग का प्रतिशत					
1		2		3	
महिला 8%	पुरूष 92%	ग्रामीण 21%	शहरी 79%	बी.पी.एल. 3%	ए.पी.एल 97%

इसी प्रकार आयोग में प्राप्त हो रही द्वितीय अपीलों में से कुल 83% अपीलें केवल देहरादून, हरिद्वार उधम सिंह नगर एवं नैनीतल जनपदों से प्राप्त हुयी हैं तथा शेष 09 जनपदों से मात्र 7% द्वितीय अपीलें ही आयोग को प्राप्त हुयी हैं।

2. उपरोक्त विश्लेषण से विभिन्न समूहों एवं जनपदों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के उपयोग के अत्यधिक अंतर का एक असमान्य ग्राफ स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है तथा स्पष्ट है कि जनसामान्य द्वारा एक सीमित दायरे में ही राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग किया जा रहा है। अधिनियम के संबंध में सीमित जानकारी का होना अधिनियम के उपरोक्त असामान्य प्रयोग का एक प्रमुख कारण हैं।

3. इस संबंध में मैं आपका ध्यान सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 26 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें अधिनियम के प्रचार प्रसार हेतु राज्य सरकार का दायित्व तथा उसके स्तर से की जाने वाली कार्यवाही का विवरण दिया गया है, इसमें मुख्यता: जनता की, विशेष रूप से उपेक्षित समुदायों की अधिनियम के बारे में समझ की वृद्धि करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाये, के संबंध में शैक्षिक कार्यक्रम बनाने: कार्यक्रमों का आयोजन करने लोक प्राधिकारियों के क्रियाकलापों के संबंध में सही जानकारी प्रभावी रूप से प्रसारित किये जाने: लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित करने : तथा नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन एवं प्रकाशित करने आदि कर्तव्यों का विवरण दिया गया है।

4. आयोग स्तर से विभिन्न प्रकाशनों,कार्यशालाओं, वीडियों कॉन्फ्रैसिंग इत्यादि माध्यमों का प्रयोग कर जनसामान्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में जागरूकता बढ़ाने तथा अधिनियम का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया जाता रहा है, किंतु प्रदेश के नागरिको द्वारा अधिनियम के वृहद उपयोग को संभव बनाने के लिए यह अवश्यक है कि अधिनियम की धारा 26 की विभिन्न धाराओं का पालन करते हुए राज्य सरकार के स्तर से अधिनियम के व्यापक प्रचार के संबंध में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के माध्यम से प्रकाशन, टी.वी. एवं समाचार पत्र विज्ञापन, होर्डिंग, नुक्कड नाटक आदि के माध्यम से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5. कृपया उपरोक्त के संबंध में राज्य सरकार के स्तर से समुचित कार्यवाही पूर्ण करने के लिए सम्मत दिशानिर्देश अपने अधीनस्थ स्तरों को निर्गत करने का कष्ट करें जिससे प्रदेश के समस्त नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के संबंध में जानकारी सुलभता से प्राप्त हो सके।

6. कृपया शासन स्तर से की गयी कार्यवाही की जानकारी आयोग को भी देने का कष्ट करें।

श्री सुभाष कुमार
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

भवनिष्ठ,
(एन.एस. नपलच्याल)

सूचना के आवेदन कर्त्ताओं के उत्पीड़न को रोकने हेतु शासन को प्रेषित मुख्यसूचना आयुक्त का पत्र

नृप सिंह नपलच्याल
N.S. Napalchyal

मुख्य सूचना आयुक्त
Chief Information Commissioner

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सी-30 सैक्टर 1, डिफैंस कालोनी, देहरादून
दूरभाष : 0135-2666778, 2666779
Uttarakhand Information Commissiom
C-30,Sec-I, Defence Colony
Dehradun, Uttarakhand
Phone : (Off:) 0135-2666778
Fax : 0135-2666779
Mob. : 09412992127

पत्रांक : 1956 /उ.सू.आ./2011
दिनांक : 08/03/2011

प्रिय सुभाष,

आयोग में प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष यह तथ्य आये हैं कि कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा अपने पद उनको प्राप्त शक्तियों का दुरूपयोग करते हुये सूचना आवेदनकर्ताओं को उत्पीडित कर हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह तथ्य आयोग में आपके साथ बैठक के समय में इंगित किया गया था।

2. आयोग के समक्ष प्रस्तुत ऐसे प्रकरणों में से कुछ को मै आपके संज्ञान मे लाना चाहूँगा-

2.1 अयोग मे योजित द्वितीय अपील संख्या A(D)-3721/2010 श्री एल.पी. जुयाल बनाम लोक सूचना अधिकारी / थानाध्यक्ष बंसत विहार, देहरादून व अन्य में शिकायत की गई है कि उपनिरीक्षक, जय प्रकाश कोहली चौकी इंचार्ज, इंदिरा नगर, देहरादून द्वारा आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पर तथा उससे संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिये गये अनुरोध पत्र की जाँच के क्रम में, आवेदक के ही विरूद्ध सी.आर.पी.सी. 107/116 की कार्यवाही कर दी गयी यह कार्यवाही आवेदक द्वारा की गयी शिकायत तथा सूचना आवेदन पत्र की प्रतिक्रिया के रूप में की गयी है।

2.2 आयोग में योजित द्वितीय अपील संख्या A(D)-3900/2010 डॉ सम्राट शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी / प्राचार्य बी.एस.एम. पी.जी. कॉलेज, रूड़की जिला हरिद्वार व अन्य में शिकायत की गई है कि प्राचार्य बी.एस.एम. पी.जी. कॉलेज,रूड़की जिला हरिद्वार द्वारा आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुरोध पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उनकी वार्षिक चारित्र प्रविष्टि में अंकन किया गया. यह कार्यवाही आवेदक द्वारा की गयी शिकायत तथा सूचना आवेदन पत्र की प्रतिक्रिया के रूप में की गयी है।

2.3 आयोग में योजित शिकायत संख्या 3874/सी-18(2)(1105)/2010 मौ० मुरसलीन कुरैशी बनाम लोक सूचना अधिकारी / कोतवाली प्रभारी निरीक्षक, ज्वालापुर जिला हरिद्वार व अन्य में शिकायत की गई है कि प्रभारी निरीक्षक, ज्वालापुर, हरिद्वार द्वारा आवेदक के सूचना के अनुरोध पत्र को फाड़कर उसके साथ मारपीट कर उसे बन्द कर दिया गया। यह उत्पीड़न आवेदक द्वारा सूचना हेतु अनुरोध पत्र दिये जाने की प्रतिक्रिया के रूप में किया गया है।

2.4 आयोग में योजित शिकायत संख्या 3748/18(2)/2010 श्री मोहन सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी/ जिलाधिकारी, चमोली व अन्य में शिकायत की गई है कि नायब तहसीलदार, घाट जिला चमोली, उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुरोध पत्र प्रस्तुत

किये जाने पर उन पर शान्ति भंग करने का आरोप लगाकर नायब तहसीलदार को झूठा शिकायती पत्र प्रस्तुत किया जिसके फलस्वरूप उप जिला मजिस्ट्रेट चमोली ने धारा 107/116 सी.आर.पी.सी. के तहत चालान किया। यह कार्यवाही आवेदक द्वारा की गयी शिकायत तथा सूचना आवेदन पत्र की प्रतिक्रिया के रूप में की गयी है।

3 आयोग द्वारा इन समस्त प्रकरणों को अत्यन्त गम्भीरता से लिया गया है तथा समबन्धित उत्पीडनकर्ताओं के विरूद्ध जाँच कर कार्यवाही करने की संस्तुति दी गयी है / दी जा रही है। सूचनार्थियों को लोकप्राधिकारियों अथवा लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा सूचना मांगने के आधार पर या प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पीड़ित किया जाना नितान्त आपत्तिजनक तथा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे सूचना के अधिकार की मूल भावना पर ही कुठाराघात होता है जो किसी भी प्रकार सहनीय नहीं है।

4. अत: आपसे अनुरोध है कि शासन के समस्त प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्षों,मण्डल आयुक्तों एवं जिला अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि लोकप्राधिकारियों के रूप में वह सुनिश्चित करें कि किसी भी अधिकारी / प्राधिकारी द्वारा सूचनार्थियों का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न न किया जाये तथा उत्पीडन किये जाने का संज्ञान होने पर ऐसे अधिकारियों / प्राधिकारियों के विरूद्ध अत्यन्त कठोर कार्यवाही की जाये।

5. यह भी अनुरोध है कि राज्य सरकार की ओर से कर्मिक व प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार को यह संस्तुति प्रेषित की जाये कि उत्पीडन के ऐसे कृत्यों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आपराधिक कृत्यों की श्रेणी में लाकर उत्पीड़नकर्ता के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा योजित करने का विधिक प्रावधान अधिनियम में संशोधन द्वारा किया जाये।

सद्भाव सहित,

6. कृपया शासन स्तर से उपरोक्त बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही को सूचना आयोग को भी यथाशीघ्र देने का कष्ट करें। कृपया इस गम्भीर प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का कष्ट करें।

भवनिष्ठ,

श्री सुभाष कुमार
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

(एन.एस. नपलच्याल)

प्रतिलिपि :- श्री राजीव चन्द्र, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

(एन.एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

With Best Compliments From : Mob. : 9997419474

NEW WAVE SHOPPE

Manufacturers & Suppliers of :

SCHOOL UNIFORMS & SPORT WEAR

11- Kaulagarh Road, Near Kishan Nagar Chowk, Dehradun (U.K.)

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-7 (3) के उचित अनुपालन हेतु शासन को लिखा गया मुख्य सूचना आयुक्त का पत्र

महत्वपूर्ण

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी-30 डिफैंस कालोनी, देहरादून

दूरभाष : 0135-2666778, 2666779 ईमेल : uicddn@gmail.com

संख्या : 9874 /उ.सू.आ/2011 दिनांक...28-9.....

...

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
3. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड

विषय : लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 (3) का अनुपालन.

महोदय / महोदया,

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 (1) के अंतर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गयी सूचना 30 दिन के अंदर दिये जाने का प्राविधान है तथा जहाँ सूचना प्रदान करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लिये जाने की आवश्यकता हो, वहां अधिनियम की धारा 7 (3) के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क के लिए नोटिस भेजे जाने हेतु निम्नलिखित प्राविधान है।

7(3) जहाँ सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां यथास्थिति, लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को-

(क) उसके द्वारा यथाअवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे, जिनके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गयी संगणनाएं होंगी, देते हुये उससे फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुये कोई संसूचना भेजेगा और संसूचना के प्रेषित और फीस के संदाय के बीच मध्यावर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जायेगा।

(ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध करायी गयी पहुँच के प्ररूप के बारे में जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां समय-सीमा, प्रक्रिया और अन्य प्ररूप भी हैं, विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुये कोई संसूचना भेजेगा।

2. अयोग में द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई के समय प्राय: यह देखने में आ रहा है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को अतिरिक्त शुल्क जमा करने हेतु नोटिस अत्यंत विलम्ब से भेजा जाता है तथा कहीं-कहीं तो यह नोटिस देने में पूरे 30 दिन का समय लिया जाता है, जो कि उचित नही हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा

7(1) के अंतर्गत 30 दिन समय सूचना देने हेतु निर्धारित किया गय है तथा यद्यपि अतिरिक्त शुल्क जमा करने हेतु नोटिस दिये जाने के लिए कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गयी है, परंतु ऐसे नोटिस **एक समुचित समयावधि** के अंतर्गत ही दिये जाने चाहिए।

3. लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात अतिरिक्त शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया जाता है तथा उसके बाद अतिरिक्त शुल्क की गणना कर शुल्क जमा करने का नोटिस प्रेषित किया जाता है, अत: इस प्रक्रिया में अधिकतम एक सप्ताह अथवा दस दिन का ही समय लगना चाहिए न कि पूरे 30 दिन का। अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क का नोटिस दिये जाने से ले कर लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर शुल्क प्राप्त होने की तिथि के मध्य के दिनों को छोड़ कर, प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर ही सूचना दी जानी होती है।, अत: इस तरह अकारण या जानबूझ कर विलम्ब करना अधिनियम की भावना के विपरीत है तथा यह लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर अनुरोधकर्ता को जानबूझ कर परेशान करने की प्रवृत्ति का परिचायक है, अत: सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को दृष्टिगत रखते हुये लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा करने का नोटिस प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के अधिकतम **10 दिन** के अंदर दिया जाना आवश्यक है, अन्यथा आयोग द्वारा यह माना जायेगा कि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझ कर नोटिस प्रेषित करने में विलम्ब किया गया है,।

4. अत: यह अवश्यक है कि समस्त लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को इस संबंध मे आवश्यक मार्गदर्शन दे दिया जाये ताकि भविष्य में उनके द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा करने का नोटिस उचित समयावधि के अंतर्गत प्रेषित किया जाये, कृपया इस संबंध में अपने अधीनस्थ समस्त लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उपरोक्तानुसार निर्देशित कर उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0-------

(एन. एस. नपलच्याल)

मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि कृपया आयोग के उपरोक्त निर्देशों की जानकारी आपके स्तर पर आयोजित किये जाने वाली मण्डलीय तथा जनपद स्तरीय समीक्षा बैठकों में समस्त संबंधित अधिकारियों को उनके मार्गदर्शन तथा अनुपालन हेतु देने का कष्ट करें।

(एन. एस. नपलच्याल)

मुख्य सूचना आयुक्त

★★★

THOMAS COOK

(Now at Dehradun)

Thomas Cook

Thomas Cook India Limited
C-15, Janpath Shopping Complex
(Near Bindal Bridge)
Connaught Place | Chakrata Road
Dehradun -248003
T + 91 (135) 2710205 / 2710206
M + 91 - 8979170012
E-MAIL Gcp.dehradun@in.thomascook.com

Our Services

* Educational Tours (As Per Your Requirement)
* Ticketing (Discounted International Air Tickets For Students)
* Holidays (Group / Customized)
* Corporate Travel Management
* Incentive Tours (MICE)
* Foreign Exchange
* Travel Insurance
* Visa

उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक के इस कार्यवृत्त को प्रकाशितकरने का उद्देश्य अपने पाठकों को ऐसी जानकारिया देना है जो सूचना का अधिकार के क्रियान्वयन से सम्बंधित है। आयोग द्वारा लोकप्राधिकारियों के लोकसूचना अधिकारियों का मार्गदर्शन करने वाली इन जानकारियों से सूचना के निवेदन कर्ताओं को भी लाभ होगा इस आशा के साथ प्रकाशित - ■ **संपादक**

दिनांक 21अप्रैल 2011 को अपरान्ह 3.00 बजे विकास भवन सभागार, पिथौरागढ़ में मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आयोजित लोक सूचना अधिकारियों की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों मे नामित लोक सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उपस्थिति का विवरण संलग्न है।

मुख्य सूचना आयुक्त महोदय का जनपद आगमन पर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। आशा व्यक्त की गयी कि मा. मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा बैठक लिये जाने से सूचना अधिकार अधिनियम की विस्तुत जानकारी का लाभ विभागीय लोक सूचना अधिकारियों अपीलीय अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों को होगा। यह भी अपेक्षा की गयी कि आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष में एक बार अवश्य ही जिला स्तर पर इस प्रकार की बैठक आयोजित की जाए ताकि अधिनियम के सम्बन्ध में कतिपय आशंकायें, भ्रान्तियां दूर हो सकें और अधिनियम की बारीकियों को विस्तार से समझा जा सके और अधिकारियों का मार्गदर्शन हो सके।

मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम में दी गई व्यवस्था व नियमों की जानकारी विस्तार से दी गयी। निम्न विन्दुओं पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता बताई:-

■ विभागों मे जो अधिकारी लोक सूचना अधिकारी,अपीलीय अधिकारी तथा सहायक सूचना अधिकारी नामित हैं, अधिनियम में उनके लिए जो दायित्व निर्धारित किये गये हैं उस दायित्व के निर्वहन सद्भावना पूर्वक सुनिश्चित करें और सूचना का अधिकार अधिनियम की विस्तृत एवं गहराई से जानकारी रखें। प्रत्येक कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम अवश्य उपलब्ध रहे।

■ सूचना प्राप्त करना किसी भी नागरिक को अधिनियम अंतर्गत प्रदत्त अधिकार है और धारित सूचना निश्चित समय पर सही-सही दिया जाना संबंधित लोक सूचना अधिकरी का दायित्व है। यदि सूचना भ्रामक,त्रुटिपूर्ण या विलम्ब से सूचना दी जाती है तो सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यह दण्डनीय कृत्य है।

■ प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वे प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्र की विस्तुत सूचना कार्यालय में सुरक्षित रखें। कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, उनका निस्तारण निर्धारित अवधि के अंदर हो चुका है या नहीं देखना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी भी सुनिश्चित करें कि कितनी अपील प्रस्तुत हुई, उनका निश्चित समयावधि में निस्तारण हो गया अथवा नहीं।

■ सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय में 17 बिन्दुओं का मैनुवल अद्यावधिक (up-date) रखा जाए। इस मैनुवल में विभाग की समस्त जानकारी एवं विभागीय योजनाओं की सूची एवं कार्य का विवरण, कार्यदायी विभागों द्वारा समय-समय पर आमंत्रित निविदा तथा स्वीकृत निविदाओं का विवरण तथा रजिस्टर्ड ठेकेदारों की सूची भी प्रत्येक वर्ष प्रत्येक छः माही अद्यावधिक करें। वर्ष 2010-11 की समस्त सूचनाओं का मैंनुअल आगामी दो माह के अन्दर अद्यावधिक कर मैनुवल को सी.ड़ी. के माध्यम से उपलब्ध कराकर जनपद की Website में डाली जाए। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ विभागों से मैनुअल प्राप्त होने पर उसे Website में अपलोड सुनिश्चित करेंगे।

■ जिलाधिकारी आगामी माह में समस्त लोक प्राधिकारियों की बैठक आयोजित कर मैनुअल अद्यावधिक किये जाने की समीक्षा करें। साथ ही जनपद स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन भी करें, जिसमें विस्तुत रूप से अधिनियम की जानकारी दी जा सके। इसकी सूचना आयोग भी दी जाए ताकि आयोग के अधिकारी भी कार्यशाला में प्रतिभाग कर अधिकारियों का मार्गदर्शन कर सके। सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धन, गरीब, असहाय, महिलाओं आदि को भी हो सके और वे इस अधिकार का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें, इस हेतु समय-समय पर विभिन्न संचार माध्यमों से अधिनियम की जानकारी दी जाए।

■ सूचना के अधिकार अधिनियम क सम्बन्ध में यदि कोई आशंका किसी लोक सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारी को हो तो वे सूचना आयोग से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

■ सभी विभाग यह सुनिश्चित कर लें कि उनके विभाग में लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी नामित हों। यदि नामित नहीं हैं तो विभागाध्यक्ष से मिलकर अधिकारियों को नामित करवायें। लोक सूचना अधिकारी अपनी सुविधानुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी को नामित करवा सकते हैं ताकि प्रार्थना-पत्रों की प्राप्ति तथा प्रार्थी को सूचना प्रेषण में सुविधा हो सके।

■ कोई भी अधिकारी अपने कार्यालय के लिए लोक सूचना अधिकारी हो सकते हैं और अधीनस्थ कार्यालय के लिए अपीलीय अधिकारी हो सकते हैं।

■ जिस व्यक्ति द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है,उसके प्रत्युत्तर के समय उस व्यक्ति को यह भी अवगत करावें कि यदि वे सूचना से संतुष्ट नही हैं तो प्रथम अपील कर सकते हैं प्रथम अपीलीय अधिकारी का पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर सहित अवगत करावें।

■ प्रार्थी द्वारा एसी सूचना प्राप्त की जा रही हो जो विभाग में उपलब्ध नहीं है और न ही सृचित की गयी हो, तो ऐसी सूचना के लिए प्रार्थी को अवगत कराया जाए कि संबंधित सूचना उनके कार्यालय में धारित नही है और न ही सृजित की गयी है।

■ कार्यालय के पास जिस प्रारूप में सूचना उपलब्ध हो, यह अवश्यक नही हैं कि उसी प्रारूप के अनुसार ही सूचना प्रार्थी को दी जाए। प्रार्थी द्वारा जिन प्रारूप में सूचना चाही गयी है, उसी प्रारूप मे दी जाए। प्रारूप में यदि कोई एसी सूचना चाही गयी है जो विभाग में धारित नहीं है तो ऐसी सूचना के सम्बन्ध में प्रार्थी को तद्नुसार सूचना धारित न होना अवगत करा दिया जाए।

■ कोई भी व्यक्ति एक प्रार्थना-पत्र में एक से अधिक, अनेक विभागों की सूचना हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थी का इस प्रकार का आवेदन-पत्र भी स्वीकार किया जाना अनिवार्य है। संबंधित लोक सूचना अधिकारी उस प्रार्थना-पत्र का अंतरण निर्धारित अवधि में संबंधित समस्त विभागीय लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित करेगा और प्रार्थी को सूचित करेगा।

■ सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत किसी भी लोक सूचना अधिकारी को यह जानने का अधिकार नही है कि चाही गयी सूचना संबंधित व्यक्ति द्वारा किस उद्देश्य से चाही जा रही है।

■ यदि किसी व्यक्ति द्वारा बहुत अधिक मात्रा में कतिपय विवरण व सूचना चाही गयी हैं, जिसमें कई पत्रावली, अभिलेखों से सूचना तैयार की जानी है और सूचना विवरण भी काफी धनराशि की लागत का हो तो ऐसे में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-9 क अंतर्गत संबंधित व्यक्ति से यह पूछा जा सकता है कि उन्हें जिस विषयक सूचनायें चाहिए वे कार्यालय में आकर उसी विषयक सूचना प्राप्त कर सकते हैं और पत्रावली व अभिलेख देख सकते हैं।

■ Life and Liberty से सम्बन्धित सूचना किसी व्यक्ति द्वारा चाहे जाने पर उस सूचना को अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत 48 घण्टे के अंतर्गत दिया जान होगा। Life and Liberty के कतिपय दृष्टान्त भी बैठक में दिये गये।

■ यदि विभाग में किसी अभिलेख, पत्रावली की वीडिंग हो गयी है और सूचना उपलब्ध नही है तो ऐसी सूचना के सम्बन्ध में प्रार्थी को वीडिंग से संबंधित पंजिका की प्रविष्टि आदि की छाया प्रति साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कर सूचित किया जाना होगा।

■ समस्त विभाग कार्यालय में अभिलेखों का रखरखाव दुरस्त रखें। सूचना समय-समय पर अद्यावधिक करें और विभाग द्वारा सम्पादित किये जा रहे समस्त कार्यो का विवरण उपलब्ध हो। महत्वपूर्ण प्रकृति की सूचना की पंजीकायें तैयार करें। अभिलेखों के उचित रखरखाव होने से सूचना उपलब्ध में आसानी होगी।

■ **पृच्छा एवं समाधान**

उपस्थित लोक सूचना अधिकारी /अपीलीय अधिकारी व सहायक लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत कतिपय जिज्ञासायें, शकायें व्यक्त की गयी, जिनका समाधान माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा बैठक में किया गया।

यदि माननीय आयोग किसी प्रकरण पर अर्थदण्ड लगाता है तो क्या पुनर्याचिका (Review) हेतु माननीय आयोग में प्रार्थना की जा सकती है। स्पष्ट किया गया कि दिये गये निर्णय पर आयोग पुनर्याचिका (Review)स्वीकार नहीं करता है।

आयोग का निर्णय अंतिम होता है। हाँ उसके विरूद्ध मा. उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित की जा सकती है।

यदि कोई लोक सूचना अधिकारी स्थानान्तण हो जाते हैं, उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा निर्धारित समय पर सूचना नहीं दी जाती है तो क्या वर्तमान में तैनात लोक सूचना अधिकारी पर ही सूचना उपलब्ध न कराने का दण्ड आरोपित होगा। स्पष्ट किया गया कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी ही सूचना उपलब्ध न कराने के दोषी माने जायेंगे।

सूचना उपलब्ध कराने में यदि उसकी कीमत पंजीकृत डाक पर होने वाले व्यय से कम हो तो क्या सूचना सामान्य डाक से भेजी जा सकती है। चूंकि इससे राजस्व हानि हो रही है। स्पष्ट किया गया कि सूचना प्रेषण में लोक सूचना अधिकारी का यह भी दायित्व है कि प्रार्थी को सूचना प्राप्त हो जाए और सूचना प्राप्ति की पुष्टि भी हो जाए। साधारण डाक से भेजी जाने वाली सूचना पावती की सुनिश्चितता नहीं रहेगी।

कोई ऐसी सूचना जिसके लिए विभाग द्वारा शुल्क निर्धारित किया है लेकिन ऐसी सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम में चाहे जाने पर मात्र रू० 2.00 में देनी होती है, क्या ऐसी सूचना राजस्व हानि को देखते हुए दिया जाना उचित है। स्पष्ट किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चाही गयी सूचना निर्धारित शुल्क रू० 2.00 प्रति पृष्ठ की दर से दिया जाना अनिवार्य है।

क्या उत्तरखण्ड राज्य से बाहर अन्य किसी राज्य से सूचना चाहे जाने विषयक प्रार्थना-पत्र भी स्वीकार किये जा सकते हैं। स्पष्ट किया गया कि ऐसे प्रार्थना-पत्र को संबंधित राज्य को अंतरण किया जाने का लोक सूचना अधिकारी निर्णय ले सकते हैं।

मुख्य सूचना आयुक्त ने समस्त उपस्थित लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी व सहायक लोक सूचना अधिकारियां से अपेक्षा की कि वे अधिनियम की विस्तुत जानकारी रखें, चाही गयी सूचना तत्परता से निर्धारित अवधि के अन्दर दें और सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार का भेदभाव, दुर्भावना न रखें। जहाँ एक और नागरिक का अधिकार है कि वह सूचना चाहे, दूसरी ओर लोक सूचना अधिकारी का कर्तव्य है कि वे सही-सही चाही गयी सूचना समय से दे । आगामी दो माह बाद पुन: बैठक कर दिये गये निर्देशों का अनुपालन की समीक्षा की जायेगी। अत: सभी अधिकारी तदनुसार निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। अन्त में समस्त उपस्थित अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया।

(एन.एस. नपलच्याल)

मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखण्ड

शिविर-पिथौरागढ़

-जनता से-

आजादी के बाद इस देश के 'लोक' द्वारा 26 जनवरी, 1950 को अंगीकृत की गयी गणतान्त्रिक व्यवस्था के छठे दशक में 12 जून 2005 को इस संपूर्ण देश (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर?) में लागू हुए 'सूचना का अधिकार' नाम के कानून से पहली बार इस देश के आम नागरिक को वह मिला, जो उसे भारी भरकम 'भारतीय संविधान' से निकली अनेक विधियों व उपविधियों द्वारा भी प्राप्त नहीं था।

यह 'सूचना का अधिकार' या 'जानने का हक' ही ऐसा कानून है जो कानून की बारीकियों से अनजान एक सामान्य नागरिक को भी अपनी सरकार व लोकप्राधिकरणों में बैठी अफसरशाही की जवाब देही का अधिकार देता है जिसके कारण सरकार और उसके लोकप्राधिकरणों के कार्यो में पारदर्शिता जैसी कल्पना साकार हुई। इसी कानून के माध्यम से भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ने के लिये प्रमाणिक साक्ष्यों का मिलना संभव हुआ जिनके बिना कोई व्यक्ति सरकारी भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ने की सोच भी नहीं सकता था।

यद्यपि अनेक कानूनों की तरह इस कानून में भी काफी कमियां हैं जो इसकी प्रभाविता को कमजोर करती हैं। जिनपर आने वाले अंकों में विचार किया जाता रहेगा परन्तु इस पत्र के प्रकाशन का मूल उद्देश्य इस जनहितकारी कानून की उपयोगिता से जन सामान्य को परिचित कराते हुए इसके संबंध में उनकी जिज्ञासाओं का समाधान, इसके प्रयोग में हो रही किसी कठिनाई के निवारण में सहयोग करना/ मार्गदर्शन करना व इसके दुरूप्रयोग को भी हतोत्साहित करना है जिससे इसका लाभ जरूरतमंद लोगों को मिल सके। 'सूचना का अधिकार' व भ्रष्टाचार के खुलासों से संबंधित लेख, विचारों, टिप्पणियों या आलोचनाओं को संपादकीय पते पर भेजें। रचनाओं की प्रमाणिकता हेतु प्रमाण/ कार्यवाही के प्रपत्र व फोटो निम्न पते पर भेजें।

'सूचना का अधिकार समाचार' 827/1, सिरमौर मार्ग कौलागढ़ रोड दे.दून दूरभाष:-9358130124, 9997419474

उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त की अध्यक्षता हुई बैठक के इस कार्यवृत्त को प्रकाशित करने का उद्देश्य अपने पाठकों को ऐसी जानकारियॉ देना है जो सूचना का अधिकार के क्रियान्वयन से संबन्धित हैं। आयोग द्वारा लोकप्राधिकारियों के लोकसूचना अधिकारियों का मार्गदर्शन करने वाली इन जानकारियों से सूचना के निवेदन कर्त्ता को भी लाभ होगा इस आशा के साथ - ■*संपादक*

दिनांक 18.05.2011 को श्री अनिल कुमार शर्मा मा० राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग की अध्यक्षता में सूचना का अधिकार के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

मा० सूचना आयुक्त द्वारा समीक्षा बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के लोक सूचनाधिकारियों सहायक लोक सूचनाधिकारियों तथा विभागीय अपीलीप अधिकरियों से परिचय प्राप्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी से समीक्षा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अपेक्षा की गयी।अधोहस्ताक्षरी द्वारा समीक्षा प्रारम्भ करते हुए सूचना अधिकार अधिनियम के क्रियान्ययन में लोक सूचना अधिकारियों को आ रही निम्न परेशानियों से मा० सूचना आयुक्त का ध्यान आकृष्ट किया गया।

1. सूचना के अनुरोध पत्रों में अनुरोध कर्ता द्वारा विभिन्न विभागों एवं विषयो के कई-कई बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए सूचना माँगी जाती है। अलग-अलग तिषय एवं विभागों से सम्बन्धित होने के कारण प्रार्थना-पत्र को हस्तान्तरण करने में विलम्ब होता है।

2. कतिपय प्रकरणों में सूचना मात्र एक या दो पृष्ठ की होती है और एक या दो पृष्ठों क लिए रू० 2.00 से रू० 4.00 का शुल्क जमा कराने की सूचना पंजीकृत डाक से भेजने का शुल्क लगभग 30.00 रू० होता है। तथा पत्राचार आदि करने में समय भी नष्ट होता है।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 प्रभावी होने के उपरान्त राजकीय कार्यालयों में अतिरिक्त कार्य का बोझ बढ़ा है जबकि इससे सम्बन्धित कार्यो के लिए पृथक से किसी पटल सहायक के पद का सृजन नही हुआ है।

4. प्रश्न के रूप में प्राप्त अनुरोध पत्रों पर सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध पर विधिक स्थिति की जानकारी लोक सूचना अधिकारियें को नहीं है।

5. कभी-कभी ऐसे अनुरोध पत्र भी प्रस्तुत की दिये जाते हैं जिनका उद्देश्य सूचना प्राप्त करना न होकर राजकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करना अथवा व्यक्ति विशेष को ब्लैकमेल करना होता है। ऐसे प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में अनावश्यक रूप से राजकीय धन और सम्बन्धित कार्मिक का समय नष्ट होता है।

अधोहस्ताक्षरी के अतिरिक्त सूचना अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियाँ एवं सूचना आयोग के प्रति अधिकारियों में व्यक्त आशांकाओं पर खुलकर की चर्चा करने की अपेक्षा मा० सूचना आयुक्त महोदय द्वारा समस्त उपस्थित लोक सूचनाधिकारियों से की गयी। समीक्षा बैठक में चर्चा के दौरान निम्न बिन्दु विचारणीय रहे-

1. सूचना अनुरोध पत्रों के निस्तावरण की प्रक्रिया - मा० आयुक्त द्वारा जनपद में अनुरोध पत्रों के निस्तावरण की विभागवार संकलित सूचना को सराहा गया परन्तु इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि सूचना से सम्बन्धित अनुरोध पत्रों के निस्तारण के लिए किये जाने वाले पत्राचार निर्धारित प्रारूपों में नहीं रहे हैं। निर्धारित प्रारूपों की सूचना कुछ ही लोक सचनाधिकारियों को थी, जिस पर मा० आयुक्त द्वारा पुनः एक बार प्रारूपों की जानकारी दी गयी एवं प्रारूपों की प्रति भविष्य में उपयोगार्थ उपलब्ध करायी गयी।

मा० सूचना आयुक्त द्वारा उपस्थित अधिकारियों को यह सलाह दी गई कि अनुरोध पत्रों के निस्तारण से सम्बन्धित पत्राचार अनिवार्य रूप से पंजीकृत डाक से ही किये जायें और जिन सूचनाओं को संकलित करने में निर्धारित 30 दिन की अवधि से अधिक समय लगने की सम्भावना हो उसकी लिखित सूचना अनुरोधकर्ता को अनिवार्य रूप से दे दी जाय ताकि यदि अनुरोधकर्ता विलम्ब से प्राप्त सूचना के आधर पर आयोग के समक्ष अपील दायर करता है तो मा० आयोग अपील के निस्तारण में लोक सूचनाधिकरियों द्वारा भेजे गये उक्त पत्रों का संज्ञान ले सकेगा।

मा० सूचना आयुक्त द्वारा यह व्यक्त किया गया कि लोक सूचना अधिकारी अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता

है कि एक दो पृष्ठों की सूचना के लिए जमा कराये जाने वाला शुल्क, शुल्क जमा कराये जाने के सम्बन्ध में किये जाने वाले पत्राचार की आपेक्षा यदि कम है तो एसी स्थिति में शुल्क जमा कराये जाने के स्थान पर अनुरोध कर्ता को सीधे सूचना उपलब्ध करा दें।

मा० सूचना आयुक्त द्वारा उपस्थित अधिकारियों को यह महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध करायी कि अनुरोधकर्ता सूचना का अनुरोध या अपील स्वंय ही प्रस्तुत करेगा। किसी वकील के माध्यम से वह अपील व अनुरोध प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

2. प्रश्न के रूप में माँगी गयी सूचना के सम्बन्ध में कार्यवाही – मा०सूचना आयुक्त द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि अनुरोधकर्ता द्वारा प्रश्न के रूप में सूचना नहीं माँगी जा सकती है और ऐसी सूचना देने के लिए लोक सूचनाअधिकारीं बाध्य भी नहीं है। सूचना केवल उसी रूप में दी जायेगी जिस रूप में लोक सूचनाधिकारियों के पास उपलब्ध है।

3. बी०पी०एल० कार्ड धारक के अनुरोध पत्र का निस्तावण – बी०पी०एल० कार्ड धारक के द्वारा सूचना माँगें जाने से सम्बन्धित प्रस्तुत अनुरोध पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध मे की गयी कतिपय लोक सूचनाधिकारियों की पृच्छा के सम्बन्ध में मा० सूचना आयुक्त महोदय द्वारा पूर्व में मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिये जा चुके निर्णय क आधार पर यह स्पष्ट किया कि बी०पी०एल० कार्ड धारक को अधिकतम रू०100.00 की सूचना नि:शुल्क उपलब्ध करायी जाय और उससे अधिक पृष्ठों के लिए निर्धारित शुल्क जमा करा लिया जाय। इस सम्बन्ध में मा० सूचना आयोक्त द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि बी०पी०एल० कार्ड धारक को सूचना उपलब्ध कराने से पूर्व नियत अवधि के भीतर लोक सूचनाधिकारी चाहे तो यह पुष्टि कर ले कि अनुरोधकर्ता वास्तव में बी०पी०एल० हेतु पात्र है अथव नहीं।

4. लोक सूचनाधिकारियों के कार्यालय में सहायकों के पदों का सृजन लोक सूचनाधिकारियों द्वारा मा० आयुक्त महोदय से इस सम्बन्ध मे अनुरोध किया गया कि लोक सूचनाधिकारियों के कार्यालय में सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन के लिए एक सहायक का पद सृजित करते हुए तैनाती कर दी जायै इस सम्बन्ध में मा० सूचना अयोग द्वारा स्पष्ट किया गया कि पदों के सृजन का कार्य मा० सूचना आयोग का नहीं है परन्तु फिर भी आयोग के स्तर से इस सुझाव को सन्दर्भित किया जायेगा।

5. उच्चाधिकारियों के कार्यालयों से हस्तान्तरित अनुरोध पत्रों के सम्बन्ध में– बैठक में उपस्थित कई लोक सूचनाधिकारियों द्वारा उच्चाधिकारियों के कार्यालय से हस्तान्तरित सूचना के अनुरोध पत्रों के सम्बन्ध में यह कहते हुए असंतोष व्यक्त किया गया कि उनके उच्चाधिकारियों के कार्यालयों में वांछित सूचना उपलब्ध होने के बाद भी अनुरोध पत्रों को अधीनस्थ कार्यालयें को हस्तान्तरित कर दिया जाता है जिससे अनावश्यक कार्य का बोझ बढ़ता है एवं सरकारी धन की हानि भी होती है। मा० सूचना आयुक्त द्वारा स्पष्ट किया गया कि यदि सूचना उस कार्यालय में जहाँ कि अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है, उपलब्ध थी और होनी चाहिये उसको अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने का कार्य उसी कार्यालय से सम्बन्धित लोक सूचनाधिकारी का है। उच्चाधिकारियों के कार्यालय के लोक सूचनाधिकारियों की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लागये जाने पर मा० सूचना आयुक्त सहमत हुए और इस सम्बन्ध आयोग स्तर से समुचित निर्देश जारी का आश्वासन मा० आयुक्त द्वारा दिया गया।

लोक सूचना अधिकारियों द्वारा यह शंका भी व्यक्त की गयी कि अनुरोध पत्र के निस्तारण में उच्चाधिकारियों के कार्यालय से सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता हो तो उनके स्तर से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। इस सम्बन्ध में मा०सूचना आयुक्त द्वारा स्पष्ट किया गया कि लोक सूचना अधिकारी को सूचना अधिकार आधिनियम में व्यायक रूप से शक्ति सम्पन्न किया गया है और लोक सूचना अधिकारी अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते हुए अनुरोध पत्र के निस्तारण के लिये वांछित सूचना का संकलन प्रदत्त शक्तियों के अंर्तगत कर सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मा० सूचना आयुक्त द्वारा बार–बार लरेक सूचनाधिकारियों से यह अनुरोध किया गया कि सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी अपने मन में किसी प्रकार का भय न रखें और निर्भय होकर सूचना से सम्बन्धित अनुरोध पत्रों का ससमय नियमत: निस्तारण करें। समीक्षा बैठक के दौरान उपस्थित कई लोक सूचनाधिकारियों द्वारा आयोग से भय के कारणों से सम्बन्धित दृष्टान्त प्रस्तुत किये। प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा मा० सूचना आयुक्त के समक्ष यह प्रश्न उठाया कि मा० आयोग द्वारा उनके कार्यालय को एक ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है जो उनके

कार्यालय मे उपलब्ध ही नही होती है और जिस सूचना को तैयार किया जाना भी सम्भव नहीं हैं। लोक सूचना अधिकारी जिला कार्यालय द्वारा स्वयं से सम्बन्धित प्रकरण की ओर मा० आयुक्त का ध्यान आकृष्ट किया गया जिसमें लोक सूचना अधिकारी से कोई सूचना भी नहीं माँगी गयी और लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कोई अपील भी दायर नही की गयी उसके बावजूद भी लोक सूचना अधिकारी को नोटिस भेजे बगैर ही रू० 5.000.00 का अर्थ दण्ड मा० आयोग द्वारा आरोपित कर दिया गया। इसी प्रकार जनपद चमोली के एक प्रकरण में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 / 116 में उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा -111 का नोटिस जारी करने पर आयोग के स्तर पर अपील स्वीकार करते हुये उप जिला मजिस्ट्रेट को चेतावनी निर्गत कर दी गयी। अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बैसिक) के द्वारा भी यह प्रश्न माननीय सूचना आयुक्त महोदय के सामने रखा गया की सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-'19 के अर्न्तगत विभागीय अपील विचाराधीन रहने के दौरान ही अपील कर्ता द्वारा धारा- 18(1) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र मा० सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जाते हैं। इस तरह के प्रकरणों में अपीलीय अधिकारियों को अपील निस्तारण में व्यवहारिक कठिनाईयां आती है। ऐसे कई अन्य दृष्टान्त भी लोक सूचना अधिकारियों द्वारा मा० सूचना आयुक्त के समक्ष रखे गये जिनमें मा० आयोग के स्तर से पारित निर्णयों मे लोक सूचनाधिकारी के साथ न्याय नहीं हो पाया ऐसे दृष्टान्तों से मा. सूचना आयुक्त द्वारा सहमत होते हुये यह आश्वासन दिया गया कि पूर्व के ऐसे दृष्टातों की आयोग के स्तर पर समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जायेगा कि लोक सूचनाधिकारी की भावना यदि सूचना देने की रही है तो उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो।

दिनांक 23.05.2011

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)

जिलाधिकारी चम्पाक्त

★★★

Tin No.UAST DD 05005694507

मै0 सिध सीड्स सेल्स कारपो0

समस्त प्रकार के नर्सरी एवं वन प्रभाग (नर्सरी) के पेड़ पौधों के बीजों एवं पौधों इत्यादि के विक्रेता।

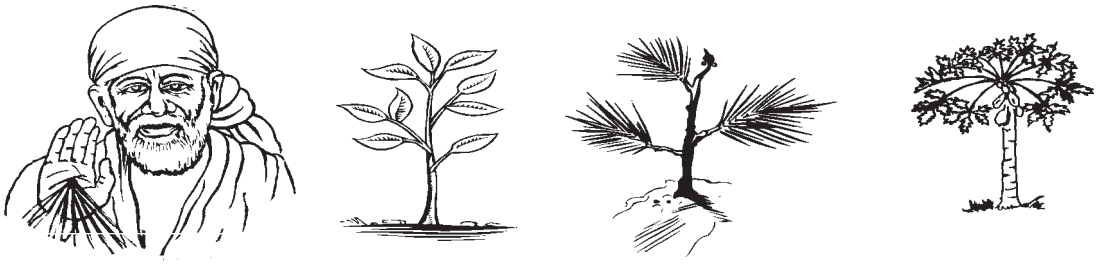

भगवान दास मौर्या

पंडितवाड़ी (डा0) प्रेमनगर जिला-देहरादून-248007 उत्तराखण्ड

फोन नं0-0135-2773532 मो0 नं0-9411751921, 9412325656

प्रेषक,

संख्या-1353/xxxi(13)G/2011

सुभाष कुमार
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2- मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/ कुमाऊँ मण्डल
3- समस्त जिलाधिकारी/
मुख्य विकास अधिकारी
उत्तराखण्ड।
4- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून: दिनांक 31 अक्टूबर 2011

विषय : उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विधायी एवं ससंदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की संख्या 307/XXXVI(3)2011/55(1)/2011 दिनांक 04 अक्टूबर 2011 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011" से सम्बन्धित अधिसूचना की प्रति एतद्द्वारा संलग्न कर संप्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा-3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या 1337/XXXVI(13)G 2011 दिनांक 28 अक्टूबर 2011 (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत चिन्हित सेवाओं को विभागीय ''पदाभिहित अधिकारी'' द्वारा नियत समय सीमा के अन्तर्गत सेवा के रूप में प्रदान किया जाना बाध्यकारी है। अधिनियम की धारा-5 के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति के आवेदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन का नियत समय सीमा के भीतर निस्तारण नही किये जाने पर अधिनियम की धारा-9 में दण्ड अथवा शास्ति का प्राविधान किया गया है।

2. अत: उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 की महत्ता को दृष्टिगत रख कर अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैं :-

(1) उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 की धारा 11 के अन्तर्गत सम्बंधित विभाग के सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि विभागीय अधिसूचित सेवाओं तथा समय-सीमा को विभाग की वेबसाईट पर अवश्य प्रदर्शित किया जाय।

(2) उत्तराखण्ड राज्य के विभागाध्यक्षों के नियंत्रणाधीन समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर पदाभिहित अधिकारी का नाम, पदनाम, आदि की स्पष्ट सूचना को संलग्न प्ररूप-1 के अनुसार प्रदर्शित किया जाय।

(3) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वन हेतु प्रत्येक सेवा प्रदाता पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान किये जाने हेतु आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी कार्यालय के सूचना पटों पर अवश्य प्रदर्शित की जाय।

(4) अधिनियम की सफलता हेतु यह आवश्यक है कि सेवा हेतु आवेदन की प्राप्ति के समय ही सावधानी पूर्वक यह देख लिया जाय कि आवेदन यथा आवश्यक दस्तावेजों (चैक लिस्ट) के अनुरूप पूर्ण हों। सेवा हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन की प्राप्ति संलग्न प्ररूप-2 के अनुरूप दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाय। प्राप्ति प्रारूप की एक प्रति आवेदक को दी जाय।

(5) अधिनियम के तहत अधिसूचित विभिन्न सेवाओं से सम्बंधित आवेदन पत्रों एवं उन पर कृत कार्यवाही के विवरण का रख-रखाव महत्वपूर्ण है। पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के स्तर पर संलग्न प्ररूप-3, 4 एवं 5 में दी गयी व्यवस्थानुसार पंजिकायें तैयार की जायेंगी तथा नियमित रूप से इनमें सूचनायें अद्यावधिक की जायेंगी।

3. यह भी आवश्यक है कि मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा मण्डलों/जनपदों में इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त

आवेदनों एवं उनके समयान्तर्गत निस्तारण की समीक्षा अपने मासिक विभागीय समीक्षा बैठक में अवश्य कर ली जाय, और इसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध करायी जाय।

कृप्या उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-निम्नवत (छः संलग्नक)।

1- सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011।
2- चिन्हित सेवाएं, पदाभिहीत अधिकारी, समय-सीमा, प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
3- सूचना पट का प्ररूप-1
4- आवेदन पत्र की प्राप्ति का प्ररूप-2
5- पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली पंजिका का प्ररूप-3
6- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली पंजिका का प्ररूप-4
7- द्वितीय अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली पंजिका का प्ररूप-5

भवदीय
(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या:- xxxi(13)G/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृप्या उपरोक्त को वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(मनीषा पंवार)
सचिव।

प्ररूप-1

सूचना पट का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय.....

क्रंसं.	अधिसूचित सेवा	विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पद नाम एवं पता	प्रथम अपील के निस्तारण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पद नाम एवं पता	द्वितीय अपील के निस्तारण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8

1. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम–
2. प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए समय–सीमा–
3. प्रथम अपील के निस्तारण के लिए निश्चित की गयी समय–सीमा–
4. द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए समय–सीमा–
5. द्वितीय अपील के निस्तारण के लिए निश्चित की गयी समय–सीमा–

कृपया अपने आवेदन की प्राप्ति अवश्य प्राप्त करें।

आज्ञा से,
कार्यालयाध्यक्ष

प्ररूप–2

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत आवेदन पत्र की प्राप्ति का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता–

1. आवेदक का नाम एवं पता.....
2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में–
   आवेदन प्राप्ति की दिनांक.....
3. सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन दिया गया है.....
4. उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक है
   किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं.....
5. निश्चित की गई समय–सीमा की अन्तिम तिथि.....

स्थान.....दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
पदनाम (मुहर सहित)

नोट–आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु–5 में उल्लिखित अन्तिम तिथि अंकित नहीं की जायेगी।

प्ररूप–3

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली पंजिका का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम.....

माह.....वर्ष.....

क्रंस.	आवेदक का नाम एवं पता	सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है	आवेदक का दिनांक	निश्चित की गई समय–सीमा की अन्तिम तारीख	आवेदक स्वीकृत /निरस्त	पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण
1	2	3	4	5	6	7

प्ररूप-4

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली पंजिका का प्रारूप

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय का नाम.....

माह.....वर्ष.....

क्रंस.	अपीलार्थी का नाम एवं पता	प्रथम अपील प्रस्तुत करने का दिनांक	उस पदाभिहित अधिकार का पदनाम (कार्यालय के नामसहित) जिसके विनिश्चय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है	अपील के निस्तारण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा की अन्तिम तारीख	अपील में पारित आदेश का दिनांक एवं संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6

प्ररूप-5

द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली पंजिका का प्रारूप

द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय का नाम.....

माह.....वर्ष.....

क्रंस.	अपीलार्थी का नाम एवं पता	द्वितीय अपील प्रस्तुत करने का दिनांक	उस प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम (कार्यालय के नाम सहित) जिसके विनिश्चय के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है	द्वितीय अपील के निस्तारण का विवरण (क) अपील निरस्त (ख) शास्ति का आदेश (ग) विभागीय जांच अनुशंसा (घ) प्रतिकर का भुगतान	शास्ति की वसूली का दिनांक	प्रतिकर की राशि के भुगतान का दिनांक	विभागीय जांच की अनुशंसा के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही	पुनरीक्षण आदेश का विवरण यदि प्राप्त हो तो
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रेषक,

संख्या-1389/xxxi(13)G/2011

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1-मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊं, उत्तराखण्ड।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3-समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून दिनांक01 नवम्बर 2011

विषय :- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 लागू हो चुका है। उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 की धारा-3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जन सामान्य को नियत समय-सीमा के अन्तर्गत सेवाएं उपलब्ध कराये जाने, सेवा का चिन्हीकरण, सेवा उपलब्ध कराने वाले पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान की जाने की अवधि, नामित प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 1337/xxxi(13)G/2011 दिनांक 28 अक्टूबर 2011 का (हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण सहित) निर्गत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1353/xxxi(13)G/2011, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 भी निर्गत किया जा चुका है। सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त अधिनियम अधिसूचना तथा तत्सम्बन्धी शासन की ओर से निर्गत शासनादेश की प्रति एन0आई0सी0 की वेब साइट uk.gov.in में भी उपलब्ध है।

2- उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011, अधिसूचना दिनांक 28 अक्टूबर 2011 एवं अधिनियम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 31 अक्टूबर 2011 आदि को सम्बन्धित वेबसाइट से डाउनलोड कर अपने अधीनस्थ कार्यालयों/जनपद में अवस्थित विभागों को उसकी प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें। अधिनियम के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु अधीनस्थ कार्यालयों/जनपद में कार्यरत विभागों के साथ एक बैठक भी आहूत कर ली जाय।

3- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के शासनादेश दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 में निर्धारित प्ररूप-1 के अनुसार सूचना, कार्यालय सूचना पट्ट पर जनसाधारण के अवलोकनार्थ लगवाने, प्रारूप-2 के अनुसार आवेदक के पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने तथा प्ररूप-3,4 एवं 5 के अनुसार पंजिका तैयार करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

4- उपरोक्त अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा नवम्बर 2011 के प्रथम सप्ताह में विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक प्रस्तावित है। अधिनियम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में नवम्बर 2011 के द्वितीय सप्ताह में शासन स्तर से नामित अधिकारी द्वारा मौके पर सत्यापन किया जायेगा।

5- मण्डलायुक्तों द्वारा उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 15 नवम्बर 2011 तक की संकलित सूचना अनुमोदित कर निम्नांकित निर्धारित प्ररूप

पर उपलब्ध कराते हुए, माह दिसम्बर2011 से प्रतिमाह संकलित सूचना अगले माह की 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मण्डलायुक्त के माध्यम से शासन को संकलित सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्ररूप

मण्डल का नाम:-.....

क्रंस.	विभाग का नाम	पदाभिहित अधिकारी को पूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	समय-सीमा के अन्तर्गत पदाभिहित अधिकारी द्वारा निस्तारित आवेदन पत्रों की संख्या	पदाभिहित अधिकारी द्वारा अनिस्तारित आवेदन पत्रों की संख्या	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपीलों की संख्या
1	2	3	4	5	6

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निस्तारित अपीलों की संख्या	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अनिस्तारित अपीलों की संख्या	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपीलों की संख्या	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निस्तारित अपीलों की संख्या	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अनिस्तारित अपीलों की संख्या
7	8	9	10	11

6- कृप्या उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

भवदीय,
(मनीषा पंवार)
सचिव।

★★★

Free Home Delivery 0135-2530176

VARIETY CENTRE

WHOLESALER & RETAILER OF :

ATTA, DAL, RICE, SUGAR, MASALE, DRY FRUITS ETC.

181, Chakrata Road, Dehradun (Uttarakhand)

आर.टी.आई. क्लब, उत्तराखण्ड के सदस्यों/पदाधिकारियों की सूची

1	श्री डॉ0 आर.एस टोलिया (मुख्य संरक्षक)पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग)		
2	श्री डॉ0 बी पी. मैठाणी (अध्यक्ष) पूर्व राज्य समन्वयक, सूचना अधिकार प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन		9012878346 9319704492
3	श्री एस.पी. डोभाल(वरिष्ठ उपाध्यक्ष)		9997308909
4	श्री डा0 हिमाशुं शेखर (उपाध्यक्ष)		9411112400
5	श्री अमर एस.घुन्ता (महासचिव)		9997419474
6	श्री अनुराग मित्तल(सह सचिव)		9412413199
7	श्री देशदीपक सचदेवा		8979777222
8	श्री सुभाष चन्द्र जोशी (कोषाध्यक्ष)		9410359306
9	श्री ले0 कर्नल नवीन डबराल(संगठन मंत्री)		9410529768
10	श्री अनिल वर्मा		9837147742
11	श्री यज्ञ भूषण शर्मा (मीडिया प्रभारी)		9358130124
12	श्री सुरेन्द्र सिंह थापा(प्रचार मंत्री)		9897866488
13	श्री स0 महेन्द्रपाल सिंह छाबडा (पी0आर0 ओ0)		9410531313
14	श्री के0 के0 गोयल (कानूनविद्)		9897029874
15	श्री मुकेश चौधरी (कानूनविद्)		9927223057
16	श्रीमती नीतू सिहँ (अधिवक्ता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट)		9412158908
17	श्याम सुन्दर (प्रचार मंत्री)		9897657510
18	श्री अरूण कुमार (पूर्व अध्यक्ष)		
19	श्री अनुल जैन (संस्थापक सदस्य)		9411101958
20	श्री वी0पी0 पोखरियाल (संस्थापक सदस्य)		
21	डा0 पी0 बी0 भटनागर (संस्थापक सदस्य)		9319059598
22	डा0 पीयूष कुमार (संस्थापक सदस्य)		9897656829
23	श्री राजपाल रोहिला (संस्थापक सदस्य)		9411382668
24	श्री विजेन्द्र कुमार यादव	सदस्य	
25	श्री डा0 ललित मोहन कुमार	सदस्य	
26	श्री प्रतिभा शर्मा	सदस्य	
27	श्री अशोक कर्णवाल	सदस्य	
28	श्रीमती गार्गी घुन्ता	सदस्य	9557649123
29	श्री अतुल राठौड़	सदस्य	
30	श्री राजीव कुमार डोभाल	सदस्य	
31	श्री अशुंल कुमार डोभाल	सदस्य	
32	श्री आर0 एन0 खंड्डी	सदस्य	
33	श्री राम अवतार सिहँ	सदस्य	
34	श्री प्रेम कुमार	सदस्य	
35	श्री नरेश गुप्ता	सदस्य	
36	श्री एन. के. गोयल	सदस्य	
37	श्री प्रदीप डबराल	सदस्य	9412149039
38	श्री हरप्रीत छाबडा	सदस्य	
39	श्री हरमिन्दर सिंह छाबड़ा	सदस्य	9219165555

40	श्री गौरव बसरा	सदस्य		
41	श्री राजीव कुमार	सदस्य		
42	श्री रमाकान्त श्रीवास्तव	सदस्य		9411547606
43	श्रीमती सोनिया पॉल	सदस्य		
44	श्री अमित मिनोचा	सदस्य		
45	श्रीमति सरिता रानी अग्रवाल	सदस्य		
46	श्री एन.एस. अग्रवाल	सदस्य		
47	श्री अजय कुमार गर्ग	सदस्य		9411727947
48	श्री विजय पाल सिहँ रावत (संयोजक रूद्रप्रयाग)			9410185889
49	श्री गुणानन्द उनियाल	सदस्य		9411580927
50	श्री जे0पी.मैठाणी (संयोजक, मीडिया प्रभारी)			9456591271
51	श्री श्याम लाल सैलानी	सदस्य		
52	श्री स. जी0 एस0 अरोड़ा	सदस्य		9837202812
53	श्री वी.के.कन्नोजिया	सदस्य		9808336646
54	श्री राधेश्याम	सदस्य		8923869060
55	श्री प्रेम भाटिया	सदस्य		9837171551
56	श्री राजीव	सदस्य		
57	श्री.एस.पी.थापा	सदस्य		9536457965
58	श्री डॉ0 माया राम उनियाल	सदस्य		9760444425
59	श्री कु0 मानवी भट्ट	सदस्य		8410054048
60	श्री अमित पुण्डीर (संयोजक मेरठ कैन्ट)			9837509142
61	श्री विजेन्द्र प्रताप सिंह (सदस्य मेरठ कैन्ट)			9456481009
62	श्री राजेन्द्र सिहं	सदस्य		9219843561
63	श्री अनुज कुमार गुप्ता	सदस्य		9760008687
64	श्री अमित गोडियाल	सदस्य		7895101022
65	श्री श्रेय बाडू	सदस्य		7500977760
66	श्री किशोर मैठाणी विशेष आमन्त्रित सदस्य–			9412923391
67	श्री सत्यपाल सिंह	सदस्य		9412413058
68	श्री अवधेश कौशिक	सदस्य		9410150487
69	श्रीमती नैना सागी	सदस्य		9837053109
70	श्री उपेन्द्र दत्त शर्मा	सदस्य		9899878387, 9897106612
71	श्री खुशबीर सिंह कोहली	सदस्य		9837314853
72	श्री टी.एस. चौहान	सदस्य	मेरठ कैन्ट	
73	श्री एन.पी. सिंह	सदस्य	मेरठ कैन्ट	
74	श्री मोहित कुमार अन्तिवाल	सदस्य		8171624802
75	श्री संजय सक्सेना	सदस्य		9152474101
76	श्री रतन प्रकाश	सदस्य		9410702626
77	श्री के.एस. नौटियाल	सदस्य		9412005767
78	श्री प्रमोद प्रसाद	सदस्य		
79	श्री कृष्ण बहादुर गुरूंग	सदस्य		
80	श्री सतीश अग्रवाल	सदस्य		8126210217
81	गीतिका कक्कड़	सदस्य		